बुधवार,
१६ सितम्बर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बुधवार, १६ सितम्बर, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विस्थापित सरकारी कर्मचारी

*१३११. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार द्वारा अभिज्ञात संथाओं के अतिरिक्त अन्य संथाओं की सिफारिश पर भारत सरकार के सचिवालय में काम करने वाले विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के साथ उन्हें पदों पर रहने देने या बिना बारी के पदोन्नति देने के रूप में विशेष व्यवहार किया गया है; और

(ख) क्या किसी सरकारी कर्मचारी को इस प्रकार के निकायों या व्यक्तियों की सहायता लेने की अनुमति है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा और अन्य सेवा योजनाओं को कार्यान्वित करने में विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के साथ कुछ विशेष व्यवहार किया है। यह सब संगत परिस्थितियों पर, जिन में अभिज्ञात तथा अनभिज्ञात संथाओं और इन योजनाओं से प्रभावित होने वाले वर्गों से प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन भी सम्मिलित हैं, विचार करने के बाद किया गया है। यह नहीं कहा जा सकता कि यह विशेष व्यवहार किसी विशिष्ट संथा की सिफारिश पर किया गया है।

(ख) आशा की जाती है कि सरकारी कर्मचारी अपने सेवा के अधिकारों या शर्तों के बारे में अपने अभ्यावेदन उचित उच्चाधिकारियों अर्थात् कार्यालय या विभागों के अध्यक्षों द्वारा प्रस्तुत करें और वे अभ्यावेदन जिन का सम्बन्ध विशिष्ट व्यक्तियों से नहीं है अभिज्ञात सेवा संथाओं द्वारा प्रस्तुत करें। सरकारी नौकरों द्वारा उचित अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य प्रकार से अभ्यावेदन दिया जाना सरकारी शिष्टाचार के विरुद्ध है और अनुशासन भंग करता है और सभी सरकारी कर्मचारियों से यह आशा की जाती है कि वे इस से बचने का ध्यान रखें।

श्री एम० एल० द्विवेदी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि उन साधारण सरकारी कर्मचारियों को जो कि बहुत अनुभवी थे क्यों नहीं चुना गया और कुछ ऐसे विस्थापित कर्मचारियों को जिन्हें हाल में नियुक्त किया गया था अनुचित वरीयता क्यों दी गई है

और उन में से कुछ को दूसरों के अधिकार छीन कर क्यों पदों पर नियुक्त किया गया है ?

श्री दातार : मैं इस आक्षेप का खंडन करता हूं । जो कुछ किया जा रहा है, यह है कि हम विशेष व्यवहार करने के लिये विस्थापित कर्मचारियों की सेवा, वरिष्टता और दावों पर विचार करते हैं ।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान, मैं जान सकता हूं कि क्या विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के बारे में अभिज्ञात तथा अनभिज्ञात संथाओं की सिफारिशों को अन्य सरकारी कर्मचारियों के बारे में भी स्वीकार किया जाता है ?

श्री दातार : मैं नहीं समझ सका कि 'अन्य सरकारी कर्मचारियों' से माननीय सदस्य का क्या अभिप्राय है ।

श्री मुनिस्वामी : इन संथाओं द्वारा की गई सिफारिशें केवल विस्थापित व्यक्तियों के बारे में स्वीकार की जाती हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अन्य सरकारी कर्मचारियों के बारे में, जो कि विस्थापित नहीं हैं, अभिज्ञात सन्थाओं द्वारा भेजी गई सिफारिशों को भी स्वीकार किया जाता हें ?

श्री दातार : यह नियम सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है और अभिज्ञात तथा अनभिज्ञात संन्थाओं द्वारा प्राप्त सब अभ्यावेदनों पर उचित ध्यान दिया जाता है ।

श्री गिडवानी : श्रीमान्, क्या यह सत्य है कि विस्थापित सरकारी कर्मचारी सन्था ने सरकार को शिकायतों की एक सूची प्रस्तुत की है, जिस पर विचार करने का सरकार ने वचन दिया है ?

श्री दातार : हमें, अवश्य विस्थापित सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में कुछ सन्थाओं से अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं और हम उन पर उचित रूप से विचार करते हैं।

कुमारी एनी मस्करीन : सरकारी कर्मचारियों के उचित अधिकारों की उपेक्षा के बारे में उन से कितनी याचिकायें प्राप्त हुई हैं ?

श्री दातार : हमें प्रति दिन कई अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं ।

कुमारी एनी मस्करीन : आप ने कितने मामलों में शिकायतें दुर की हैं ?

श्री दातार : बहुत से मामलों में :

श्री एम० एल० द्विवेदी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री उन विस्थापित सरकारी कर्मचारियों की संख्या जानते हैं, जिन्हें असाधारण तरीके से पदोन्नतियां दी गई हैं और यदि हां, तो क्या वे यहां बतलाने या सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री दातार : मेरे पास जानकारी नहीं है .....

डा० काटजू : आप केवल यह कहें कि "मुझे पूर्व सूचना चाहिये" ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : जब जानकारी माननीय मंत्री के पास है, तो क्या उन के लिये यह कहना उचित है कि उन्हें पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री दातार : मैं ने कहा था कि जानकारी मेरे पास नहीं है । मेरे माननीय मित्र ने मेरा उत्तर ठीक नहीं समझा ।

उपाध्यक्ष महोदय : वे वही उत्तर दूसरे रूप में दे रहे थे ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : उत्तर देते समय उन्हें एक और दिशा से प्रेरणा मिल रही थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य नवयुवक हैं, उन्हें आक्षेप नहीं करना चाहिये। मुख्यतः यह गृह कार्य मंत्री का उत्तरदायित्व है ।

बम्बई राज्य को ऋण

*१३१२. **श्री दाभी** क्या **वित्त मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत के रक्षित बैंक ने वर्ष १९५३-५४ के लिये बम्बई राज्य में मौसमी खेती सम्बन्धी कार्यों तथा फसलों के बेचने के लिये रियायत पर कुछ रुपया देने की व्यवस्था की है ?

वित्त मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : जी हां । मौसमी खेती सम्बन्धी कार्यों और फसलों को बेचने के लिये भारत के रक्षित बैंक के अधिनियम, १९३४ की धारायें १७ (४) (क) तथा १७(४) (ग) के अन्तर्गत वर्ष १९५३-५४ के लिये ३३३ लाख रुपये की ऋण सीमा निर्धारित कर दी गई है जिसे बम्बई स्टेट कोओपरेटिव बैंक के द्वारा प्रयोग में लाया जा सकेगा ।

श्री दाभी : ब्याज की दर रुपया वापस करने की शर्तें और किसानों से ली जाने वाली ज़मानत क्या हैं ?

श्री एम० सी० शाह : भारत का रक्षित बैंक बैंक-दर से २ प्रतिशत कम दर लेगा यानी १ १/२ प्रतिशत लेगा । धारा १७(४) (क) के अन्तर्गत, ९० दिन के अन्दर रुपया वापस लौटाना होता है । जमानत का जहां तक संबंध है, धारा १७ (४) (ग) में उन विनिमयपत्रों तथा हुंडियों का उल्लेख है जिन्हें बैंक खरीद सकता है या जमा कर सकता है। कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिये १५ महीनों की समय-अवधि की व्यवस्था है ।

श्री दाभी : क्या मैं यह समझूं कि माननीय मंत्री ने जो दर बताई है वह वो दर है जो काश्तकारों से ली जायेगी ?

श्री एम० सी० शाह : रक्षित बैंक राज्य सहकारी बैंकों से १ १/२ प्रतिशत लेगी . . .

श्री दाभी : मैं काश्तकारों से ली जाने वाली दर जानना चाहता हूं ।

श्री एम० सी० शाह : यह अनुमानतः ६ १/४ प्रतिशत व ७ प्रतिशत के बीच है ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या कृषि सम्बन्धी कार्यों की अर्थव्यवस्था करने के लिये ष सम्बन्धी अनुसूचित बैंक हैं ?

श्री एम० सी० शाह : जी नहीं ।

श्री बी० के० दास : इन दो दरों में इतना अन्तर क्यों है एक ६ १/४ प्रतिशत है और दूसरी १ १/४ प्रतिशत ?

श्री एम० सी० शाह : सदन में पहले बताया जा चुका है कि रक्षित बैंक जो रुपया देता है वह बहुत थोड़ा होता है और उसे अन्य सूत्रों का रुपया जमा करना होता है जिस पर उसे बहुत अच्छी दर के हिसाब से ब्याज देना पड़ता है । सहकारी बैंकों को रुपया देने के लिये उस ने ब्याज की इन दरों का औसत निकाल लिया है ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि अभी हाल में बम्बई कारपोरेशन को भी ऋण दिया गया है ? यदि हां, तो वह किस काम के लिये दिया गया है ?

श्री एम० सी० शाह : बम्बई कारपोरेशन (निगम) का इस से कई सम्बन्ध नहीं वह दूसरी बात है । ऋण दिया गया है, परन्तु दूसरे कार्यों के लिये ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): मैं ब्याज की दर के बारे में कुछ और बता दूं। यह ब्याज प्रान्तीय सहकारी बैंकों से लिया जाता है, और इन्हें इस में अपना प्रबन्ध व्यय आदि जोड़ना होता है, जो १ १/२ या २ प्रतिशत आता है, फिर यह राशि केन्द्रीय बैंक जाती है, वहां से सहकारी समितियों को

जाती है और काश्तकार तक पहुंचते पहुंचते उस में यह सब व्यय जुड़ जाता है। इसी की वजह से दर ६ १/४ प्रतिशत पड़ती है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि इन दो दरों में इतना अन्तर क्यों है ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह तो रहेगा ही जब तक इन बैंकों का प्रबन्ध-व्यय कम नहीं होता।

श्री दाभी : क्या काश्तकारों को दिये जाने वाले पेशगी रुपये पर कोई सीमा है ?

श्री एम० सी० शाह : रक्षित बैंक सहकारी बैंक को रुपया देता है, और फिर केन्द्रीय सहकारी बैंक से वह जिला सहकारी बैंक जाता है जो फिर प्रान्तीय सहकारी समितियों को देता है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि क्या इस पेशगी रुपये पर कोई अधिकतम सीमा है ?

श्री एम० सी० शाह : हम केन्द्रीय सहकारी बैंको के लिये सीमा निर्धारित करते हैं। जिला सहकारी बैंकों के लिये सीमा निश्चित करना केन्द्रीय सहकारी बैंकों का काम है। यह क्रम इसी प्रकार आगे चलता है।

श्री हेडा : लोगों में ऐसी भावना है कि ये ऋण केवल बड़े काश्तकारों को ही दिये जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या छोटे काश्तकारों को भी ऋण मिलता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या रक्षित बैंक का हर व्यक्ति को दिये जाने वाले ऋण पर नियंत्रण है ?

श्री एम० सी० शाह : जी नहीं।

अनुसंधान तथा प्रकाशन समिति

*१३१३. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की अनुसंधान तथा प्रकाशन समिति की बैठक अगस्त १९५३ के अन्तिम सप्ताह में भारत के राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय में हुई थी ?

(ख) भारत के राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय में इस समय कौन कौन से नक्शे उपलब्ध हैं ?

(ग) प्राप्य भाषाओं के अभिलेख प्रकाशित करने के कार्यक्रम में कहां तक प्रगति हुई है ?

(घ) बैठक में मुख्यत: किन किन विषयों पर चर्चा हुई थी ?

(ङ) मद्रास राज्य का प्रतिनिधि कौन था ?

प्रकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां।

(ख) वे नक्शे और खाके जो भारत के पुरालेख संग्रहालय के पास हैं।

(ग) प्राप्य भाषाओं के अभिलेखों के दो अंक--बंगाली और संस्कृत के--अब तक प्रकाशित हो चुके हैं।

(घ) जिन विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई थी उन का संबंध निम्नलिखित बातों से था :

(१) राष्ट्रीय पुरालेख संग्राहालय के प्रकाशन कार्यक्रम में शीघ्रता करने के उपाय;

(२) सामान्य लोगों के पास जो अभिलेख हैं उन का पर्यालोकन; तथा

(३) भारत के राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय में तथा राज्य अभिलेख कार्यालयों

में जो नक्शे और खाके हैं उन की सूची का प्रकाशन ।

(ङ) डा० बी० एस० बालिगा, परिरक्षक (क्यूरेटर) मद्रास अभिलेख कार्यालय ।

श्री मुनिस्वामी : पुरालेख संग्रहालय में यह अभिलेख किस तरह से रखे जाते हैं—ऐतिहासिक, 'लिथोग्राफिकल' या भाषा के आधार पर ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे लिये यह बतलाना बहुत कठिन है कि अभिलेख किस तरह रखे जाते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो वही बात हुई कि स्वास्थ्य मंत्री से पूछा जाये कि आप्रेशन कैसे होता है ।

श्री टी० के० चौधरी : मेरा सुझाव यह है कि माननीय सदस्य को पुरालेख-संग्रहालय में आमन्त्रित किया जाये ।

श्री मुनिस्वामी : अभिलेख प्रकाशित करते समय क्या सरकार तंजोर महल तथा अन्य कुछ स्थानों के महत्वपूर्ण पुराने पुस्तकालयों में उपलब्ध अभिलेखों को ध्यान में रखती है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां । हमारी पुराने पुस्तकालयों में जितने अभिलेख हैं वे सब हमारे ध्यान में हैं ।

स्वयंचलित ताप नियत्रिण यूनिट

*१३१४. **श्री तेलकीकर** : (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में तैयार किया गया 'स्वयंचलित ताप नियंत्रण यूनिट' एक ऐसा यंत्र है, जिस से कंकरीट के बड़े बड़े ढ़ांचों में केवल ताप-वृद्धि का पता चल सकता है या वह इन ढ़ांचों के ताप को अपने ही आप नियंत्रित रखता है ?

(ख) इसका वैज्ञानिक अथवा वाणिज्य महत्व क्या है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) स्वयंचलित ताप नियंत्रण यूनिट एक वैज्ञानिक माप व नियंत्रण यंत्र है जो 'ऐडिबेटिक हालतों' में ताप के अन्तर का पता लगाने के लिये तैयार किया गया है । यह कंकरीट के ढ़ांचों में ताप की वृद्धि को न तो नियंत्रित करता है, ना ही रोकता है ।

(ख) एक वैज्ञानिक नियंत्रण प्रयोगशाला के लिये यह एक लाभदायक माप-यंत्र होगा ।

'ऐडियेबेटिक हालतों' से अभिप्राय ऐसी भौतिक दशा से है जिस में चारों ओर के वातावरण से ताप में वृद्धि या कमी नहीं होती ।

श्री तेलकीकर : क्या इसको चलाने के लिये इसी की क्षमता काफ़ी होती है या बाहरी विद्युत की जरूरत पड़ती है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह एक स्वयचलित नियंत्रण यूनिट है । यह एक वैज्ञानिक माप यंत्र है जिसे कंकरीट के बड़े बड़े ढांचों में ताप वृद्धि मालूम करने के लिये तैयार किया गया है ।

श्री तेलकीकर : क्या इसे बड़ी बड़ा इमारतों के सम्बन्ध म ही काम म लाया जा सकता है या कंकरीट की छोटी छोटी इमारतों के लिये भी ?

श्री के० डी० मालवीय : इस यूनिट का उद्देश्य बड़े बड़े बांधों के ताप में अन्तर का पता लगाना था । इसे विशेष रूप से भाखरा नांगल बांध निर्माण के सम्बन्ध में बनाये गये कंकरीट के बड़ बड़े ढांचों में तापमान का पता लगाने के लिये तैयार किया गया था ।

डा० जे० बी० नाश

*१३१६. **श्री बुच्चिकोटैय्या** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि अमरीका के शारीरिक शिक्षा के प्राध्यापक डा० जे० बी० नाश अभी हाल में भारत वर्ष आये हैं ;

(ख) उनके भ्रमण के मुख्य मुख्य कार्य क्या हैं ; और

(ग) वे किस प्रकार से हमारे यहां विश्वविद्यालयों तथा कालिजों की सहायता करेंगे ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). डा० नाश के भ्रमण का मुख्य उद्देश्य यहां भाषण देना, अनुसंधान और शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम में सुधार सम्बन्धी परामर्श देना है ।

श्री बुच्चिकोटैय्या : क्या मैं जान सकता हूं कि उनको किसने आमंत्रित किया था--केन्द्रीय सरकार ने अथवा किसी निजी संघ नें ?

श्री के० डी० मालवीय : अमरीका में 'फुलब्राइट' कार्यक्रम के अन्तर्गत यह निमंत्रण डा० नाश को दिया गया था ।

श्री मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हमारे देश की शारीरिक शिक्षा अमरीका की शिक्षा के आधार पर है ?

एक माननीय सदस्य : रूस के आधार पर ।

श्री टी० के० चौधरी : 'फुलब्राइट' योजना का ठीक प्रबन्ध क्या है जिसके अनुसार प्राध्यापक तथा विद्यार्थी आमंत्रित किये जाते हैं अथवा उनको बाहर भेजा जाता है ?

श्री के० डी० मालवीय : भारत सरकार तथा 'फुलब्राइट' प्राधिकारियों के बीच एक समझौता है जिसके अनुसार अध्यापकों एवं विद्वानों का विनिमय किया जाता है । वे यहां हमारी सहायता करने आते हैं तथा हम अपने व्यक्तियों को अमरीका भेजते हैं ताकि वे वहां जाकर कुछ सीखें ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या किसी आयोग अथवा समिति ने जिसने कि शारीरिक शिक्षा के प्रश्न की जांच की थी, ऐसी सिफारिश की थी कि हमें अमरीका के किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां । विभिन्न राज्य सरकारों की तथा कुछ विशेषज्ञों की जांच के आधार पर ऐसा प्रतीत हुआ कि संभवतः ऐसे विद्वान पुरुष की हमें आवश्यकता है जो परामर्श दे सके ।

श्री जयपाल सिंह : 'फुलब्राइट' योजना के अन्तर्गत भारतीय खेलों का कोई विशेषज्ञ क्या अमरीका जाने के लिये आमंत्रित किया गया है ?

श्री के० डी० माललीय : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री नाना दास : शारीरिक शिक्षा की वे कौन कौन सी संस्थायें हैं जिनका निरीक्षण डा० नाश ने किया है ? क्या मैं जान सकता हूं कि विजयवाड़ा स्थित शारीरिक विद्या की संस्था का निरीक्षण उन्होंने किया है ?

श्री के० डी० मालवीय : वे अभी आये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी संस्थायें उन्हें आमंत्रित करेंगी ।

श्री के० डी० मालवीय : वे अभी आये हैं और आज कल देहली विश्वविद्यालय में भाषण कर रहे है ।

श्री पी० सी० बोस : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कोई भारतीय प्राध्यापक इस योजना के अन्तर्गत अमरीका गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : मैंने अभी कहा है कि 'नहीं'।

राष्ट्रीय स्मारक

*१३१७. **श्री तेलकीकर:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्न-लिखित राष्ट्रीय स्मारकों को जिनको कि भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने हैदराबाद सरकार से लेकर अपने अधिकार में कर लिया है उनमें से प्रत्येक का क्या महत्व एवं उसकी क्या क्या विशेषतायें हैं ?

(१) प्राचीन टीला, पेथन, जिला औरंगाबाद

(२) प्राचीन टीला, कोदांपुर, जिला मेडक

(३) प्राचीन टीला, कोयबल, जिला रायचूर

(४) प्राचीन टीला, मस्की, जिला रायचूर

(५) प्रागैतिहासिक स्थान, इवाथाली, जिला गुलबर्ग

(६) प्रागैतिहासिक स्थान, रनजन्कालूर, जिला गुलबर्ग

(७) प्रागैतिहासिक स्थान बुन्कल जिला रायचूर

(८) प्रागैतिहासिक स्थान, जन्मपेट, जिला वारंगल ।

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनु-सन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : सदन पटल पर विवरण प्रस्तुत है। **[देखिए परिशिष्ट ६ अनूबन्ध संख्या ३४]**

श्री तेलकीकर ; क्या किसी मंदिर अथवा स्तूप के पानी की भी कोई संभावना है जैसा कि भूपाल राज्य के सांची नामक स्थान में मिले हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे कोई ज्ञान नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस को एक तारांकित प्रश्न के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिये था ।

देहली पोलीटेकनिक

*१३१८. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि देहली पोलीटैकीनक के पाठ्यक्रम जनवरी १९५३ में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये और जब कि परीक्षायें मार्च १९५३ में हुई ?

(ख) कितने विद्यार्थी ऐसी परीक्षाओं में बैठे जिन्हों ने कि वे विषय लिये थे जिन में कि महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये थे ?

(ग) उन में से कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए ?

(घ) स्कूल की पढ़ाई के वर्ष के अन्त में पाठ्य चारिका तथा पाठ्यक्रम में ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्यों किये गये हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनु-संधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) स्नातकों के लिये इंजीनियरिंग, वस्त्र प्रौद्योगिकी, केमीकल इंजीनियरिंग तथा स्थापत्य पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन जनवरी १९५३ में किये गये थे। अतएव इन विषयों की वार्षिक परीक्षायें जून १९५३ के लिये स्थगित कर दी गई ।

(ख) तथा (ग). वांछित जानकारी से सम्बन्धित विवरण सदन पटल पर प्रस्तुत है ।

(घ) देहली विश्वविद्यालय अधिनियम मई १९५२ से लागू हुआ था, और प्रौद्योगिक फैकल्टी जिसे इस अधिनियम के अन्तर्गत इन कक्षाओं के लिये पाठ्यक्रम बनाना था, विश्वविद्यालय द्वारा सितम्बर १९५२ से पहिले नहीं बनाई जा सकी ।

विवरण

पाठ्यक्रमों के नाम	विद्यार्थियों की संख्या			
	परीक्षा में बैठे	उत्तीर्ण	पूरक परीक्षाओं में उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण
(१) इंजीनियरिंग स्नातक	५९	४५	११	३
(२) केमीकल इंजीनियरिंग स्नातक	३०	१४	११	५
(३) स्थापत्य स्नातक	३०	२०	७	३
(४) टेक्सटाइल टेक्नोलोजी स्नातक	३२	६	७	१९

श्री एम० एल० द्विवेदी० क्या यह सच है कि जो विद्यार्थी इस सिलेबस के आखिर में बनाने की वजह से फेल हो गये थे, उन को अब आगे के दरजे में बढ़ाया जा रहा है और उन का नवम्बर में इम्तहान होगा। अगर होगा तो क्या यह सब सबजैक्ट्स में होगा, या उन विषयों में होगा जिन में वे फेल हो गये थे ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : मैं यह तो ठीक प्रकार से कह नहीं सकता किन्तु नवम्बर में एक पूरक परीक्षा होगी। विश्व-विद्यालय में यह स्वीकार कर लिया है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अभी तक पोलोटकनिक में दूसरे साल का सिलेबस तैयार नहीं हुआ है और उस में भी तबदीली हुई है ?

मौलाना आजाद : नहीं। और कोई तबदीली नहीं हुई है। वह तबदीली सिर्फ इन्हीं तीन में हुई है जिन के बारे में आप न सवाल किया।

रक्त प्रस (ब्लड प्लस्मा)

*१३१९. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असैनिक जनता के प्रयोग के लिये संघ रक्षा मंत्रालय द्वारा मंगाई गई शुष्क रक्त प्रस की ८००० फालतू बोतलों का संभरण राज्य में विभाजित कर दिया गया है ?

(ख) यदि हां तो किन किन राज्यों को तथा प्रत्येक को कितनी कितनी बोतलें मिली हैं ?

(ग) इन बोतलों का प्रयोग किस प्रकार किया जायगा ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) तथा (ख). विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली परिमात्रा बताने वाला विवरण सदन पटल पर रखा है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३५**] प्राथमिकता के आधार पर उन्हें भेजने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं ?

(ग) यह मामला तो राज्य सरकारों से सम्बन्धित है। सामान्यरूप से तो इन का प्रयोग मानसिक घटना, जलना तथा बड़े बड़े चीर फाड़ के मामलों में किया जाता है।

श्री एम० एल० द्विवेदी: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ब्लड प्लास्मा की एक बोतल का क्या दाम होता है और जो स्टाफ को अब तक दिया है उस का कितना मूल्य है ?

सरदार मजीठिया: कुल मूल्य, रक्त-दाता को ५।।) की एक बोतल देने के अतिरिक्त २०) आता है, अतएव उस का कुल मूल्य २५।।) हो जाता है। राज्य सरकारों को यह रक्त प्रस मुफ्त दिया गया है। प्रासंगिक रूप से मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि वितरित किये गये रक्त प्रस का मूल्य २ लाख रुपया है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसा बयान में दिया हुआ है कि राज्यों की ओर से जो मांग की गई है, वह २०१३४ की है और जो गवर्नमेंट ने उस को देना तय किया है वह ७९९५ बोतलें हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि .....

उपाध्यक्ष महोदय : कितने सवाल आप एक में एक मिलाते जा रहे हैं ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : विवरण में दी गई संख्या का हवाला दे रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं सभी प्रश्नों को एक साथ पूछे जाने की आज्ञा दे सकता हूं ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राज्यों की सभी मांग को पूरा कर सकेगी । प्रश्न यह है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने प्रश्न अब बड़े संक्षिप्त रूप से रखा है । उन्हों ने पहले ऐसा क्यों नहीं किया ?

सरदार मजीठिया : सभी मांग को पूरा करना संभव नहीं है, क्यों कि हमारे पास केवल ८ हजार बोतलें फालतू थीं और विवरण के अनुसार हम ने ७९९५ बोतलें बांट दी हैं अब हमारे पास केवल ५ बोतलें रह गई हैं ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि कितनी कीमत का ब्लड प्लास्मा हर प्रान्तों को भेजा गया तथा कितनों को और भेजा जाने वाला है ?

सरदार मजीठिया : जहां तक प्रश्न के पूर्वार्द्ध का प्रश्न है उस का उत्तर विवरण में विहित है । उतरार्द्ध के विषय में—हम ने पूरी मात्रा पंजाब, बम्बई, मध्य प्रदेश, हैदराबाद राजस्थान, अजमेर, विन्ध्य प्रदेश और त्रिपुरा को भेज दी हैं । मैं आशा करता हूं कि परसों तक शेष सभी मात्रा भी चली जायेगी ।

डा० एम० एम० दास: प्रश्न से पता चलता है कि असैनिक जनता के प्रयोग के लिये केवल ८००० बोतलों के मंगाने की आज्ञा दी गई थी । मैं यह जानना चाहता हूं कि असैनिक जनता के प्रयोग के लिये ये दवाइयां रक्षा विभाग द्वारा क्यों मंगाई थीं ?

सरदार मजीठिया : यह बात नहीं है । यह रक्त प्रसस हमारी आवश्यकता से अधिक था अतएव इसे हम ने असैनिक जनता के उपभोग के लिये दे दिया ।

डा० एम० एच० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि यह रक्त प्रसस किस देश से आयात किया गया है ?

सरदार मजीठिया : इस समय यह बताना कठिन है क्योंकि कुछ समय हुआ तब यह प्रसस बचा था, और अब मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि सदन को यह बता सकूं कि यह किस देश से आयात किया गया था ।

श्री पुन्नुस : क्या रक्षा मंत्रालय की प्रसस को भारतवर्ष में बनाने की कोई योजना है ?

सरदार मजीठिया : सभी सैनिक आवश्यकताओं के लिये रक्त प्रसस हम आजकल इस देश में बना रहे हैं ।

माध्यमिक शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन

*१३२१. **श्री ए० एम० टामस**: क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) माध्यमिक शिक्षा आयोग के हाल के प्रतिवेदन की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार का क्या पग उठाने का विचार है;

(ख) क्या तुरन्त कोई पग उठाने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो ये क्या हैं ?

प्राकृतिक संसाधान तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) से (ग). सब से पहले माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन को केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड की नवम्बर १९५३ में नई दिल्ली में होने वाली बैठक में उस के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा । इस के पश्चात् बोर्ड की सम्मत्ति पर भारत सरकार विचार करेगी और अन्त में बोर्ड की जो सिफारिशें स्वीकार की जायेंगी उन पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री ए० एम० टामस : मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिये, विश्वविद्यालय आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये किये गये सम्मेलन के समान ही कोई सम्मेलन करने का विचार है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस सुझाव पर विचार किया जायेगा ।

श्री ए० एम० टामस : केन्द्र द्वारा सहायता दे कर अध्यापकों की नियुक्ति इत्यादि के द्वारा पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में शिक्षितों की बेकारी को दूर करने के लिये सरकार का कुछ पग उठाने का विचार है। मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार का योजना में इस परिवर्तन और माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों के बीच समन्वय स्थापित करने का इरादा है ?

श्री के० डी० मालवीय : अध्यापकों की नियुक्ति के द्वारा बेकारी की समस्या को हल करने के सम्बन्ध में हाल में घोषित योजना का सरकार के समक्ष विचार के लिये प्रस्तुत माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन से कोई अधिक सम्बन्ध नहीं है ।

श्री ए० एम० टामस : उदाहरण के लिये माध्यमिक शिक्षा आयोग की एक सिफारिश यह है कि माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन के लिये राज्यों तथा केन्द्र में मंत्रिमंडल के स्तर पर और निम्न स्तर पर समन्वय समितियां स्थापित की जायें और अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये एक बोर्ड बनाया जाये । क्या केन्द्र का इस विषय में कोई पहल करने का विचार है ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं प्रतिवेदन को पढ़ूंगा। अभी मुझे माननीय सदस्य से यह जानकारी मिल गई है।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार ने राज्य सरकारों को ऐसी कोई मंत्रणा दी है कि जब तक केन्द्रीय सरकार इन सिफारिशों की परीक्षा न कर ले और इन्हें अन्तिम रूप न दे दे तब तक वे माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन न करें ।

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन व वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : जी हां ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : क्या माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन की प्रतियों को सदन के सदस्यों में बांटने का विचार है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह पुस्तिका समूल्य है । माननीय सदस्य इस की प्रतियां खरीद सकते हैं ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग और आठ भारतीय तथा विदेशी शिक्षा विशेषज्ञों के मध्य जिन्हें कि माध्यमिक स्कूल शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करने के लिये विदेश भेजा जा रहा है, क्या सम्बन्ध है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या ८ शिक्षा विशेषज्ञों को भजने का कोई प्रस्ताव है ? माननीय सदस्य ने यह कल्पना कर ली है कि ८ शिक्षा विशेषज्ञों को विदेशों की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करने के लिये भेजने का कोई प्रस्ताव है । उन के भेजे जाने और इस प्रतिवेदन में क्या सम्बन्ध है ? क्या यह किसी सिफारिश पर आधारित है ?

मौलाना आजाद : इन दोनों में कोई कनक्शन नहीं है। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। कमीशन इस लिये बैठाया गया था कि सेकेन्डरी ऐजुकेशन के बारे में तहकीकात करे। चुनांचे, उस की रिपोर्ट आ गई है। यह ८ आदमियों वाला बोर्ड इस बारे में कुछ नहीं करेगा। यह सेकेन्डरी स्कूलों के टीचरों को तालीम के नये तजुर्बों पर लेक्चर्स देगा।

प्रो० डी० सी० शर्मा : मैं जान सकता हूं कि माध्यमिक शिक्षा प्रणाली के प्रतिवेदनों के दो दो बार तैयार होने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है। आचार्य नरेन्द्र देव का प्रतिवेदन है, बम्बई का प्रतिवेदन है, ...

उपाध्यक्ष महोनदय : माननीय सदस्य को इन की सूची बतलाने की आवश्यकता नहीं।

प्रो० डी० सी० शर्मा : सरकार इन सब प्रतिवेदनों में समनन्य कैसे स्थापित करेगी ?

उपाध्यक्ष महादय : वे इन सब चीजों पर विचार कर रहे हैं।

श्री के० डी० मालवीय : शिक्षा कोई केन्द्रीय विषय नहीं है। राज्यों को अपनी निजी समस्याओं को हल करने के लिये अपनी समितियां नियुक्त करने की पूर्ण स्वच्छन्दता है। हम तो यह आयोग बना कर केवल उन की सहायता कर रहे हैं। ज्योंही हम कोई निश्चय करेंगे हम अपने निश्चय को सिफारिशों के रूप में उन के पास भेज देंगे।

श्री फीरोज गांधी : मैं कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता। मैं केवल एक सुझाव देना चाहता हूं।

कुछ माननीय सदस्य : कोई सुझाव देने की आवश्यकता नहीं।

उपाध्यक्ष महोय : मुझे आशा है कि माननीय सदस्य कार्यार्थ कोई सुझाव नहीं दे रहे हैं।

श्री फीरोज गांधी : यह सभापति महोदय के लिये है, मंत्री महोदय के लिये नहीं। मेरा यह सुझाव है कि कागज पर छपे हुए मुख्य प्रश्न का तो उपमंत्री-जी उत्तर दे सकते हैं। किन्तु, क्योंकि सदस्यगण इस में इतनी अधिक रुचि रख रहे हैं अतः अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर मंत्री जी दे सकते हैं।

मौलाना आजाद : बिला जरूरत मैं बार बार क्यों उठूं। जहां जरूरत होती है वहां जवाब दे देता हूं।

श्री गिडवानी : एक डिप्टी मिनिस्टर और बढ़ा दीजिये।

श्री सी० भट्ट : मैं जान सकता हूं कि क्या भोजन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों ने माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन को दृष्टिगत कर के बेकारी की समस्या का सामना करने के लिये अपनी सिफारिशें भेजी हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे भय है कि सरकार इस समय प्रतिवेदन में प्रकाशित किसी चीज के सम्बन्ध में कोई वचन नहीं दे सकती। मैं माननीय सदस्य को कुछ समय प्रतीक्षा करने की सलाह दूंगा।

श्रीमती ए० काले : मैं जान सकती हूं कि जिन आठ व्यक्तियों को माध्यमिक शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करने के लिये विदेश भेजा जा रहा है क्या उन में आप ने किसी महिला को भी सम्मिलित किया है ?

मौलाना आजाद : जी हां।

श्री श्यामनन्दन सहाय : माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में न केवल विदेश जाने के लिये अपितु इस देश के विभिन्न प्रान्तों और राज्यों में भी घूमने के लिये यह जो नई समिति बनाई गई है उस का मुख्य काम क्या होगा ?

हमारे मन में कुछ भ्रम है। अतः हम इस विषय को स्पष्ट करवाना चाहते हैं।

मौलाना आजाद : दोनों में कोई ताल्लुक नहीं है । यह वही आठ मेम्बरों वाली पार्टी है । इस में चार बाहर के एक्सपर्ट हैं और चार हिन्दुस्तान के । इन का काम यह होगा कि यह स्कूलों के उस्तादों और हैडमास्टरों को तालीम के नये तजुरबों और नये तरीकों पर लैक्चर दें। इन का कोई ताल्लुक सैकंडरी एजुकेशन की तहकीकात से नहीं है ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : श्रीमान् क्या मैं यह समझूं कि इस नई समिति के किसी सुझाव की प्रतीक्षा किये बिना माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों को अविलम्ब क्रियान्वित कर दिया जायेगा ?

मौलाना आजाद : जी हां, जरूर ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस में प्रतीक्षा करने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

श्री धुलेकर : मैं यह जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने इस बात पर क्यों नहीं गौर किया कि जो रिपोर्ट पहले आये उस पर पहले गौर किया जाय और उस के बाद इस एक्सपर्ट कमेटी को गवर्नमेंट अपनी जो बातें हैं उन को बतला कर फिर भेजे ?

मौलाना आजाद : दोनों में कोई ताल्लुक नहीं है । कमीशन इसलिये बिठाया गया था कि सैकंडरी एजुकेशन के पूरे फील्ड का सर्वे करे और बतलायें कि इस में कोई तबदीली होनी चाहिये या नहीं । और अगर होनी चाहिये तो वह क्या क्या तबदीलियां हैं । यह आठ मैम्बरों वाली जो पार्टी है यह सिर्फ तालीम के मसले पर टीचरों को लैक्चर देगी । जैसा कि मैं दोबारा हाउस की तवज्जह दिला चुका हूं इस पार्टी का कोई ताल्लुक सैकंडरी एजुकेशन की तहकीकात से नहीं है ।

श्री ए० एम० टामस : इस आयोग की कुछ सिफारिशों का विश्वविद्यालय की शिक्षा से गहरा सम्बन्ध है । मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार का विश्वविद्यालय विधेयक का प्रारूपण करते समय इन सिफारिशों पर भी विचार करने का इरादा है ?

मौलाना आजाद : हां, गवर्नमेंट इस पर भी गौर करेगी ।

इंगलैण्ड के बैंकों में हैदराबाद का धन

*१३२३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **राज्य मंत्री** ३० जुलाई १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २३४४ के उत्तर की ओर निर्देश करेंगे और बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विधि परामर्शदाताओं ने वेस्ट-मिन्स्टर बैंक में जमा १,००७,९४० पौंड की उस धन राशि से संबंधित मामले की जांच कर ली है, जो अवैध रूप से श्री मोइन नवाज जंग द्वारा पाकिस्तान उच्च आयुक्त के खाते में स्थानान्तरित करदी गई थी; और

(ख) यदि नहीं, तो परामर्श देने में यह असाधारण विलम्ब क्यों हुआ है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) और (ख). इस मामले के लिये जो परामर्शदाता रखा गया था, उस की राय प्राप्त हो गई है और विचाराधीन है ।

श्री विठ्ठल राव : श्रीमान् क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि हैदराबाद सरकार के उन भूतपूर्व मंत्रियों द्वारा जो पुलिस कार्यवाही के आरम्भ होने के तत्काल पूर्व हैदराबाद छोड़ कर चले गये थे, इस धन राशि का कुछ अंश निकाल लिया गया है और उस का उपयोग कर लिया गया है ?

डा० काटजू : मैं इस प्रश्न की पूर्व सूचना चाहता हूं । जहां तक मुझे ज्ञात है, दो धन राशियां दो बैंकों, बर्कलेज़ बैंक और वेस्ट-मिन्स्टर बैंक, में हैं ।

श्री नानादास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रकार के धन के अवैध स्थानान्तरण को रोकने के लिये क्या पूर्वोपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है ?

डा० काटजू : इस प्रश्न का सम्बन्ध दो विशिष्ट मदों से है। मुझे नहीं पता कि क्या मेरे माननीय मित्र एक तीसरी और चौथी मद के विषय में सोच रहे हैं। मैं उन तीसरी और चौथी मदों के विषय में नहीं जानता।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने पाकिस्तान उच्चायुक्त की भारत में स्थित आस्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? कहा जाता है कि उन की कुछ आस्तियां भारत में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या पाकिस्तान उच्चायुक्त हैदराबाद के निवासी हैं ?

श्री के० के० बसु : समाचारपत्रों में यह प्रकाशित हुआ था कि भारत में उन की काफी आस्तियां हैं। अतः उस को पुनः प्राप्त करना संभव हो सकता है।

डा० काटजू : मेरे माननीय मित्र स्वयं एक अत्यन्त अनुभवी वकील हैं, और इसलिये मैं इस सुझाव पर ध्यान दूंगा और इस की जांच करवाऊंगा। यह कुछ चौंका देने वाली बात लगती है . . . .बस इतना ही है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हेडा।

श्री पुन्नुस खड़े हुए—

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने श्री हेडा का नाम पुकारा है। वे व्यक्ति जो हैदराबाद से आते हैं।

श्री हेडा : श्रीमान् क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने हैदराबाद सरकार को इस लगभग १ १/२ करोड़ रुपये की भारी धनराशि के एवज में कोई ऋण दिया है ?

डा० काटजू : केन्द्रीय सरकार ने ऋण दिये हैं लेकिन विशेष मदों के एवज़ में ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। अच्छा हो कि आप अपना प्रश्न वित्त मंत्री को संबोधित करें।

श्री टी० एन० सिंह : उन ब्रिटिश बैंकों में इस लेखा की स्थिति क्या है ? क्या वे रोक रखे गये हैं अथवा क्या पाकिस्तान उच्चायुक्त इस लेखा को चालू कर सकता है ?

डा० काटजू : मुकदमे दायर कर दिये गये हैं और मैं समझता हूं कि, बैंक बिना न्यायालय की अनुमति के एक भी पैसा नहीं देंगे। वे उस के लिये उत्तरदायी होंगे।

श्री श्यामानन्दन सहाय : क्या सम्बन्धित बैंकों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा कोई निरोधाज्ञा जारी की गई है। एक महान और प्रमुख वकील के रूप में माननीय मंत्री कदाचित् इस बात को मानेंगे कि एक निरोधाज्ञा के बिना बैंक उस के लिये कोई उत्तरदायित्व नहीं लेते।

डा० काटजू : मेरे ही समान माननीय सदस्य को भी यह ज्ञात है कि जब एक मुकदमा दायर किया जाता है, तो सुसंगत तिथि वह होती है जब कि मुकदमा दायर किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें विधि के प्रश्न में जाने की आवश्यकता नहीं है। सीधा प्रश्न यह है कि क्या बैंक को कोई निरोधाज्ञा दी गई है।

डा० काटजू : मुझे नहीं ज्ञात है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री को नहीं मालूम।

डा० काटजू : श्रीमान्, मैं ने यही बात कही थी।

श्री जोकीम आल्वा : क्या हमारे वकीलों ने हमें इस बात की सूचना दी है कि मुकदमे की कार्यवाही में कितना समय लगेगा ?

डा० काटजू : मुकदमे में निलम्बित हैं और उन में विलम्ब इस लिये किया गया था क्योंकि कुछ वारंटों की तामील नहीं हुई थी और कुछ वैधानिक कठिनाइयां थीं। परामर्शदाता की राय अब प्राप्त हो गई है। एक मुकदमे में कुछ निदेश भेजे गये हैं, और दूसरे मुकदमे से सम्बन्धित विषय यहां पर विचाराधीन है।

सेठ गोविन्द दास खड़े हुए--

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब किसी और प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा।

अमरीकी शिक्षण प्रतिष्ठान

*१३२४. **डा० रामसुभग सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने भारतीय स्कूलों के प्रशिक्षित अध्यापकों तथा प्रधान अध्यापकों को विशेष अध्ययन की सुविधा देने के अमरीकी शिक्षण प्रतिष्ठान के कार्यक्रम का अनुमोदन किया है;

(ख) क्या उन पाठ्क्रमों में प्रशिक्षण देने के लिये उक्त शिक्षण प्रतिष्ठान के तत्वावधान में अमरीका के कुछ शिक्षा शास्त्री और अध्यापक भारत में आये हैं; और

(ग) वे पाठ्यक्रम कहां पर पढ़ाये जायेंगे और उन की अवधि कितनी होगी ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) हां।

(ख) हां।

(ग) (१) पूर्वी भारत क्षेत्र के लिये पटना प्रशिक्षण कालेज, पटना।

(२) केन्द्रीय तथा उत्तरी भारत क्षेत्र के लिये प्रांतीय शिक्षण महाविद्यालय, जबलपुर।

(३) पश्चिमी तथा उत्तरी भारत क्षेत्र के लिये अध्यापक प्रशिक्षण कालेज, बड़ौदा।

(४) दक्षिण भारत क्षेत्र के लिये अध्यापक कालेज, मैसूर।

ऐसा कार्यक्रम बनाया गया है कि प्रत्येक केन्द्र में पाठ्यक्रम की अवधि आठ सप्ताह होगी।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्, क्या मैं इस योजना को चलाने के लिये भारत सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा अपने ऊपर लिये जाने वाले आभार जान सकता हूं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : हिन्दुस्तान में यू० एस० का एक एजुकेशन फाउंडेशन है। यह तजवीज इस की तरफ से आई थी। जब स्टेट गवर्नमेंटों को लिखा गया तो उन्हों ने इसे पसन्द किया। इस के लिये खर्च का बोझ हम पर नहीं पड़ेगा। सिवाय इस थोड़े से खर्चे के जो वहां रहने में पेश आये।

डा० राम सुभग सिंह : किन किन विषयों की शिक्षा उन केन्द्रों में शिक्षकों को दी जायेगी ?

श्री के० डी० मालवीय : यह सेकेन्डरी ऐजुकेशन के संबंध में है। जो आज कल आधुनिक ज्ञान दुनिया भर में प्राप्त हुआ है, उस का अनुभव प्राप्त कराने के लिये बाहर से लोग आ रहे हैं।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक पाठ्यक्रम का सम्बन्ध है क्या उस को तय कर दिया गया है या तय किया जाने वाला है ?

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक मैं समझता हूं उस का पाठ्यक्रम तय हो गया है।

जो आ रहे हैं उन्हों ने उस के बारे में अपना निश्चय कर लिया है ।

कुमारी एनो कस्क्रोन : श्रीमान्, मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार का देश में विदेशियों के आगमन को रोकने तथा देशी योग्य व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने का कोई विचार है ?

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक बाहर से ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त करने के हमारे प्रयत्न का सम्बन्ध है, जो हमें कुछ पढ़ा सकते हैं अथवा जिन से हम कुछ सीख सकते हैं, मैं समझता हूं कि यह प्रश्न बहुत सुसंगत नहीं है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान्, क्या मैं जान सकती हूं कि उन को प्राप्त करने का विशेष उद्देश्य क्या है ? क्या वे हमें कोई ऐसा विशेष नया विषय पढ़ाने जा रहे हैं जिस पर अनुसन्धान चल रहा है ? अन्यथा, और क्या उद्देश्य है ?

श्री के० डी० मालवीय : जैसा कि मैं ने कहा, अपने अध्यापकों तथा स्कूल प्रशासकों को माध्यमिक शिक्षा में हुए नवीनतम विकासों के सम्पर्क में लाने का विचार है ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि पाठ्यक्रम को अन्तिम रूप हमारे अधिकारीगण देते हैं अथवा यह काम उस प्रतिष्ठान के ऊपर छोड़ दिया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय : स्वभावतः, प्रतिष्ठान के लोगों का कहना माना जाता है ।

मौलाना आजाद : यह एक मिली जुली पार्टी है जिस में कुछ मेम्बर बाहर के हैं और कुछ हिन्दुस्तानी हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : इन केन्द्रों को चलाने में भारत सरकार का कोई नियंत्रण रहेगा या नहीं ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, भारत सरकार के सलाह मशविरे से चार केन्द्र बनाये गये हैं । पटना का केन्द्र तो परसों से चालू हो गया है ।

डा० राम सुभग सिंह : उस पर किस का नियंत्रण रहेगा, राज्य सरकार का या केन्द्रीय सरकार का या किसी का बिल्कुल नहीं है ?

श्री के० डी० मालवीय : प्रान्तीय सरकार ने ही उस का संगठन किया है । उन्हीं के सलाह मशविरे से उसे कायम किया गया है और गालिबन उन्हीं का उस पर अधिकार भी है । लेकिन इस समय वहां पर जो अधिकारी काम करते हैं उन का भी तो नियंत्रण रहता है । दोनों के सलाह मशविरे से और सरकार के नियंत्रण से वहां का प्रबन्ध होगा ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं अपनी तथा अमरीकी शिक्षण प्रणाली की सामान्य विशेषतायें और भारत तथा अमरीका में विद्यमान ऐसी अन्य दशायें भी जान सकता हूं जिस से इस पाठ्यक्रम में सहूलियत होगी और यह हमारे लिये लाभदायक होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस का उत्तर दिया जा सकता है ?

श्री पुन्नूस : जब कि हमारी प्रणाली और हमारी दशायें सर्वथा भिन्न हैं तो फिर इन विशेषज्ञों को यहां क्यों बुलाया जा रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले में निर्णय कौन करेगा ? यहां पर मैं कठिनाई में फंसा हूं । क्या हमें सारा पाठ्यक्रम देखना होगा ? जब तक कि सरकार शासनारूढ़ है, आप को उन पर कुछ तो छोड़ देना चाहिये । अतः हमें वास्तविक स्थिति और अन्तर आदि के सम्बन्ध में गहराइयों में जाने की आवश्यकता नहीं है । साधारणतः यदि सरकार को कोई

भी स्वविवेक न दिया जाये तो मैं समझता हूं कि कदाचित् सरकार त्यागपत्र दे देगी।

श्री पुन्नूस : नहीं, श्रीमान् ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे चिन्ता नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के एक प्रश्न में से शिक्षा पर एक सामान्य रूप से बहस, इस और उस पाठ्यक्रम में क्या अन्तर है, एक व्यक्ति को क्यों लाया गया है आदि बातें उठेंगी ।

श्री वी० पो० नायर : यह केवल धन का ही प्रश्न नहीं है। यह नीति का भी प्रश्न है हम को जानने का अधिकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नीति सम्बन्धी मामलों की अनुमति नहीं दे सकता। माननीय सदस्यगण नियमों को बार बार पढ़लें । प्रश्न काल के अन्तर्गत एक प्रश्न पर मैं नीति सम्बन्धी मामलों की चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री जोकीम आल्वा : खड़े हुए---

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने बहुत से प्रश्नों की अनुमति दी है । माननीय सदस्य को थोड़ी देर हो गई ।

श्री जोकीम आल्वा : श्रीमान्, मैं तीन बार उठा था ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

श्री जोकीम आल्वा : इस निमंत्रण को स्वीकार करने से पूर्व क्या सरकार ने यह बात सोची थी कि हमारे अध्यापकों या प्रधान अध्यापकों को भेजने से वे अमरीकी शिक्षा प्रणाली विशेष रूप से वहां की शिक्षा संस्थाओं में रहन सहन तथा उस के दोषों से, प्रभावित हो सकते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : इस योजना के अधीन हम ने किसी को बाहर नहीं भेजा है। इस के बजाय विदेशों से विशेषज्ञ आ रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रश्न पढ़ेंग ।

वित्त मंत्रालय का पुनर्संगठन

*१३२५. **डा० एम० एम० दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के आर्थिक तथा गवेषणा विभागों के विस्तार और पुनर्संगठन की योजना पूरी की गई है ;

(ख) यदि ऐसा है तो योजना की प्रधान रूपरेख क्या है; तथा

(ग) योजना को कब क्रियान्वित किया जा रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) से (ग). विभिन्न समस्यायों की गवेषणा का उपक्रम करने के लिये जो उपस्थित होती हैं और आधुनिक स्थितियों का विश्लेषण करन के लिये एक आर्थिक विभाग की स्थापना की जा रही है । आर्थिक मंत्रणाकार जो इस विभाग का मुख्याधिकारी होगा पहले ही नियुक्त किया जा चुका है। इस विभाग में आवश्यक कर्मचारी-वृन्द रखने के लिये प्रबन्ध किये जा रहे हैं ।

डा० एम० एम० दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि इस पुनर्संगठन और विस्तार कार्य में अतिरिक्त व्यय कितना होगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान् इस समय इस प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं क्योंकि अपेक्षित कर्मचारी-वृन्द की स्वीकृति का प्रश्न इस समय गृह कार्य मंत्रालय के विचाराधीन है । वित्त मंत्रालय द्वारा लिये जाने वाले कर्मचारी-वृन्द की जांच करने वाला मंत्रालय अभिसमय द्वारा गृह कार्य मंत्रालय होता है ।

डा० एम० एम० दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि आर्थिक मंत्रणाकार के वर्तमान पद का पदाधिकारी योजना आयोग का मंत्रणाकार रहेगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, ऐसा ही प्रबन्ध है । सिवाय इस के कि उसे योजना आयोग का आर्थिक मंत्रणाकार नहीं कहा जाता, वह योजना आयोग के आर्थिक विभाग का मुख्य-अधिकारी है ।

श्री टी० एन० सिंह : मंत्रिमंडल से, संलग्न आर्थिक जांच संस्था की इस संस्था की तुलना में जो वित्त मंत्रालय में स्थापित की जा रही है, क्या स्थिति है ?

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, वह नए एकक में मिला दी जायेगी ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस तथ्य के आधार पर कि आंकड़ों के सम्बन्ध में बहुत उलझन है, क्या आंकड़ों सम्बन्धी संस्था अथवा कोई और स्थापित की गई संस्था का सम्बन्ध मंत्रालय अधीन आर्थिक विभाग के साथ है ?

श्री सी० डी० देशमुख: श्रीमान्, केन्द्रीय आंकड़ों सम्बन्धी संस्था में जो कि अलग केन्द्रीय संस्था है आंकड़ों की एकसूत्रता की जाती है, आर्थिक विभाग और आंकड़ों सम्बंधी संस्था में सदा सम्बन्ध रहेगा ।

डा० एम० एम० दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि दूसरे मंत्रालयों अर्थात् खाद्य और वाणिज्य तथा उद्योग के आर्थिक विभाग इस संस्था में मिला दिये जायेंगे ?

श्री सी० डी० देशमुख : अब तक आर्थिक मंत्रणाकार वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय अधीन था यद्यपि कुछ समय तक इस पद पर नियुक्ति नहीं की गई । वह विभाग नये विभाग में मिलाया जा रहा है । जहां तक दूसरे मंत्रालयों का सम्बन्ध है उन्हें कतिपय विशेषज्ञ आर्थिक परामर्श की आवश्यकता होती है जो उन्हें उन का अपना कर्मचारि-वृन्द देता है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या हम जान सकते हैं कि उस पदाधिकारी का नाम क्या है जो इस विभाग का मुख्याधिकारी है, और उस का इस समय वेतन क्या है ?

श्री सी० डी० देशमुख : उस का नाम श्री जे० जे० अजरिया है । उस के वेतन के सम्बन्ध में मैं ठीक आंकड़े नहीं बता सकता ।

कुमारी एनी मस्करीन : श्रीमान्, मैं जान सकती हूं कि क्या वर्तमान संस्था की स्थिति संभालने के लिये अयोग्य समझा गया था ?

श्री सी० डी० देशमुख : जैसा मैंने बताया कोई केन्द्रित संस्था नहीं थी । वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन एक नाम मात्र की संस्था थी जो कुछ समय से मरणोन्मुख थी । फिर योजना आयोग ने अपनी संस्था बनाई । परन्तु यह आश्चर्यजनक है कि आर्थिक कार्य के मंत्रालय के पास जिसे सब मंत्रालयों से अधिक आर्थिक परामर्श की आवश्यकता है कोई आर्थिक मंत्रणाकार का विभाग नहीं था ।

नमक पर उत्पादन शुल्क

*१३२६. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने उन संग्रहकर्ताओं और व्यापारियों (नामनिर्दिष्टों) को नमक का उत्पादन-शुल्क वापस करने का वचन दिया था जिन से यह वसूल किया गया था और जिन्हों ने यह शुल्क अप्रैल १९४७ में दिया था ;

(ख) वापस मांगने वालों की संख्या तथा उस की राशि क्या है ;

(ग) क्या दावादारों को शुल्क वापस किया गया है ;

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कुछ दावे न्यायालय में किये गये हैं और क्या ८० सी० पी० सी० धारा के अधीन सरकार को कोई नोटिस दिये गये हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) हां, श्रीमान् । नमक शुल्क की समाप्ति पर सरकार ने २८ फरवरी १९४७ को एक अधिसूचना जारी की जिस में यह घोषणा की गई कि उन भंडारों पर जो १ अप्रैल १९४७ तक नहीं बेचे गये या रास्ते में हैं, दिये गये शुल्क को वापस करने का निर्णय किया गया है ।

(ख) से (घ). स्थानीय केन्द्रीय उत्पादन कर पदाधिकारियों को शुल्क वापस करने के लिए आवेदन पत्रों का निबटारा करने के लिये प्राधिकृत किया गया था और अपेक्षित जानकारी जो उन से एकत्र की जा रही है यथाशीघ्र सदन पटल पर रखी जायगी । तो भी मैं सभा की सूचना के लिये यह भी कह दूं कि जब कि भारत में उत्पन्न होने वाले दावे अधिकतया निपटाए जा चुके हैं उन व्यक्तियों के दावों का निर्णय करना अभी संभव नहीं हो सका जिन के नमक के भंडार पाकिस्तान में थे और वे बाद में भारत प्रव्रजन कर आए । इन दावों का दायित्व पाकिस्तान सरकार पर है और जैसा पहले ९ मई १९५१ को संसद में तारांकित प्रश्न सं० ४००३ के उत्तर में कहा जा चुका है इस विषय पर उस सरकार के साथ वार्तालाप हो रहा है ।

(ङ) उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि ५५ दावों के संबंध में भारत सरकार के पास व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ८० के अधीन नोटिस आये थे और उनमें से वस्तुत केवल २५ अभियोग चलाए गए ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि न्यायालय के पास निर्णय किए गए मामलों में क्या हुआ ?

श्री एम० सी० शाह : २५ अभियोग चलाए गये । आप उनके परिणाम जानना चाहते हैं ?

सरदार हुक्म सिंह : क्या इन में से किसी मामले का निर्णय किया गया ।

श्री एम० सी० शाह : इन में से ८ मामलों का निर्णय किया गया है और निर्णय भारत सरकार के विरुद्ध हुआ था । तब पंजाब उच्च न्यायालय के पास अपील की गई और पंजाब उच्च न्यायालय ने एक मामले में भारत सरकार के पक्ष में निर्णय दिया है अर्थात् भारत सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन किया है कि वह दायित्व पाकिस्तान सरकार का है ।

सरदार हुक्म सिंह : पटल पर रखे विवरण से मुझे पता चलता है कि इन ४०० मामलों में से २ मामलों में भारत सरकार ने अपनी स्वछन्द इच्छा से निर्णय दिया । मैं जान सकता हूं कि क्या इन दो मामलों में कोई विभेद पूर्ण अंश थे जिनके कारण इनका निर्णय सुगमता से हो सका जब कि औरों का नहीं ?

श्री एम० सी० शाह : दो मामलों का निर्णय विधि मंत्रालय के परामर्श द्वारा किया गया था और अन्य दो मामलों का निर्णय भी विधि मंत्रालय के परामर्श द्वारा किया गया था ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन चार मामलों में जिनका निर्णय विधि संबंधी मंत्रणाकार के परामर्श द्वारा किया गया, कोई विभेदसूर्ण अंश थे जिनके कारण ये अन्य बहुत से मामलों से भिन्न किए गए, जिन का निर्णय नहीं किया जा सका ?

श्री एम० सी० शाह : श्रीमान्, एक मामले में राशि कलकत्ता में दी गई और यह निर्णय किया गया कि क्योंकि राशि कलकत्ता में दी गई इस लिए भारत सरकार का दायित्व है । एक और मामले में यह बताया गया कि संविदा संबंधी दायित्व है इस लिए निपटारा किया गया । और दो मामलों में विधि मंत्रालय के परामर्श पर दलों को तदर्थ दावों की राशि दी गई । कोई विभेद नहीं था ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या विभाजन के करार का यह भाग नहीं था कि क्योंकि यह केन्द्र का उत्तरदायित्व था, ये दावे पहले केन्द्रीय सरकार देगी और तत्पश्चात् पाकिस्तान सरकार के साथ समायोजन किया जाएगा ?

श्री एम० सी० शाह : नहीं श्रीमान् । ऐसा नहीं था । भारतीय स्वाधीनता (संपत्ति तथा दायित्वों के अधिकार) अनदेश १९४७ के अनुच्छेद ९ के अधीन यह पाकिस्तान सरकार का दायित्व था ।

आय-कर

*१३२७. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मामलों की संख्या क्या है जो आय-कर जांच आयोग को निर्दिष्ट किए गए, तथा जिन में आय-कर जांच अधिनियम की धारा ७ (२) के अधीन निर्णय के आधार पर आय-कर वसूल किया गया ;

(ख) प्रथमतया क्या राशि घोषित की गई जब उन्होंने अपनी गुप्त आय को घोषित करना स्वीकार किया ;

(ग) वह वास्तविक राशि क्या है जिस पर अन्त में आय-कर लगाया गया;

(घ) क्या उन मामलों में जुर्माना लगाया गया जहां कर निर्धारित आय और घोषित आय में विशेष अन्तर था; तथा

(ङ) क्या यह तथ्य है कि कुछ मामलों में कर देने के लिये १० या अधिक वर्ष चलने वाली २० किश्तों तक की अनुमति दी गई है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) संभवतः निर्दिष्ट धारा ८ क(२) है न कि ७ (२) । ३१ अगस्त १९५३ तक निपटाये गए मामलों की संख्या ७१६ है ।

(ख) यह जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है और इसके एकत्रीकरण में इतना श्रम और समय लगेगा जो कि अपेक्षित परिणाम के समान नहीं ।

(ग) ३६,४२,६४,५०४ रु० की राशि है ।

(घ) जी हां । जुर्माने किए गए हैं ।

(ङ) उत्तर नकारात्मक है ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या निर्धारित दण्ड, वैत्तिक भार के रूप में था अथवा कोई अभियोग भी चलाया गया था ?

श्री एम० सी० शाह : वैत्तिक दण्ड दिये गये थे, जैसे जुरमाना और अभियोग कोई नहीं चलाया गया ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान हूं कि कुल कितना जुरमाना वसूल किया गया ?

श्री एम० सी० शाह : श्रीमान्, इस प्रश्न का उत्तर देना बड़ा कठिन है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री उप-खण्ड (घ) का उत्तर दे चुके हैं ।

श्री एम० सी० शाह : श्रीमान्, ४७ लाख रुपया आदि । मैं (ङ) का उत्तर दे चुका हूं कि उत्तर नकारात्मक है । वह जुरमाने की धन-राशि जानना चाहते हैं । यह ४७ लाख रुपया आदि है ।

श्री टी० एन० सिंह : उप-खण्ड (ख) के प्रसंग में माननीय मंत्री ने कहा था कि उत्तर देना कठिन है। मैं जान सकता हूं कि इन आंकड़ों के एकत्रीकरण में क्या कठिनाई है जब कि आय घोषित करने वाले व्यक्तियों की सख्या का पता है और केवल ७१६ ऐसे मामले हैं जिन के बारे में सूचना मांगी जाती है ?

श्री एम० सी० शाह : उनका एकत्रीकरण हो सकता है, परन्तु जैसा कि मैं ने कहा कि इसके लिए जितने परिश्रम की आवश्यकता है वह लक्षित परिणाम का सममात्रिक नहीं है। ७१६ मामलों के उत्तर की एक बहुत बड़ी तालिका होगी। यदि माननीय सदस्य इसे चाहते हैं तो यह पटल पर रख दी जायेगी।

श्री टी० एन० सिंह : जांच पड़ताल आयोग की इन कार्यवाहियों के बारे में कुछ अनावश्यक गोपनीयता रखी जा रही है। जनता तथा प्रत्येक सम्बंधित व्यक्ति के हित की दृष्टि से मामले में कुछ खुलापन होना चाहिए और ऐसी समस्त सूचनायें सदन पटल पर रखी जानी चाहियें। श्रीमान्, आपसे मेरा यह निवेदन है।

श्री एम० सी० शाह : श्रीमान् मुझे खेद है। परन्तु गोपनीयता कोई नहीं रखी जाती। अधिनियम में दिये गये अधिकारों के अन्तर्गत पूर्ण सूचना दी जा सकती है और इस सूचना को छिपाने के लिए सरकार का कोई प्रयत्न नही है। मेरा कहना तो यह है कि निहित परिश्रम परिणाम का सममात्रिक नहीं होगा। केवल यही बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक विशेष जांच पड़ताल आयोग है और इसका संबंध उन व्यक्तियों से है जिनकी आय बहुत अधिक है तथा जिन्हों ने अधिकतर छिपा लिया है। १२०० आदि मामलों का निर्देश आयोग को दिया गया है। उन मामलों के लिए एक ऐसा रजिस्टर अवश्य होना चाहिये जिस से यह पता लगे कि कितना धन घोषित किया गया था और कितना धन संग्रह हुआ। सभापति उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते जिनके संबंध में मन्त्रालय कहता हो कि रहस्य उद्घाटन करना जनता के लिए हित में नहीं है, आदि आदि। परन्तु अन्य मामलों के संबंध में जब एक आयोग स्थापित किया था, ये आंकड़े सदन में अवश्य बताने चाहियें। यह सममात्रिक नहीं है आदि कहने का कोई लाभ नहीं है।

श्री एम० सी० शाह : मैं पहिले ही बता चुका हूं कि हम यह सदन पटल पर रखने को तैयार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्यों नहीं किया गया ? यह कोई अल्पकाल-सूचना प्रश्न नहीं है। जांच पड़ताल आयोग दिल्ली में ही है। यह मामला निश्चित रूप से जाना जा सकता था तथा सूचना दी जा सकती थी।

श्री एम० सी० शाह : श्रीमान्, ७१६ मामले थे।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : श्रीमान्, गोपनीयता का कोई प्रश्न नहीं है। तथ्य यह है कि हमें जांच पड़ताल आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होता है। उसमें सदैव यह स्पष्ट नहीं किया जाता कि मूल घोषणा क्या है। हमारा संबंध उनके केवल अन्तिम परामर्श से है। वह हमें प्राप्त हो गया है तथा हमने वह सदन पटल पर रख दिया है। फिर हम आय-कर एकत्रित करने की कार्यवाही करते हैं। अब, यदि हमें मूल घोषणाओं का, जो जांच पड़ताल आयोग के कार्य का भाग है, एकत्रीकरण करना है तो हमें यह करना पड़ेगा। परन्तु समय का ध्यान रखते हुये....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री को इस खण्ड की सन्निकटता का पता लगेगा। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि कितने के लिए घोषणा की गई थी और अन्त में क्या

निश्चय हुआ था। यदि कोई अन्तर है तो क्या दण्ड दिया गया ? क्या यह छिपाई गई आय का सममात्रिक धन है, आदि, आदि। उन्हें थोड़ा सा यह बताने की दृष्टि से जांच पड़ताल आयोग अथवा सरकार की इस मामले में कोई ढील है या नहीं, यह सब सूचना देनी चाहिये। माननीय मन्त्री को सारे सम्भाव्य प्रश्नों पर पूर्व विचार करना चाहिये यहां तक कि अनुपूरकों पर भी, और यह कहने की बजाय कि दस दिन में यह सम्भव नहीं है आदि आदि, यथासम्भव पूर्ण उत्तर देना चाहिये।

श्री सी० डी० देशमुख : यह केवल सम्पूर्ण योग में ही किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यही तो चाहते हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : अतः इसका अर्थ है आयकर जांच पड़ताल आयोग के मूल अभिलेखों से समस्त आंकड़ों का एकत्रीकरण तथा संकलन करना। मैं नहीं समझता कि धारा ५४ की भान्ति कोई धारा समस्त आंकड़े बताने में हमें बाधित करती है। यदि माननीय सदस्य आयकर जांच पड़ताल आयोग की उस क्षमता के संबंध में, जिससे वह अपना कार्य कर रहा है, कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहते तो निश्चय ही हम समस्त आंकड़े बता सकते हैं जिनकी घोषणा .....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य वे समस्त आंकड़े, जिन पर कर निर्धारित किया गया है, तथा लगाया गया कुल जुरमाना जानना चाहते हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, सम्पूर्ण जुरमाना हम पहिले ही बता चुके हैं। यह ४७ लाख आदि रुपया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह माननीय मन्त्री के पास है तो वह माननीय सदस्य को दे दें।

श्री सारगंधर दास : श्रीमान, ऐसा ही एक रजिस्टर जांच आयोग के भी पास होना चाहिये। ७०० आदि की धनराशि केवल कुछ ही क्षणों में जोड़ी जा सकती है।

सरदार हुकम सिंह : श्रीमान्, एक अनुपूरक प्रश्न और।

उपाध्यक्ष महोदय : हम पर्याप्त प्रश्न कर चुके हैं।

रेलों पर दावे

*१३२८. **सरदार हुकम सिंह** : क्या **गृह-कार्य मन्त्री** १३ अगस्त १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न ४४६ तथा ४७७ का निर्देश करने तथा यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब प्रेषितियों ने अथवा उन ३६ माल के डिब्बों के प्रेषितियों में से कुछ ने, जो खाली होने के लिये मोदीनगर गये थे, रेल-प्रशासन पर दावे किये हैं ; तथा

(ख) किये गये दावों का मूल्य क्या था ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रखी जायेगी।

सरदार हुकम सिंह : श्रीमान्, गृह-कार्य मन्त्रालय नें महा-अनुप्रार्थी का परामर्श लिया था। उसने परामर्श दिया था कि मामला न्यायालय में सफल होने वाला नहीं है। अतः अभियोग चलाने की कार्यवाही नहीं की गई। मैं जान सकता हूं कि क्या यह सिफारिश करने से पहिले कि मामला देखते ही अभियोग चलाने योग्य जान पड़ता है, विशेष पुलिस ने अपने मत की पुष्टि के लिए कोई वैधानिक मत प्राप्त किया था ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं प्रश्न भाग नहीं सुन सका अपितु मैं ने तर्क ही सुना ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कोई वैधानिक मत लिया गया था ?

सरदार हुक्म सिंह : क्या विशेष पुलिस ने भी, यह सिफ़ारिश करते समय कि मामला देखते ही अभियोग चलाने योग्य जान पड़ता है, कोई वैधानिक मत प्राप्त किया था ?

डा० काटजू : प्रश्न यह पूछा गया था कि ३६ माल के डिब्बों को मोदीनगर भेजा गया था तथा मोदीनगर निर्माणशाला ने इन्हें ले लिया था अथवा इन डिब्बों में क्या था तथा उस माल का मूल्य क्या था । मैं समझता हूं कि प्रश्न का केवल उस मुख्य विषय से संबंध है । और उत्तर यह था कि माल के डिब्बों में क्या माल था और मूल्य क्या है, के बारे में हम पूछ ताछ कर रहे थे । यह एक पूर्णतः अभिलेख का मामला है जो रेल अधिकारियों से, जिन के पास यह होगा, मंगाना होगा । हम रेल तथा समवाय के बीच क्षति-पूर्ति के बारे में इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं ने प्रश्न का निर्देश किया है कि अगस्त १९५३ की तारीख के अमुक अमुक प्रश्न तथा दिये गये उत्तर . . .

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । जो कुछ माननीय मन्त्री ने कहा मैं वह समझने में समर्थ हूं । उस प्रश्न के प्रसंग में बहुत सी बातों का उत्तर दिया जा सकता था । माननीय सदस्य केवल उन्हीं मुख्य बातों का उत्तर जानना चाहते हैं जो उन्हों ने उस उत्तर से चुनी हैं । मैं समझता हूं कि यह किसी वैधानिक मत या किसी सुझाव, जो अभियोग के बारे में दिया गया था, का निर्देश नहीं करता अपितु केवल माल के डिब्बों की प्रकार तथा माल आदि का निर्देश करता है । मैं समझता हूं कि उस समय उत्तर चाहे जो भी रहा हो, यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

सरदार हुक्म सिंह : जहां तक मुझे स्मरण है मेरे मूल प्रश्न में यह एक भाग के रूप में सम्मिलित था और यह हटा दिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच पड़ताल करूंगा ।

श्री विट्टल राव : श्रीमान्, मोदी उद्योगों संबंधी अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुये माननीय मन्त्री ने कहा था कि वह महा-अनुप्रार्थी के परामर्श की एक प्रति सदन पटल पर रखने पर विचार करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह फिर इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

श्री विट्टल राव : उन्हों ने एक मास पूर्व आश्वासन दिया था । वह यह सदन पटल पर कब रखेंगे ? क्या इस संबंध में सरकार कोई निश्चय कर सकी है ?

श्री पुन्नूस : यह अब दूसरी बार सदन के समक्ष आया है । मैं जान सकता हूं कि सूचना एकत्रित करने में वास्तविक कठिनाई क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मामला उठाया गया था तथा आश्वासन दिया गया था तो इसे आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया ?

डा० काटजू : मैं ने अभियोग के बारे में पूर्ण उत्तर दे दिया था । दण्ड संबंधी कार्यवाही करने का विचार छोड़ दिया गया था क्योंकि महा-अनुप्रार्थी का वैधानिक मत यह था कि उस अभियोग में सफलता की सम्भावना केवल नाम मात्र को है । तब यह प्रश्न पूछा गया कि मैं वह वैधानिक मत सदन पटल पर रखूंगा या नहीं । मैं ने कहा था कि मैं उस पर विचार करूंगा । मैं विचार कर रहा हूं मैं यह जानना चाहता हूं कि भूतकाल में क्या प्रक्रिया प्रचलित थी । मत सदैव ही गोपनीय होते हैं । व्यक्तिगत रूप में मुझे कुछ भी सदन पटल पर रखने में कोई आपत्ति नहीं है । परन्तु क्या सदन

मुझे कुछ और समय देगा ताकि मैं महा-नियुक्तक तथा महा-अनुप्रार्थी का इन विषयों पर मत ले सकूं। इन सब के होते हुये भी, ये गोपनीय विषय हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अग्रेतर प्रश्न।

कुछ माननीय सदस्य : प्रश्न काल समाप्त हो चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम ने केवल थोड़े से ही प्रश्न किये हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सीरेमिक्स का अध्ययन

*१३१५. **श्री बो० स० दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने सीरे-मिक्स के अध्ययन और विद्युत विसंवाहकों के निर्माण में विशेषता प्राप्त करने के लिये १९४५–५३ में छात्रवृत्तियां देकर भारतीय विद्यार्थियों को बाहर भेजा है ; और

(ख) विदेशों में प्रशिक्षित उक्त व्यक्ति-यों की सेवाओं का उपयोग किस भांति किया जाता है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) भारत सरकार की विदेश-छात्र-वृत्ति-योजना १९४५–४८ के अन्तर्गत सीरे-मिक्स के अध्ययनार्थ विदेशों में भेजे गये पांच विद्यार्थियों ने विधुत विसंवाहकों के निर्माण के संबंध में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया था।

(ख) उक्त छात्रों में से तीन छात्र समुचित रूप से सरकारी विभागों में कार्य-नियोजित हैं ; एक छात्र विदेश में नियोजित है। पांचवे की नियोजन स्थिति विदित नहीं है क्योंकि उसने सरकार से सम्पर्क नहीं साध रखा है।

राष्ट्रपति के समक्ष कालावधिक प्रतिवेदनों का रखा जाना

*१३२०. **श्री एन० एम० दास** : क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने कोई अवधि निश्चित की है जिसके अन्दर संविधान के अन्तर्गत अथवा संसद द्वारा बनाये किसी भी नियम के अंतर्गत राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाने वाले प्रतिवेदनों को प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि यह सही है तो क्या उक्त प्रतिवेदन निर्दिष्ट समय में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे हैं ?

गृह–कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : मैं अपने मंत्रालय की सूचनाओं से युक्त विवरण पत्र सदन पटल पर रख रहा हूं। दूसरे मंत्रालयों से भी इसी तरह की सूचना संग्रहीत की जा रही है और उचित समय में सदन पटल पर रख दी जायगी। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३६**] :

प्रविधि और सस्ते गृह

*१३२९. **श्री अमजद अली** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनु-संधान परिषद द्वारा गृह-निर्माण प्रविधि और सस्ते गृहों के निर्माण के उपायों का अध्ययन करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने किन किन स्थानों और केन्द्रों को देखा है ; और

(ख) समिति के अन्तिम प्रतिवेदन के कब तक प्रकाशित होने की आशा है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) समिति के सदस्यों ने औद्योगिक क्षेत्र में बनाई जा रही श्रमिक गृहों की बस्तियों समेत कति-पय बस्तियां देखी थीं। देश के विभिन्न भागों

में गृह निर्माण प्रविधि और उनसे सम्बंधित उपायों के विविध प्रयोगों का अनुभव प्राप्त करने की दृष्टि से समिति के सचिव ने रुड़की की केन्द्रीय भवन निर्माण संस्था, देहरादून की वन अनुसंधान संस्था और अन्य कालेज तथा अनेक महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों को भी देखा है।

(ख) यदि सदन की इच्छा है तो इसे सदन पटल पर रखा जा सकता है।

कलकत्ता का ईरानी समाज

*१३३०. **श्री अमजद अली :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कलकत्ता के ईरानी समाज को केन्द्रीय सरकार की निधि में से प्रतिवर्ष दी जाने वाली रकम ; और

(ख) क्या उक्त समाज के कार्यों में फारसी भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी भाषागत संस्कृति की सम्वृद्धि भी सम्मिलित है ?

शिक्षा व प्राकृतिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (श्री मौलाना आजाद) : (क) कुछ नहीं।

(ख) इस विषय में सरकार कुछ नहीं कह सकती है। माननीय सदस्य ईरानी समाज से मालूम कर सकते हैं।

पाकिस्तान को धनविप्रेषण

*१३३१. **श्री गिडवानी :** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि विनिमय विनियमों का अवहेलना करते हुए अनधिकृत रूप से पाकिस्तान को रुपया भेजने के लिये भारत के रक्षित बैंक ने कुछ भारतीय सार्थों के विरुद्ध विदेश विनिमय नियंत्रण अधिनियम की धारा ५ के अंतर्गत मामला दर्ज किया है ?

(ख) इन सार्थों की संख्या कितनी है र वे किन स्थानों पर काम कर रही हैं ?

(ग) पाकिस्तान को अनधिकृत रूप से कथित संप्रेषण में कितनी निधि अंतर्ग्रस्त है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) पाकिस्तान को अवैध रूप से रुपया भेजने के लिये भारत के रक्षित बैंक ने विदेश विनिमय विनियमन अधिनियम १९४७ की धारा ५ के अंतर्गत भारतीय सार्थों के विरुद्ध कोई मामला दर्ज नहीं किया है किन्तु पाकिस्तान के निवासियों की ओर से भारत की एक सार्थ द्वारा भारतीय मुद्रा में भुगतान करने के सम्बन्ध में उक्त धारा के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया है। भारत में स्थित सार्थों और व्यक्तियों द्वारा इसी भांति अनधिकृत रूप से भुगतान करने के अन्य मामलों की भी रिजर्व बैंक जांच कर रहा है।

(ख) इस तरह के सार्थ एवं व्यक्तियों की संख्या बारह है और उनका व्यापार-व्यवसाय बम्बई, दिल्ली, अमृतसर और अम्बाला है।

(ग) रक्षित बैंक की जांच पड़ताल के परिणामस्वरूप प्रकट हुई पाकिस्तान स्थित व्यक्तियों की ओर से भारत में अनधिकृत भुगतान की गई उक्त निधि लगभग दो लाख रुपये हैं।

इंजीनियरों की पंजी

*१३३१. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इंजीनियरिंग की समस्त शाखाओं में अनुभव और अमुचित योग्यता प्राप्त इंजीनियरों की एक पंजी रखने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा इंजीनियरों की एक पंजी का संकलन किया जा रहा है किन्तु पंजीयन स्वेच्छा पर आधारित है। जहां तक विध्यनुकूल निकाय द्वारा अनि-

वार्य पंजीयन का प्रश्न है प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

आदिम जाति कल्याण शाखा

*१३३२. **श्री ब्रह्म चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य से राज्यवार (१) गृह मंत्रालय की आदिमजाति कल्याण शाखा ; और (२) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों के आयुक्त के कार्यालय में कितने अधिकारी कार्य कर र हैं ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू : (१) गृहकार्यों के मंत्रालय में आदिम जाति कल्याण शाखा नहीं है ।

(२) आयुक्त और सहायक आयुक्त के अतिरिक्त उनके कार्यालय के कर्मचारी वृन्द निम्न राज्यों से सम्बद्ध हैं :

उत्तर प्रदेश	२	
मद्रास	१	
दिल्ली	५	(इसमें दो विस्थापित व्यक्ति भी सम्मिलित हैं– एक सिंध से और दूसरा बहावलपुर से ।)
हिमाचल प्रदेश	१	
मनीपुर	१	
पंजाब	१	

अन्तर्विश्वविद्यालय सहकारिता संविदाएं

*१३३३. **श्री राधा रमण** : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अमरीकी प्रशिल्पिक सहकारिता प्रशासन ने भारत के साथ दो अन्तर्विश्वविद्यालय सहकारिता संविदे सम्पन्न किये हैं ?

(ख) यदि यह ठीक है तो कितने इंजीनियरों और प्रशिल्पिक विशेषज्ञों का विनिमय किया जायगा ?

(ग) उक्त विनिमय में दोनों देशों का अनुमानित व्यय कितना होगा ?

(घ) उक्त विशेषज्ञ किन भारतीय संस्थाओं को प्राप्त होंगे ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) से (घ). कोई संविदा पूर्ण नहीं किया गया है किन्तु अमरीका के कतिपय विश्वविद्यालयों और भारत के प्रोद्योगिकीय संस्था ओं में भ्रातृभाव स्थापित करने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव के विरुद्ध आरोप

*१३३४. **श्री विट्ठल राव** : (क) क्या गृह मंत्री पहली सितम्बर १९५३ को पूछ गये तारांकित प्रश्न संख्या ९३६ के उत्तर की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और बतलायेंगे कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव के विरुद्ध, भ्रष्टाचार एवं कर्त्तव्य का पालन न करने के सम्बन्ध में सर आर्थर ट्रेयर हेरिस द्वारा की गई जांच के परिणाम सरकार को कब मिल गये थे ?

(ख) गृह मंत्रालय द्वारा उक्त परिणाम संघ-लोक-सेवा आयोग के पास कब भेजा गया था ?

(ग) जनता द्वारा प्रदर्शित तीव्र रुचि को दृष्टिगत करते हुए क्या सरकार का विचार उस विषय को शीघ्र ही निबटा देने का है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) २४ मई, १९५३ ।

(ख) २४ जुलाई, १९५३ ।

(ग) संघ-लोक-सेवा आयोग की मंत्रणा दिनांक ११ सितम्बर को प्राप्त हुई थी और कुछ दिनों में आदेश जारी करने की संभावना है ।

सुलतानों की कब्रों पर परिचय पट्टिकायें

३३५. **श्री रघुनाथ सिंह : क्या शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या महरौली में कुतुब शाह के रोज़े के अन्दर दिल्ली के सुलतानों की कब्रों पर लगी हुई परिचय-पट्टिकाएं टूट गई हैं और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

(ख) इस विषय में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद): (क) संभवतः निर्देश ख्वाजा कुतबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह की ओर है। यदि ऐसा है, तो दो परिचय-पट्टिकाएं टूट गई हैं।

(ख) कब्रों पर यथासंभव शीघ्र परिचय-पट्टिकाएं लगाने का विचार है।

अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों को सहायता

*१३३६. **श्री के० डी० बसु : वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकारों को पश्चिमी बंगाल में सुन्दरबन, मद्रास में रायलसीमा, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीकानेर विभाग के अकाल-पीड़ित क्षेत्रों को सहायता देने के लिए कुल कितना रुपया ऋणों या अनुदानों के रूप में दिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : १९५०-५१, १९५१-५२ और १९५२-५३ से वित्तीय वर्षों के लिए जानकारी का एक विवरण पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(रुपये लाखों में)

१९५०-५१		१९५१-५२		१९५२-५३	
ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान
शून्य	५००	शून्य	४१.३४	२६२.६८	२१०.८०

टिप्पणी : इस में अधिक अन्न उगाओ और छोटे सिंचाई कार्यक्रमों के अधीन कमी वाले क्षेत्रों के लिए मंजूर की गई सहायता सम्मिलित नहीं है।

पाकिस्तान प्रतिभूतियां

८१३३७. **श्री ए० एन० विद्यालङ्कार** : क्या **वित्त** मंत्री २०, दिसम्बर, १९५२ को पूछे गये अल्पसूचना प्रश्न संख्या ९४ की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और बतलायेंगे कि :

(क) क्या भारत के रक्षित बैंक की बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली शाखाओं के विनिमय नियंत्रण कार्यालयों ने उन पांच मामलों के अतिरिक्त जो कि उक्त अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित हैं अन्य मामलों में पाकिस्तान प्रतिभूतियां और अंश पाकिस्तान को निर्यात करने की अनुमति दी थी ;

(ख) यदि हां, तो इन प्रतिभूतियों और अंशों की संख्या और राशि कितनी है ; तथा

(ग) अनुभूतियां किन को दी गई थीं और ये किन परिस्थितियों और शर्तों के अन्तर्गत दी गई थीं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) इन की संख्या सात है और इन की राशि लगभग ४२ लाख रुपये है।

(ग) दो बैंकों, एक बीमा कम्पनी और एक अंशों के दलालों की फर्म को अनुमति दी गई थी, क्योंकि प्रतिभूतियां २७-२-१९५१ से पहले खरीद ली गई थीं। उन के निर्यात की अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि प्रार्थी समस्त विक्रय लाभ को उन भारतीय अंशों और प्रतिभूतियों के रूप में वापस लाये, जिन का बाजार मूल्य साम्य के आधार पर

पाकिस्तान में निर्यात किये जाने वाले अंशों और प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य के बराबर हो और वह भारत के रिजर्व बैंक को एक पूरा विवरण दे कि इस प्रयोजन के लिये विक्रय-लाभ का किस तरह उपयोग किया गया है। शेष तीन मामलों में से एक में निर्यात करने की अनुमति यह साक्ष्य प्रस्तुत करने पर दी गई थी कि विक्रय-मूल्य २७-२-५१ से पहले भारत में प्राप्त हो चुका है। शेष दो मामले बीमा कम्पनियों के हैं जिन्हें पाकिस्तान में वैधानिक उपनिधियां जमा करने के लिये प्रतिभूतियों को निर्यात करने की अनुमति दी गई थी।

कच्छ के किसानों पर आरोपण

*१३४०. **श्री एच० एन० मुकर्जी:** **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि कच्छ की सरकार ने किसानों पर प्रति एकड़ १½ मन गेहूं की समान दर से आरोपण किया है ;

(ख) क्या सरकार को ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन में कहा गया हो कि यह आरोपण न्याय संगत है और परेशानी का कारण है ; तथा

(ग) क्या इस विषय में कोई पग उठाये गये हैं या उठाने का विचार है ?

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (ग). सारभूत प्रदाय (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९४६ की धारा ३ के अन्तर्गत प्रदान किये गये अधिकारों का पालन करते हुए, कच्छ के मुख्यायुक्त ने भारत सरकार की सहमति के साथ, ३ फरवरी, १९५३ को कच्छ खाद्यान्न आरोपण आदेश, १९५३ जारी किया था। इस आदेश के अधीन प्रति एकड़ १½ मन गेहूं का अनिवार्य समाहार किया जा रहा है। सरकार को दो या तीन ग्रामों के सिवा किसी से इस आरोपण के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए। चूंकि इस से किसी व्यक्ति को कोई अनुचित कष्ट नहीं हो रहा, इस लिए इस मामले में कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं।

गोदावरी में बाढ़

*१३४१. **डा० रामा राव:** (क) **गृह कार्य** मंत्री २८ अगस्त, १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ६४ के उत्तर के बाद उठाये गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की ओर निर्देश करने की कृपा करेंगे और बतलायेंगे कि क्या श्रम मंत्री ने गोदावरी नदी में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के बाद हानि के बारे में सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ?

(ख) यदि हां, तो वहां के लोगों को सहायता देने के लिए उन के प्रस्ताव क्या हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां।

(ख) दौरे की रिपोर्टों की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है। **[देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३७]**

दोहरे करारोपण से छूट

*१३४२. **श्री पो० आर० नरसिंहन्:** वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान एक ज्ञापन की ओर दिलाया गया था, जो कि १६ जुलाई, १९५३ को रंगून के कुछ भारतीय व्यापारियों ने कुछ ऐसी गम्भीर कठिनाइयों के बारे में, जो कि शेष भारतीय व्यापारी समुदाय के साथ उन्हों ने भी अनुभव की थीं, रंगून स्थित भारत के राजदूत को प्रस्तुत किया था ;

(ख) क्या व्यापारियों ने अन्य चीजों के साथ साथ (१) दोहरे कर से बचन

के लिए भारत और बर्मा के बीच दोनों देशों में व्यवस्था के लिए बातचीत पुनः जारी करने ; (२) बर्मा में व्यापार करने वाले भारतीय करदाताओं पर जो भारतीय आयकर निकलता है और जिसे चुकाया नहीं गया है, उस के आरोपण और संग्रह की स्थगित रखने ; (३) विभिन्न बर्मी अधिकारियों द्वारा किसी भी समय मांगे जा सकने वाले लेखों को प्रस्तुत करने का आग्रह न करने और (४) धन भेजने के लिए आवश्यक अनुमति पत्र प्राप्त करने के हेतु विनिमय नियन्त्रण अधिकारियों को पर्याप्त समय देने के सम्बन्ध में भी थी ;

(ग) सरकार ज्ञापन में उठाये गये इन प्रश्नों और अन्य प्रश्नों के बारे में क्या निर्णय कर रही है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) सरकार ज्ञापन में उठाये गये प्रश्नों पर विचार कर चुकी है । आवेदन पत्र देने वाले मैसर्ज एस० पी० एम० मुहम्मद अबुबकर एंड ब्रादर्स के भेजे गये सरकारी पत्र संख्या २५ (४०) आई० टी०/५३ तिथि ६ सितम्बर, १९५३ की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३८]** इस पत्र से स्थिति पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है ।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण

*१३४३. **श्री एस० एन० दास** : **विधि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आय कर अपीलीय न्यायाधिकरण की पटना बैंच और इलाहाबाद बैंच को क्रमशः कलकत्ता दिल्ली में स्थानांतरित के प्रश्न का अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इलाहाबाद बैंच तो वहीं रहने दी गई है और पटना बैंच को कलकत्ता में स्थानान्तरित किया जाना है ; तथा

(ग) यह निर्णय किस आधार पर किया गया है ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्यमंत्री (श्री बिस्वास) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

विमानों का विक्रय

*१३४४. **श्री केशवयंगार** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हाल में हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड बंगलौर ने दरभंगा एयर लाइन्स को या किन्हीं अमेरिकन खरीदारों को दस विमान बेचे हैं ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : एच० ए० एल० ने दरभंगा एयर लाइन्स को कोई विमान नहीं बेचा । इस कम्पनी ने १० डकोटा विमानों (डिस्पोज़ल्स विमानों) के बारे में जो कि भारतीय विमान बल से खरीदे गये थे और जिन की उस ने मरम्मत की थी, मैसर्स इन्डामर कम्पनी, बम्बई के साथ एक किश्त-क्रय समझौता किया है ।

पेप्सू राज्य के कर्मचारी

*१३४५. **श्री अजीत सिंह** : (क) क्या **राज्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पैप्सू राज्य के उन कर्मचारियों की श्रेणी वार संख्या क्या है जिनकी पहली सितम्बर, १९५३ से छंटनी की गई और जिन्हें नौकरी से निकाला गया है ?

(ख) इस छंटनी के कारण क्या हैं ?

(ग) क्या सरकार ने इन लोगों को कोई अन्य नौकरी दी है या देने का विचार करती है ?

(घ) क्या सरकार को पता है कि पैप्सू में बेकारी पहले ही बहुत बढ़ हुई थी और इस छंटनी से बेकारों की संख्या और अधिक हो जायेगी ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) घोषित १६

अघोषित ६८

(कार्य पालक)

सचिविक ३८७

चतुर्थ श्रेणी २४८

कुल ७१९

(ख) छंटनी के मुख्य कारण यह हैं : नियंत्रणों में ढिलाई और इसके कारण नागरिक प्रदाय विभाग का समाप्त किया जाना, विभिन्न विभागों में पदों की संख्या का निर्धारित किया जाना तथा सेवाओं का अन्तिम रूप से स्वीकृत किया जाना, सचिवालय तथा शासनिक विभागों का पुनर्संगठन तथा ज़िलों, तहसीलों और परगनों की पुनर्रचना ।

(ग) जी हां, सरकार अन्य नौकरियां देने का प्रयत्न कर रही है ।

(घ) पैप्सू में बेकारी की हालत वैसी ही है जैसी अन्य राज्यों में ।

अन्डमान द्वीपों में सड़क निर्माण

६८३. **बिशप रिचर्डसन** : क्या **गृह कार्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मध्य तथा उत्तर अन्डमान को सड़क द्वारा मिलाने का विचार रखती है ; तथा

(ख) क्या विभिन्न द्वीपों के बीच नाव द्वारा एक साप्ताहिक सर्विस चलाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) मध्य तथा उत्तर अन्डमान को सड़क द्वारा मिलाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) पोर्ट ब्लेयर तथा समीपस्थ द्वीपों के बीच (जिनमें निकोबार द्वीप भी सम्मिलित है) आवागमन के साधनों में सुधार करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

अन्डमान द्वीपों को हवाई सर्विस

६८४. **बिशप रिचर्डसन** : क्या **गृह कार्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य तथा उत्तर अन्डमान द्वीपों को भारत से मिलाने के लिये हवाई सर्विस स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है ; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कदम उठाना सोचती है ?

गृह:-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख) इस समय मध्य तथा उत्तर अन्डमान और भारत के बीच हवाई सर्विस स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कच्चा लोहा

६८६. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बेलारी ज़िला हमारे उन स्थानों में से एक है जहां कच्चा लोहा बहुत अधिक मात्रा में मौजूद है ; तथा

(ख) क्या यह सत्य है कि यातायात संबंधी कठिनाइयों के कारण वहां लोहा निकालने का काम ठीक तरह से नहीं हो पाता ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) यातायात संबंधी कठिनाइयों के कारण बड़े पैमाने पर कोयला निकालने का काम ठीक तरह नहीं चलता ।

पूंजी नियंत्रण

६८७. श्री मुरारका : (क) वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या पूंजी नियंत्रक अब भी कार्य कर रहा है ?

(ख) ऐसी सार्वजनिक तथा गैर सरकारी कम्पनियों की संख्या क्या है जिनकी पूंजी इस नियंत्रक द्वारा पिछले तीन वर्षों में मंजूर की गई है ?

(ग) इन कम्पनियों की पूंजी की कुल राशि कितनी है ?

(घ) पूंजी नियंत्रक को कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए और किस राशि के लिये ?

(ङ) कितने प्रार्थना-पत्र स्वीकृत हुए और कितने अस्वीकृत ?

(च) इस विभाग पर प्रति वर्ष कितना रुपया खर्च होता है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) जी हां ।

(ख)

१९५०	२६३
१९५१	३४३
१९५२	२५४

(ग) संभवतः माननीय सदस्य-प्रार्थना पत्रों के संबंध में मंजूर की गई कुल पूंजी जानना चाहते हैं जिसका भाग (ख) में निर्देश किया गया है । वह इस प्रकार है :—

१९५०	७४.८ करोड़ रु०
१९५१	५९.६ करोड़ रु०
१९५२	३९.८ करोड़ रु०

(घ) इस समय यह सूचना उपलब्ध नहीं कि हर वर्ष कितने प्रार्थना पत्र आये । हां प्रति वर्ष जितने प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही की गई और उनमें जितनी राशि के लिये प्रार्थना की गई, वह इस प्रकार है :—

	उन प्रार्थना पत्रों की संख्या जिन पर कार्यवाही हुई	प्रार्थित राशि
१९५०	३२०	८४.९ करोड़ रु०
१९५१	४१०	६८.३ करोड़ रु०
१९५२	३२६	१५२.३ करोड़ रु०

(ङ)

	स्वीकृत प्रार्थना पत्रों की संख्या	अस्वीकृत प्रार्थना पत्रों की संख्या
१९५०	२६३	५७
१९५१	३४३	६७
१९५२	२५४	७२

(च) ३३,४२० रुपये ।

मद्रास की १९५१ की जनगणना

६८८. श्री गोडिलिंगन गौड़ : (क) गृह कार्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मद्रास राज्य की १९५१ की जन-गणना के संबंध में ग्राम-वार आकड़े तैयार हो गये हैं ?

(ख) यदि नहीं, तो ये कब तक तैयार हो जायेंगे ?

(ग) क्या इन्हें आम जनता को बेचा जा सकता है ?

गृहकार्य उपमंत्री (श्री दातार) (क) से (ग) . ज़िला जनगणना पुस्तिकायें, जिनमें १९५१ की जनगणना के बारे में

ग्राम-वार आंकड़े दिये हुए हैं, छप रही हैं, आशा है कि अगले महीने ये जनता को बेचे जाने के लिये उपलब्ध हो सकेंगी।

मुजफ्फरपुर उत्तर-पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव

६८९. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या विधि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मुजफ्फरपुर-उत्तर-पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य चुनावों के समय तथा उपचुनाव के समय क्रमशः कितने मतदाता थे ; और

(ख) विधान सभा के किस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या बढ़ गई है और कितनी बढ़ी है ?

विधि तथा अल्प-संख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) सामान्य चुनावों के समय मतदाताओं की संख्या २,९३,८९० थी। उपचुनाव के समय की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है।

मेवाड़ भील 'कोर'

*६११ **श्री भोखाभाई** : **रक्षा मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राजस्थान के उदयपुर जिले के बिरवाड़ा तहसील में एक मेवाड़ भील 'कोर' है जो ५० वर्ष से अधिक समय से चली आ रही है; तथा

(ख) यदि हां तो क्या कारण है कि मेवाड़ भील 'कोर' को अप्रैल १९५० में भारतीय सेना में नहीं मिलाया गया ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी): (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार की नीति देशी रियासतों की केवल नियमित सेनाओं को ही भारतीय सेना में मिलाने की थी। चूंकि मेवाड़ भील 'कोर' नियमित प्रकार की सेना नहीं थी। इसलिये उसे भारतीय सेना में नहीं मिलाया गया।

प्रादेशिक सेना

६९२. **श्री भोखा भाई** : **रक्षा मंत्री** बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रादेशिक सेना बनाने के लिये राज्यों में मंत्रणा समितियां स्थापित की हैं ; तथा

(ख) यदि हां, तो मंत्रणा समितियों के सदस्य किस तरह नियुक्त किये जाते हैं ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : अप्रैल, १९५३ में हम ने राज्य सरकारों को केन्द्रीय मंत्रणा समिति की तरह मंत्रणा समितियां स्थापित करने के बारे में सुझाव दिया था ताकि ये समितियां प्रादेशिक सेना में भरती बढ़ा सकें और संबंधित स्थानीय समस्याओं पर भी विचार कर सकें। ये समितियां मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल व बम्बई में बन चुकी हैं या बनने ही वाली हैं। अन्य राज्य सरकारों के प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) राज्य मंत्रणा समितियां संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा औपचारिक रूप से बनाई जाती है। आमतौर से, मुख्य मंत्री समिति का सभापति होता है और स्थानीय सैनिक कमान्डर उसका एक सदस्य होती है। एक सैनिक पदाधिकारी समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल तथा बम्बई की राज्य मंत्रणा समितियों की रचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३९]**

रोहतास के किले के मन्दिर

६९३. **डा० रामसुभग सिंह** : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि बिहार के शाहबाद ज़िले के रोहतास के किले के शिव और गणेश के मन्दिरों की मूर्तियां टूट गई हैं ?

(ख) यदि हां, तो यह कब और कैसे टूटी हैं ?

(ग) क्या सरकार उनकी मरम्मत के लिये कोई प्रबन्ध करेगी ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) १९४८ में; विस्तृत बातें पता नहीं ।

(ग) जी नहीं । मन्दिर की मूर्तियां न तो बहुत प्राचीन हैं और न ही सुन्दरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण ।

अध्यापक

६९४. **श्री रिशांग किशिंग** : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकारी सहायता पाने वाले स्कूलों के अध्यापकों को सरकारी कर्मचारी माना जाता है और क्या वे सेवा आचरण नियमों द्वारा शासित होते हैं ?

(ख) क्या मनीपुर सरकार ने हाल ही में एक परिपत्र जारी किया है जिसमें सारे मुख्याध्यापकों व स्थायी अध्यापकों को सूचित किया गया है कि वे पार्टी बाज़ी में हिस्सा न लें और यदि वे ऐसा करेंगे तो उनको दिया जाने वाला सहायता अनुदान वापस लिया जा सकता है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

मनीपुर का पुलिस इंसपैक्टर-जनरल

६९५. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **राज्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के वर्तमान पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट, श्री पलीत, वहां इस समय पुलिस के इंसपेक्टर जनरल भी हैं ;

(ख) यदि हां तो इसके कारण; तथा

(ग) मनीपुर की सरकार द्वारा श्री पलीत की सेवा किन शर्तों के अधीन प्राप्त की गई थी ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजु) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

मेटकाफ़ हाउस के 'हटमेन्ट' व कमरे

६९६. **श्री के० पो० त्रिपाठी** : (क) क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मेटकाफ़ हाउस के 'हटमेंट' व उनके साथ संबद्ध नौकरों के क्वार्टर तथा मेटकाफ हाउस के कमरे (सूट) आई० ए० एस० प्रशिक्षण स्कूल के प्रिंसिपल को दे दिये गये हैं ?

(ख) वे किनके लिये हैं ?

(ग) क्या यह सत्य है कि वहां रहने वालों से बिजली तथा पानी का खर्च वर्ष १९४७ से नहीं लिया गया है ?

(घ) क्या यह सत्य है कि उस अहाते में रहने वाले अन्य लोगों से यह खर्च लिया जा रहा है ?

(ङ) यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

(च) १९४७ से अब तक नहीं लिये गये खर्चे की कुल राशि कितनी होगी ?

(छ) क्या आई० ए० एस० प्रशिक्षण स्कूल के अध्यापकों ने प्रिंसिपल से एक

अभिवेदन किया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि स्कूल के तत्कालीन प्रशासन अधिकारी व लेखापाल ने सरकार को जो रुपया दिया जाने वाला था वह नहीं दिया ?

(ज) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) मेटकाफ़ हाउस अहाते के १८ कमरे (सूट), ६४ हटमेंट व ८० नौकरों के क्वार्टर और कुछ रसोइयां तथा अस्तबल भारतीय प्रशासनीय सेवा प्रशिक्षण स्कूल के प्रिंसिपल को दे दिये गये हैं ।

(ख) ये स्कूल के कार्यों के लिये तथा भारतीय प्रशासनीय सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षार्थियों (प्रोबेशनरों), अध्यापकों तथा स्कूल, 'मेस' व कैन्टीन के प्रबन्ध से संबंधित व्यक्तियों के रहने के लिये हैं ।

(ग) सारे सरकारी होस्टलों की भांति यहां रहने वालों से भी पानी और बिजली के खर्चे के लिये अलग अलग पैसा नहीं लिया जाता बल्कि इसके लिये इकट्ठी राशि निश्चित कर दी गयी थी । पानी व बिजली के लिये अलग अलग खर्चा लेने के प्रश्न पर वित्त तथा निर्माण मंत्रालय के परामर्श के साथ मई १९४९ में विचार किया गया था और क्लर्कों तथा चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिये अलग अलग राशि निश्चित कर भी दी गई थी । प्रशिक्षार्थियों व अधिकारियों के लिये अलग अलग रकमें निश्चित करने में कुछ कठिनाइयां हैं जिन पर विचार हो रहा है । परन्तु जल्दी ही इस संबंध में कुछ फ़ैसला किया जाने वाला है जिसके बाद नये आदेश जारी कर दिये जायेंगे ।

(घ) जी हां; पानी के लिये समान दर पर और बिजली के लिये जितनी खर्च हो उसके आधार पर ।

(ङ) क्योंकि उनके यहां बिजली के अलग अलग मीटर लगे हुए हैं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

(छ) जी हां ।

(ज) आरोप में कोई सार नहीं था ।

एम० टी० ड्राइवर (भारतीय नौसना)

६९७. **श्री विट्ठल राव** : क्या **रक्षा** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि बम्बई में भारतीय नौसेना के एम० टी० ड्राइवरों को अगस्त, १९४७ से 'वैयक्तिक वेतन' नहीं दिया जा रहा है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : जी नहीं । असैनिक ड्राइवरों को उनके वेतन के अलावा ५ रुपये प्रति मास वैयक्तिक वेतन दिया जाता है । वैयक्तिक वेतन ५ रुपये की बजाय २५ रुपये देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

मकान भत्ता

६९८. **श्री नम्बियार** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत के परिमाप विभाग में ३० जुलाई, १९४९ को जारी किये आदेश के अनुसार सरकार ने उन कर्मचारियों को मकान भत्ता देने के आदेश दे दिये हैं जो ऐसे कर्मचारियों के साथ रह रहे हैं जिन्हें सरकारी मकान मिले हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या भत्ता दे दिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण ;

(घ) क्या इस तरह का भत्ता अन्य विभागों के सरकारी कर्मचारियों को दिया गया है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, परन्तु सब मामलों में नहीं, क्योंकि इस विषय में सरकार के आदेशों की ठीक ठीक व्याख्या करने के बारे में कुछ गलतफ़हमी हो गई थी । यह गलतफ़हमी अब दूर कर दी गई है । परन्तु भत्ता देने में अभी कुछ देर लगेगी क्योंकि पुराने दावों का लेखा अधिकारियों द्वारा पूर्व परीक्षण किया जाना है ।

(ग) तथा (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

प्रोफेसर तथा अध्यापक

६९९. श्री बलवन्त सिंह महता: क्या **शिक्षा** मंत्री उन प्रोफ़ेसरों और अध्यापकों के नाम तथा योग्यतायें सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिन्हें भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बुलाया है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद): सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय उपलब्ध करा दी जायेगी ।

वेतन-श्रेणियां

७००. ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक : क्या **वित्त** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार निम्न श्रेणी (लोअर डिवीज़न) तथा उच्च श्रेणी (अपर डिवीज़न) के क्लर्कों की वेतन-श्रेणियों को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): सरकार को निम्न श्रेणी के क्लर्कों से वेतन श्रेणी बढ़ाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । इन अभ्यावेदनों पर विचार किया जा रहा है ।

आसाम के संरक्षित स्मारक

७०१. श्री अमजद अली : क्या **शिक्षा** मंत्री सदन पटल पर आसाम के उन स्मारकों की सूची रखने की कृपा करेंगे जो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत संरक्षित है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद): एक विवरण सदन तटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४०**]

सम्पत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण

७०२. श्री एस० एन० दास: क्या **गृह कार्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विभिन्न राज्यों के विधान मंडलों द्वारा सम्पत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के बारे में बनाये गये उन क़ानूनों की संख्या व स्वरूप जो राष्ट्रपति के विचार के लिये रखे हुए थे और जिन्हें संविधान के लागू होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई है ;

(ख) क्या कोई ऐसे क़ानून थे जिनके बारे में राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दी; तथा

(ग) यदि हां, तो वे क़ानून कौन से थे ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) ऐसे क़ानूनों की संख्या ३३ है जिन्हें विभिन्न राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाया गया है तथा संविधान के लागू होने के बाद जिन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गई है । ये क़ानून ज़मींदारी या जागीरदारी के समापन अथवा ज़मीन संबंधी कुछ अन्य अधिकारों के समापन तथा भूमि सुधारों के बारे में थे ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बिलासपुर में भूस्वामियों को प्रतिकार का भुगतान

७०३. **श्री जांगड़े**: (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार ने बिलासपुर ज़िले के छोटे कौनी, बड़े कौनी, तख्तपुर तथा अन्य ग्रामों में स्थित उन भूमियों के लिये उनके भूस्वामियों को अभी तक उनका मूल्य या प्रतिकर नहीं दिया है जिन पर कि युद्ध काल में भारतीय सेना ने अधिकार किया था ?

(ख) क्या यह सत्य है कि बिलासपुर ज़िले में ऐसे कुछ स्थानों पर आज भी टीन की नालीदार चादरों और इमारती लकड़ी बेकार और बिना उपयोग के पड़ी है जहां कि युद्ध के दिनों में मकान बनाये गये थे ?

(ग) क्या पुनर्वास मंत्रालय या मध्य प्रदेश की सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों को पुनः बसाने के लिये ये मकान मांगे थे ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) प्रतिकर का भुगतान कलक्टर द्वारा उन मामलों को छोड़ कर जहां भूस्वामियों ने उस का निर्धारण नहीं माना हो या जहां भूस्वामियों का पता ही न चला हो, नियमित रूप से किया गया है ।

(ख) सरकार को इसका पता नहीं है ।

(ग) जहां जहां पुनर्वास मंत्रालय या मध्य प्रदेश सरकार ने विस्थापितों के पुनर्संस्थापन के लिये कुछ इमारतों की मांग की, और जहां रक्षा विभाग को उनकी ज़रूरत नहीं थी, वहां वे इमारतें उन्हें दे दी गई थीं ।

कृत्रिम वर्षा

७०४. **श्री अमजद अली**: क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कहीं 'सिल्वर आयडाइड' द्वारा बादलों में नमी पैदा करके कृत्रिम वर्षा करने का प्रयत्न किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें कहां तक सफलता मिली है; तथा

(ग) क्या योजना आयोग ने राजस्थान व रायलसीमा जैसे सूखे प्रदेशों के हित के लिये इस ओर कोई ध्यान दिया है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) तथा (ख). प्रयोगशालाओं में कुछ प्रयोग किये गये हैं । गत वर्ष वर्षा काल में जादवपुर इंजीनियरिंग कॉलिज के डा० एस० के० बनर्जी ने गुब्बारों द्वारा ऊपर ले जाये गये कुछ यंत्रों से 'सिल्वर आयडाइट' जैसी नमी पैदा करने वाली कई चीज़ें बिखेर कर बादलों से पानी बरसाने के लिये कलकत्ते में कुछ प्रयोग किये थे । यह प्रयोग सफल नहीं हुए ।

(ग) जी नहीं, क्योंकि कृत्रिम वर्षा के बारे में अभी प्रयोग ही हो रहे हैं ।

राज्य सरकारों को दिये गये ऋणों पर सूद

७०५. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) १९५२-५३ में प्रत्येक राज्य सरकार से उन की ओर निकलने वाले ऋणों पर सूद के रूप में कुल कितनी राशि वसूल की गई थी ;

(ख) इस अवधि में मूल धन की अदायगी के रूप में प्रत्येक राज्य से कितनी राशि वसूल हुई ; तथा

(ग) इस समय प्रत्येक राज्य सरकार को कुल कितना ऋण चुकाना शेष है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) से (ग). जानकारी का एक विवरण सदन पटल पर रखा जात है ।

विवरण

संख्या	राज्य का नाम	कुल राशि जो १९५२-५३ में वसूल हुई		३१-३-५३ को शेष ऋणों की राशि
		शेष ऋणों पर सूद के रूप में रुपये	मूलधन की अदायगी के रूप में	
१	मद्रास	८१,३२,७४५	७,८५,४८,९९७	४७,७६,७८,२५०
२	बम्बई	८६,६३,१५५	१,०६,४१,७०८	२७,३८,९३,८९०
३	पश्चिमी बंगाल	९१,१८,३५६	३८,८७,६८४	५२,५८,३४,८६८
४	उत्तर प्रदेश	१,३०,७७,३०४	३७,४१,८०२	३९,६४,१९,५०२
५	पंजाब	२,०८,३१,१७५	१,१२,२६,६२६	७७,६८,८३,५९६
६	बिहार	२७,९१,३१८	२०,७७,८५१	१४,०५,८६,१४९
७	मध्य प्रदेश	३३,७२,९८४	२,०१,३७,७११	१३,७९,०५,०५२
८	आसाम	२,४६,२८२	५,५७,८११	२,४८,०१,२१०
९	उड़ीसा	७६,७२,०९२	१७,४२,९१९	२७,२४,८२,७६२
१०	हैदराबाद	८,३२,८१२	४,३६,१५१	८,४८,६२,८४८
११	मध्य भारत	४,७०,०५३	२३,२४,२५७	१,५५,२३,५६०
१२	मैसूर	१६,५७,६०८	८,१३,३०८	७,१५,३६,६९२
१३	पैप्सू	१६,०८७	—	३,१०,८७,५००
१४	राजस्थान	४,३८०	२५,११,०००	५,७६,१३,०००
१५	सौराष्ट्र	७,६०,९५१	४,०२,९५५	३,५३,७२,४६९
१६	त्रावनकोर	७,५७,५९५	१,५५,९७५	२१,८९,०२५
	योग ..	७,८४,०४,८९७	१३,९१,१०,७५७	३,३२,४६,७०,३७३

रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी

७०६. **श्री रामजी वर्मा :** क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय में इस आशय के कोई आदेश लागू हैं कि वे कर्मचारी जिन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय की हिन्दी .....परीक्षा पास करने के बाद केवल अंग्रज़ी में मैट्रिक पास की है, मंत्रालय में या सम्बद्ध कार्यालयों में स्थायी रूप से नियुक्त किये जाने के पात्र नहीं हैं ;

(ख) क्या भाग (क) में उल्लिखित वर्ग के कर्मचारी निम्न श्रेणियों में नियुक्त किये जा सकते हैं ;

(ग) यदि हां, तो किन शर्तों पर;

(घ) क्या सरकार ने भाग (क) में उल्लिखित कर्मचारियों को रक्षा मंत्रालय के मुख्य प्रशासन अधिकारी द्वारा आयोजित १९५३ में पूर्व-स्कूल क्लर्कों के लिए पदोन्नति परीक्षा पास करने की कोई सुविधा दी है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ;

(च) मंत्रालय और सम्बद्ध कार्यालयों में भाग (क) और (ग) में उल्लिखित वर्गों के व्यक्तियों की पृथक् पृथक् संख्या क्या है; तथा

(छ) इन्हें सरकारी सेवा में स्थायी रूप से नियुक्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आदेश के अनुसार, जो कि सामान्य रूप से लागू होता है ये कर्मचारी उन व्यक्तियों की श्रेणी में नहीं आते जिन्हें शिक्षा की दृष्टि से पात्र समझा जाता है ।

(ख) जी हां ।

(ग) वे व्यक्ति जो जनवरी १, १९४९ को निचली श्रेणियों के उन पदों पर जिन के लिए कम से कम मैट्रिक होना आवश्यक है, ३ वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर चुके हों, और जो कि सेवा में जारी रखे जाने और स्थायी किये जाने के योग्य समझे जाते हों ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) चूंकि ए० एफ० एच० क्यू० क्लर्कों की पदाली में व्यक्तियों की स्थायी नियुक्ति अन्य बातों के साथ साथ गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित शिक्षा सम्बन्धी न्यूनतम योग्यता (अर्थात मैट्रिक) पर आधारित है, इस लिए पदोन्नति परीक्षा पास करने की कोई सुविधा नहीं दी जाती ।

(च) प्रश्न के भाग (क) के सम्बन्ध में—एक ।

प्रश्न के भाग (ख) के सम्बन्ध में —शून्य

(छ) भाग (ङ) को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकार के व्यक्तियों को मंत्रालय और सम्बद्ध कार्यालयों में स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता ।

विदेशीय विनिमय

७०७. श्री एस० जो० पारिख : क्या **वित** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१, १९५२ और जुलाई, १९५३ तक स्वास्थ्य के हेतु विदेशों की यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिये पौंड और डालरों में कितने विदेशीय विनिमय की व्यवस्था की गई थी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४१]**

हिन्दी की परीक्षाएं

७०८. श्री बी० एन० मिश्र : क्या **शिक्षा** मंत्री उन संस्थाओं की एक सूची सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे जो कि हिन्दी में परीक्षाएं आयोजित करती हैं और जो सरकार द्वारा अभिज्ञात हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित हिन्दी परीक्षाओं के प्रश्न पर और इन परीक्षाओं को अभिज्ञात करने या अनभिज्ञात करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये सरकार एक समिति नियुक्त कर रही है । इसका प्रतिवेदन तैयार होने पर संसद् के पुस्तकालय में रख दिया जायेगा ।

रक्षित स्मारक

७०९. **श्री रघुनाथ सिंह**: (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के कितने मुस्लिम बादशाहों के मज़ार रक्षित स्मारक समझे जाते हैं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि बहलोल लोदी का मज़ार और गयासुद्दीन बलबन, नासिरुद्दीन के मज़ार उपेक्षित अवस्था में पड़े हुए हैं ?

(ग) क्या सरकार का उक्त मज़ारों की मरम्मत के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) ११ ।

(ख) बहलोल लोदी एक रक्षित स्मारक है और उपेक्षित अवस्था में नहीं है ।

शेष दो मज़ार रक्षित स्मारक नहीं हैं ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

रक्षित स्मारक

७१०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रक्षित स्मारकों की १९१० की सूची की तुलना में इस समय दिल्ली में कितने रक्षित स्मारक शेष रह गये हैं और कितने नष्ट हो गये हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : १९१० में दिल्ली के रक्षित स्मारकों की कोई सूची प्रकाशित नहीं की गई थी । सब से पहिले सूची १९२८ में प्रकाशित की गई थी । उस समय रक्षित स्मारकों की संख्या १५० थी ।

अब इन की संख्या १४३ है क्योंकि १९२८ से ७ स्मारकों की रक्षा बन्द कर दी गई है ।

कोरिया में भेजा गया दल

७११. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कोरिया को भेजे गये दल में कितने पदाधिकारी और जवान हैं ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : उन सेना पदाधिकारियों और अन्य सिपाहियों की संख्या जो कोरिया गये हैं निम्न हैं :

	तटस्थ राज्य प्रत्यावास्न आयोग	सुरक्षा दल	योग
पदाधिकारी	५२	१४९	२०१
कनिष्ट कमीशन प्राप्त पदाधिकारी	१९	१६९	१८८
अन्य सिपाही	१६०	४६८१	४८४१
योग	२३१	४९९९	५२३०

पश्चिमी वंगाल को दिया गया ऋण

७१२. **श्री एन० बो० चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में ३१ अगस्त, १९५३ तक पश्चिमी बंगाल की सरकार को नदी घाटी परियोजना कार्यान्वित करने के लिए कितना रुपया ऋण के रूप में दिया गया है ;

(ख) यह ऋण सूद की किस दर से दिया गया है; तथा

(ग) क्या ऋण की अदायगी के लिए कोई कालावधि निश्चित की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) दामोदर घाटी निगम के लिये ४३४.६४ लाख रुपये ।

(ख) १ १/४ प्रतिशत प्रति वर्ष ।

(ग) यह ऋण ४० वर्ष बाद एक किस्त में वापस किया जा सकता है ।

पुस्तकालय विस्तार योजना

७१३. **ठाकूर युगल किशोर सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा विभाग ने कोई पुस्कालय विस्तार योजना तैयार की है ;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र के समक्ष कोई योजना प्रस्तुत की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर कोई कार्य-वाही की गई है या किये जाने का विचार है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ४२]**

आसाम के पहाड़ी और मैदानी आदिम जाति-क्षेत्र

७१४. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान के अनुच्छेद २७५ के अन्तर्गत भारत सरकार ने १९५३-५४ के लिए आसाम के पहाड़ी तथा मैदानी आदिम जाति क्षेत्रों की विकास योजनाओं के हेतु कितना रुपया आवंटित किया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस आवंटित राशि को कम कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो कुल कितनी राशि कम की गई है ;

(घ) यह कमी किन कारणों से की गई है ;

(ङ) क्या आसाम के मुख्य मंत्री ने अपने हाल के दिल्ली के दौरे में यह प्रार्थना की थी कि स्वायत्त जिलों में सड़कों पर अतिरिक्त व्यय के लिये चालू वर्ष में १३ लाख रुपये और आवंटित किये जायें ;

(च) यदि भाग (ङ) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ; तथा

(छ) यदि हां, तो कितनी राशि की मंजूरी दी जायेगी और कब ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) (१) मैदानी आदिम जाति जिलों के लिए १५ लाख रुपये ;

(२) स्वायत्त पहाड़ी जिलों के लिए ४५ लाख रुपये ;

(३) संविधान के अनुच्छेद २७५ (१) के दूसरे परन्तुक के खंड (क) के अन्तर्गत ४० लाख रुपये ; तथा

(४) आसाम में जिला परिषदें स्थापित करने के लिये १० लाख रुपये ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) तथा (घ) उत्पन्न नहीं होते ।

(ङ) जी हां ।

(च) तथा (छ). प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है और १३ लाख रुपये का अतिरिक्त आवंटन कर दिया गया है।

उड़ीसा में हिन्दी का प्रचार

७१५. **पंडित लिंगराज मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्कुल प्रान्तीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा से उड़ीसा में हिन्दी के प्रचार के विषय सम्बन्धी कोई योजना शिक्षा मंत्रालय को प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या योजना पर विचार हो चुका है ; तथा

(ग) यदि ऐसा है तो इसके क्या परिणाम हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). भारत सरकार भारत के पूर्वी राज्यों में जिन में उड़ीसा भी शामिल है, हिन्दी के प्रचार के लिये एक विस्तृत योजना पर विचार कर रही है।

त्रिपुरा

७१६. **श्री एन० बी० चौधरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि त्रिपुरा को शिक्षा सम्बन्धी विस्तृत विकास के क्षेत्रों की सूची म से छोड़ दिया गया है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो इसे शामिल न करने के कारण क्या हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विमान दुर्घटना

७१७. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २७ अगस्त, १९५३ के प्रातः को पूना के निकट विमान गिरने की कोई दुर्घटना हुई थी ;

(ख) क्या उसमें मृत व्यक्तियों की संख्या ९ थी ;

(ग) सम्पत्ति की हानि तथा उसका अनुमित मूल्य कितना है ; तथा

(घ) क्या पहले की दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में की गई जांच के निष्कर्षों को विमान-चालक विभाग के कर्मचारियों में प्रचालित किया जाता है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) आई० ए० एफ० का एक विमान २७ अगस्त, १९५३ को ९ बजे पूना के निकट गिरा था।

(ख) जी हां।

(ग) हानि की सीमा का उस समय पता लगेगा जब इस दुर्घटना में जांच कर रहे जांच न्यायालय की कार्यवाही मिल जायगी।

(घ) जी हां।

सत्यमेव जयते

बुधवार,
१६ सितम्बर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13.3.12
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बुधवार, १६ सितम्बर १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(**देखिये भाग १**)

९-१५ म० पू०

स्थगन प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : १५ सितम्बर, १९५३ को कोचीन पत्तन के कमकरों पर लाठी तथा गोली चलाने के सम्बन्ध में, जिसमें कि तीन कमकरों की मृत्यु हो गई तथा अनेक घायल हुए, मुझे श्री पुन्नूस से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। इस आरोप का आधार क्या है ?

श्री पुन्नूस (आल्लप्पी) : यह समाचार 'टाइम्स आफ इंडिया', 'हिन्दुस्तान टाइम्स' तथा लगभग सभी अन्य पत्रों में प्रकाशित हुआ है। मुझे तार भी प्राप्त हुए हैं।

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : सम्बन्धित मजदूर प्राइवेट

कम्पनियों के कर्मचारी हैं। दूसरे शब्दों में पत्तन के मजदूर सम्बन्धित नहीं हैं। झगड़े का आधार दो श्रम संघों के मध्य प्रतिद्वन्दता प्रतीत होता है। हम कोचीन पत्तन के प्रशासी अधिकारी से पूरी जानकारी प्राप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

यह एक ऐसा मामला है जिस पर कि हम स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि सम्बन्धित मजदूर पत्तन अधिकारियों द्वारा रक्खे गए मजदूर नहीं हैं। शान्ति तथा व्यवस्था राज्यों के अन्तर्गत आते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या गोलीकांड पत्तन के क्षेत्र में हुआ था ?

श्री पुन्नूस : यह कोचीन पत्तन पुलिस स्टेशन के पास हुआ था।

उपाध्यक्ष महोदय : पुलिस स्टेशन पत्तन के पास में नहीं है। यह घटना पत्तन के बाहर हुई है और इसलिए यह शान्ति तथा व्यवस्था का मामला है। इसके अतिरिक्त इस घटना का पत्तन के किसी मजदूर से सम्बन्ध नहीं है। इस लिए मैं समझता हूं कि हम इस मामले से किसी भी प्रकार सम्बन्धित नहीं हैं। मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दे सकता।

अनुपस्थिति की अनुमति

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सदन के माननीय सदस्यों को सूचित करना है

[उपाध्यक्ष महोदय]

कि श्री गुलजारी लाल नन्दा का पत्र आया है कि वह त्रिचूर में अपना इलाज करा रहे हैं और इसलिए लोक सभा के चालू सत्र में उपस्थित न हो सकेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी अनुपस्थिति की अनुमति की प्रार्थना की है।

सदन द्वारा श्री गुलजारी लाल नन्दा की अनुपस्थिति की अनुमति की प्रार्थना स्वीकार की गई।

समिति के लिए चुनाव

कांउसिल आफ इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, बंगलोर

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री लक्ष्मी कांत मैत्रा की मृत्यु के परिणामस्वरूप कांउसिल आफ इंडियन इंस्टीट्यूट आफ सांइस, बंगलोर में जो एक सदस्य का स्थान खाली हुआ था वहां के लिए नामनिर्देशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि, १५ सितम्बर, मंगलवार, दोपहर के बारह बजे तक थी तथा एक नाम श्री जी० आर० दामोदरन का प्राप्त हुआ है और इसलिए मैं उन्हें निर्वाचित घोषित करता हूं।

पेप्सू में राष्ट्रपति की उदघोषणा सम्बन्धी प्रस्ताव

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

> "यह सदन राष्ट्रपति द्वारा, ४ मार्च १९५३ को संविधान के अनुच्छद ३५६ के अंतर्गत निर्गमित उस उद्घोषणा के प्रवृत्त रहे आने का अनुमोदन करता है जिस के द्वारा उन्होंने पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ की सरकार के सब कृत्य स्वयं संभाल लिये थे और जो लोक सभा तथा राज्य-परिषद द्वारा क्रमशः १२ मार्च, १९५३ तथा २६ मार्च १९५३ को पारित संकल्पों द्वारा स्वीकार कर ली गई थी।"

जहां तक इस संकल्प का प्रश्न है, सदन को स्मरण होगा कि किन परिस्थितियों के अंतर्गत राष्ट्रपति ने पेप्सू राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लिया था। तब से इस मामले पर सदन में तीन या चार बार चर्चा हो चुकी है तथा उन मौकों पर अनेक मामलों पर विचार हुआ था। उस समय मैं ने यह स्पष्ट किया था कि राष्ट्रपति को क्यों हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ी। यह मैं प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि "राष्ट्रपति का शासन" शब्द बिलकुल टेकनीकल है। इन से यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि राष्ट्रपति का शासन केवल एक व्यक्ति का शासन है तथा वह निरंकुश रूप से शासन चलाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक कि पेप्सू के आंतरिक मामलों का सम्बन्ध है, पेप्सू विधान मण्डल, पेप्सू की जनता की ओर से राज्य का काम चलाता था। राष्ट्रपति के हस्तक्षेप से वहां की जनता की सत्ता अब इस संसद की सत्ता से प्रतिस्थापित हो गई है। पेप्सू की जनता का स्थान समस्त भारत के लोगों ने ले लिया है। राष्ट्रपति के शासन के दौरान में पेप्सू के मामलात इस संसद द्वारा और इस प्रकार भारत की समस्त जनता द्वारा व्यवहृत होंगे। संसद में पेप्सू के सदस्यों सहित यहां के सारे सदस्यों को वहां के लिए विधान बनाने वहां के सम्बन्ध में प्रश्न पूछने तथा यहां के बारे में हर प्रकार का सक्रिय भाग लेने का अधिकार है। यदि राष्ट्रपति

अपनी उद्घोषणा प्रतिसंहारित करदे, अथवा यदि उसके शासन की अवधि समाप्त हो जायं, तो परिणाम यह होता है कि भारत के लोग पेप्सू के लोगों को अपनी व्यवस्था संभालने का काम पुनः सौंप देते हैं ।

तो सदन को याद होगा कि मुख्य कारण जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति को पेप्सू में हस्तक्षेप करना पड़ा था निर्वाचन न्यायाधिकरणों के निर्णय थे जिन के कारण मंत्रालय ने, व्यवहार रूप में, कार्य करना ही बंद कर दिया था । ६० सदस्यों के सदन में से २२ सदस्यों का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया गया । मुख्य मंत्री तथा उनके मंत्रालय के तीन सदस्यों का निर्वाचन भी अवैध घोषित कर दिया गया। इसलिए राष्ट्रपति को यह उद्घोषणा करनी पड़ी और सदन ने उस का अनुसमर्थन किया। अब छः मास की अवधि समाप्त हो चुकी है और मे सदन के सम्मुख इस अवधि को बढ़ाने की मांग करने आया हूं । निर्वाचन अभी नहीं हुए हैं ।

कुमारी एनी मस्करीन (त्रिवेन्द्रम) : इस का क्या कारण है ?

डा० काटजू : इस प्रश्न का एक उत्तर यह है कि परिसीमन आयोग की नियुक्ति के पश्चात् उस का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने तक कानूनन निर्वाचन नहीं हो सकते । दूसरे निर्वाचन नामावलियों का प्रश्न है । और फिर सामान्य प्रश्न हैं, जैसे कि वहां अव्यवस्था बहुत अधिक है तथा शान्ति के लिए खतरनाक सिद्ध होने वाले तत्वों को साफ किया जाता है । बहुत से और प्रश्न भी हैं । वहां की परिस्थिति बहुत खराब थी और हम ने बहुत कुछ किया है । जो कुछ हम ने इन छः मासों में किया है उस का एक संक्षिप्त विवरण मैं सदन के सम्मुख रखना चाहता था और यह रख दिया गया है । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को इस की प्रति मिली होगी ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : वह तो हमें मिल चुकी है । इस का उत्तर दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्या है ?

डा० काटजू : यह पुस्तिका 'पेप्सू नेशनल फ्रंट' द्वारा जारी की गई है और पूर्व मंत्री सरदार ज्ञान सिंह रारेवाला द्वारा इस का प्राक्कथन लिखा गया है। इसका नाम है 'पेप्सू में राष्ट्रपति का शासन' । मैं इस के सम्बन्ध में विस्तार में नहीं जानना चाहता किन्तु इस में कही गई एक बात पर मैं खास तौर से कहना चाहता हूं । इस में कहा गया है--और आज सुबह के अखबारों में भी मैंने देखा--कि राष्ट्रपति के परामर्शदाता ने वहां एक प्रकार का लोह आवरण डाल दिया है और वहां से कोई खबर बाहर नहीं आ पाती । अपराधों को अभिलिखित नहीं किया जाता है और गम्भीर अपराध मामूली अपराध के रूप में अभिलिखित किए जाते हैं । मैं पूरे ज़ोर के साथ कहता हूं कि यह एकदम निराधार और झूठ बात है । आप जरा सोचिए पेप्सू के सदस्य यहां मौजूद हैं । उन में से आधे विरोधी दल में शामिल हैं । सदन के प्रत्येक सदस्य को वहां के सम्बन्ध में कैसे भी प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार है और उन प्रश्न पर वे अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं । मैं उन का उत्तर देने के लिए यहां मौजूद हूं । त्रिपुरा और मनीपुर के बारे में मैंने

[डा० काटजू]

सप्ताह में दो बार प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। किन्तु पेप्सू के सम्बन्ध में मुश्किल से दो या तीन प्रश्न अब तक पूछे गए हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और प्रेसीडेन्ट के अन्तर्गत पेप्सू में कार्य करने वाले अधिकारियों के लिए प्रशंसनीय है। क्यों वहां के बारे में प्रश्न नहीं पूछे गए ? मैं डा० लंका सुन्दरम से निवेदन करूंगा कि वे विचार करें कि इस से क्या निदान निकलता है। तथ्य यह है कि वहां पर निहित स्वार्थों का एक तबका ऐसा है जो झूठे आरोप लगा कर राष्ट्रपति के प्रशासन के विरुद्ध लोगों को भड़काना चाहता है। मैं डा० लंका सुन्दरम से जो एक स्वतन्त्र विचारों के व्यक्ति हैं—निवेदन करूंगा कि इसे दलगत महत्ता न देकर इस पर स्वतन्त्र रूप से अपने विचार कायम करें।

इस संकल्प का एक संशोधन प्रस्तुत किया गया है जिसमें आगामी निर्वाचनों के बारे में कहा गया है। मार्च के महीने में सदन का स्वीकृति के उद्घोषणा प्रस्तुत करते समय जो वचन मैंने दिया था में उस पर सन्नद्ध हूं। मैं ने कहा था कि किसी लम्बे अरसे तक अपना प्रशासन चालू रखने की हमारी कतई इच्छा नहीं है। हमें अपनी इच्छा के विरुद्ध वहां हस्तक्षेप करना पड़ा था। हमारा यह भी विश्वास है कि संविधान के अन्तर्गत राज्यों को अपना शासन चलाने का जो अधिकार है उसे वे व्यवहृत करें। इस लिए, मैं ने मार्च में जो कहा था मैं उस पर सन्नद्ध हूं। यदि मेरे वश में होता तो मैं ने अवश्य ही जून १९५३ में निर्वाचन करा लिया होता। कि जून १९५३ में यह इस लिए नहीं किया जा सका कि जब तक परिसीमन आयोग अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर दे तब तक कानूनन यह नहीं किया जा सकता। वहां का प्रशासन हमें इस लिए लेना पड़ा कि अव्यवस्था वहां बहुत अधिक थी। हत्या, अपहरण, डकैती इत्यादि बातें आम हो गई थीं और लोग दिन छुपे बाद अपने घरों से निकलने का साहस नहीं करते थे। किशनगढ़ के लोगों ने लगान ही देना बन्द कर दिया था। राष्ट्रपति के परामर्शदाता ने जो कुछ वहां किया है वह पुनः व्यवस्था जारी करने के लिए किया है। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं सदन से इस संकल्प को स्वीकार करने का निवेदन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

> "कि यह सदन राष्ट्रपति द्वारा ४ मार्च, १९५३ को, संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत निर्गमित उस उद्घोषणा के प्रवृत्त रहे आने का अनुमोदन करता है जिस के द्वारा उन्होंने पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ की सरकार के सब कृत्य स्वयं संभाल लिये थे और जो लोक-सभा तथा राज्य परिषद् द्वारा क्रमशः १२ मार्च, १९५३ तथा २६ मार्च, १९५३ को पारित संकल्पों द्वारा स्वीकार कर ली गयी थी।"

मुझ इस संकल्प के संशोधन की सूचना डा० रामा राव से मिली है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसे किसी विधेयक के सम्बन्ध में कोई संशोधन पुरःस्थापित किया भी जा सकता है या नहीं। पहले मैं इस सम्बन्ध में डा० रामा राव के

विचार जानना चाहता हूं और फिर माननीय गृह-कार्य मंत्री के ।

डा० रामा राव (काकिनाडा) : इस संशोधन से मेरा यह अभिप्राय यह है कि पेप्सू में राष्ट्रपति के शासन की न तो पहले ही कोई आवश्यकता थी और न अब है । वहां तुरन्त ही निर्वाचन किये जायें और यथाशीघ्र राष्ट्रपति का शासन समाप्त किया जाये। मेरा संशोधन पूर्णतः नियमानुकूल है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं इस प्रश्न पर माननीय गृह कार्य मंत्री के विचार जानना चाहता हूं ।

डा० काटजू : यह मामला संविधान के अनुच्छेद ३५६ (४) के अन्तर्गत आता है जिसमें कहा गया है कि :

> "इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा, यदि प्रति-संहृत नहीं हो गई हो तो, इस अनुच्छेद के खंड (३) के अधीन उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्पों में से दूसरे के पारित हो जाने की तारीख से छः महीने की कालावधि की समाप्ति पर वह प्रवर्तन में नहीं रहेगी ।"

फिर परन्तुक में कहा गया है कि :

> "परन्तु ऐसी उद्घोषणा के प्रवृत्त रखने के लिये अनुमोदन करने वाला संकल्प, यदि और जितनी बार, संसद् के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो, और उतनी बार, वह उद्घोषणा जब तक कि प्रतिसंहृत न हो जाय, उस तारीख से जिस से कि वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवर्तन में नहीं रहती, छः महीने की और कालावधि तक प्रवृत्त बनी रहेगी, किन्तु कोई ऐसी उद्घोषणा किसी अवस्था में भी तीन वर्ष से अधीक प्रवृत्त नहीं रहेगी ।"

अर्थात् ज्यों ही संसद् इस उद्घोषणा के बने रहे आने की मंजूरी दे देती है, त्यों ही उसके छः मास और प्रवृत्त रहे आने की स्वीकृति मिल जाती है । यदि इस संशोधन सेमाननीय सदस्य का अभिप्राय यह सिफारिश करना है कि राष्ट्रपति को सामान्य निर्वाचन किये जाने का आदेश शीघ्रातिशीघ्र दे देना चाहिये तो यह एक दूसरी बात है । यह चीज़ इस संकल्प से सम्बद्ध नहीं की जा सकती जिसका प्रयोजन ही एक है, अर्थात्, उद्घोषणा के प्रवृत्त रहे आने का अनुमोदन करना । यदि संसद् इसका अनुमोदन कर देती है तो यह स्वतः छः मास तक प्रवृत्त रही आयेगी । यह कहना संविधान के अनुकूल नहीं होगा कि यह दो, तीन या चार मास तक प्रवृत्त रहे । सदन यह नहीं कह सकता : "हम इसका अनुमोदन केवल दो या तीन महीनों के लिये कर रहे हैं"। यदि एक बार आप इसका अनुमोदन कर देते हैं तो यह संविधान के अनुसार, यदि यह प्रतिसंहृत नहीं हो जाती छः महीने तक प्रवृत्त रहेगी । अतः मेरा निवेदन यह है कि यह संशोधन नियमानुकूल नहीं है।

श्री पुन्नूस : प्रस्तुत संकल्प राष्ट्रपति के शासन को छः महीने और जारी रखने के लिये है । माननीय गृह कार्य मंत्री द्वारा उद्धृत उपबन्ध से केवल यह मतलब निकलता है कि यदि संकल्प पारित हो जाता है तो यह छः महीने तक प्रवृत्त रहेगा और यह कालावधि घटा कर तीन या चार महीने नहीं की जा सकती ।

परन्तु संशोधन में केवल यह कहा गया है कि निर्वाचन तुरन्त होने चाहियें । इन छः महीनों में निर्वाचन कर लिये जायें ।

[श्री पुन्नूस]

क्या सदन संकल्प को इस संशोधन के साथ पारित नहीं कर सकता कि इस अवधि में निर्वाचन कर लिये जायें ? अतः संशोधन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नियमविरुद्ध हो । मेरा निवेदन बस यह है ।

श्री के० के० बसु : संविधान के इस अनुच्छेद में तो छः मास की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी गई है । इसका यह अर्थ नहीं है कि सदन राष्ट्रपति से यह सिफारिश नहीं कर सकता कि इस अवधि में निर्वाचन कर लिये जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है, शायद इसका अभिप्राय यह है कि मूल संकल्प के स्थान में यह आदिष्ट किया जाये ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

डा० रामा राव : ये शब्द तो सुभीते के लिये रख दिये गये हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो शायद अभिप्राय यह है कि संकल्प के अंत में ये शब्द जोड़ दिये जायें ।

डा० रामा राव : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : तो माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि संकल्प के अंत में यह जोड़ दिया जाये : "किन्तु उसकी यह राय है कि पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ के विधान-मंडल के निर्वाचन तुरन्त किये जायें"। यदि संशोधन का स्वरूप ऐसा हो जाता है तो उस दशा में उसके प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दी जा सकती है ।

डा० काटजू : मेरा निवेदन यह है कि यदि सिफारिश करनी ही है तो यह इस संकल्प के साथ न रखी जाय, अलग से की जाय । यदि ऐसा न हुआ तो यह आगे के लिये एक उदाहरण बन जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस संशोधन के प्रस्तुत किये जाने की अनमति एक आदेशन संशोधन के रूप में दूंगा । यह एक आदेशन संकल्प है कि हम उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहे आने का अनुमोदन नहीं करते । कारण यह है कि वहां निर्वाचन तुरन्त होने चाहिये । सदन को यह हक्क है कि वह उद्घोषणा के प्रवर्तन के जारी रहने के पक्ष या विपक्ष में मत दे और उसके कारण बतलाये । अतएव मेरा ख्याल है कि मैं इस आदेशन संकल्प के प्रस्तुत किये जाने की अनुमति दे दूं । मैं इस संशोधन पर चर्चा की अनुमति दूंगा ।

डा० रामा राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सदन राष्ट्रपति द्वारा ४ मार्च, १९५३ को, संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत निर्गमित उस उद्घोषणा पर, जिसके द्वारा उन्होंने पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ की सरकार के सब कृत्य स्वयं संभाल लिये थे और जो लोक-सभा तथा राज्य-परिषद् द्वारा क्रमशः १२ मार्च, १९५३ तथा २६ मार्च, १९५३ को पारित संकल्पों द्वारा स्वीकार कर ली गयी थी, विचार करने के पश्चात् यह राय देता है कि पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ विधान-मंडल के निर्वाचन तुरन्त किय जायें ।"

माननीय गृह-कार्य मन्त्री ने यह कहा था कि पेप्सू में राष्ट्रपति का शासन कायम करने का एक कारण यह भी था कि वहां अपराधों की संख्या बढ़ गई थी। इस सिलसिले में मैं श्री पी० एस० राव के एक लेख की ओर निर्देश करूंगा जो कि "ट्रिब्यून" में निकला था। उन्होंने उसमें लिखा है कि वहां अपराधों की कुल संख्या १९५१ में ११,००० और १९५२ में १०,७०० थी। इस से ज्ञात होता है कि राड़ेवाला सरकार के दौरान में, जो कि लगभग अप्रैल १९५२ में कायम हुई थी, अपराधों की संख्या वास्तव में कम ही हुई थी। अतः यह कहना ठीक नहीं प्रतीत होता कि अपराधों की संख्या बढ़ रही थी।

मैं संक्षेप में यह बतलाऊंगा कि इस सरकार ने क्या किया। राड़ेवाला सरकार ने तो विधान-सभा के सदस्यों की दो समितियां नियुक्त की थीं—एक तो पुलिस में भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए और दूसरी लगान के रजिस्टरों में गलत इंदराजों की जांच करने के लिए। अब राष्ट्रपति के शासन में य दोनों समितियां समाप्त हो गई हैं।

जहां तक कृषि सम्बन्धी सुधारों का प्रश्न है राड़ेवाला सरकार ने दारा सिंह समिति नामक एक समिति नियुक्त की थी जिस ने इस विषय में जांच कर के कुछ सिफारिशें की थीं। मैं चाहता हूं कि आप इस सम्बन्ध में राड़ेवाला सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयकों का वर्तमान प्रस्थापनाओं के साथ मुकाबला कीजिये। पहले इन ज़मीन के मालिकों का ज़मीन पर कोई अधिकार नहीं था। परन्तु वतमान सरकार इन मालिकों को उदारता पूर्वक प्रतिकर दे रही है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

अब मैं परिभोक्ता कृषकों पर आता हूं। पूर्व समिति उनके लगान की सारी बकाया छोड़ देने पर राज़ी हो गई थी। उसने प्रतिकर की परिभाषा इस प्रकार की थी कि उसमें बकाया सहित सब अधिकार सम्मिलित थे। परन्तु अब डा० काटजू बिस्वेदारों को न केवल १२ गुना लगान ही दे रहे हैं बल्कि लगान की बकाया वसूल करके भी उन्हें दे रहे हैं। तो यह स्पष्ट है कि जहां तक इन बिस्वेदारों का प्रश्न है, डा० काटजू उनके साथ राड़ेवाला सरकार की अपेक्षा अधिक पक्ष कर रहे हैं।

पटियाला बैंक के जनरल मैनेजर से ६५,००० रुपये देने के लिए कहा गया था। यह राशि कुछ ऐसी कारों के क्रय के सिलसिले में थी जिन्हें खरीदने का जनरल मैनेजर को हक्क नहीं था। अब यह राशि छोड़ दी गई है।

राड़ेवाला सरकार वित्तायुक्त तथा मुख्य सचिव को कोई १५०० रुपये दे रही थी जो अब बढ़ाकर क्रमशः २,५०० रुपये तथा २,२५० रुपये कर दिये गये हैं।

सामन्तवादियों के प्रति भी डा० काटजू की सरकार बड़ी उदारता से काम ले रही है। उसने जिंद की महारानी को काफी भूमि दी है। वर्तमान सरकार ने एक और रानी को १०,००० रुपये पेंशन के रूप में स्वीकृत किये हैं। वह रानी इंगलैंड में रहती है। एक और राजकुमारी को १०,००० रुपये प्रतिवर्ष आजीवन पेंशन दी गई है।

डा० काटजू: श्रीमान्, यह बात संसद की मर्यादा के प्रतिकूल है कि ऐसे व्यक्तियों

[डा० काटजू]

के विरुद्ध कहा जा रहा है जो अपनी सफ़ाई देने के लिए यहां मौजूद नहीं है ।

सभापति महोदय : क्योंकि वे व्यक्ति यहां मौजूद नहीं हैं, इसलिए अधिक अच्छा यही होगा कि माननीय सदस्य मंत्री महोदय से अलग मिल कर ठीक ठीक जानकारी प्राप्त कर लें ।

डा० रामा राव : मैं उन व्यक्तियों के विरुद्ध कुछ नहीं कह रहा हूं । मेरा कहना तो माननीय गृह-कार्य मंत्री से है ।

हमें जो कागज दिया गया है उसमें यह दर्शाया गया है कि कृषकों ने लगान और बकाया अपनी इच्छा से चुका दिया है, जबकि वास्तव में हुआ यह है कि पुलिस ने गांव गांव में छापे मार कर और गरीब किसानों पर दबाव डाल कर रुपया वसूल किया है ।

लोगों से कुछ हथियार छीने गये हैं । परन्तु मैं पूछता हूं : क्या बिस्वेदारों से भी हथियार लिए गए हैं ? क्या एक भी बिस्वेदार पर मुकदमा चलाया गया है ? पिछले सत्र में माननीय वित्त मंत्री श्री देशमुख, ने कहा था कि "जांच से पता चलता है कि इस आरोप में कुछ सार है.....और कुछ बिस्वेदारों को ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा यह चेतावनी दे दी गई है कि वे डाकुओं को कुछ सहायता न दें । उनके विरुद्ध कोई दण्ड कार्य-वाही न की जा सकी ।" श्री देशमुख ने यह भी कहा था कि "यह भी बतलाया गया कि कुछ डाकुओं को पटियाला की राजमाता के फ़ार्म में पनाह दी गई। राजमाता द्वारा कोई पनाह दी जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वह आरोप भी सच नहीं है । फार्म में बहुत सारी ज़मीन है और यह पता लगा है कि राजमाता के दो कर्मचारियों ने डाकुओं को कुछ पनाह दी थी ।" राज-माता द्वारा पनाह दी जाने का निर्देश नामी डाकू जंगा की ओर है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बिस्वेदार इन डाकुओं की सहायता कर रहे थे । अब सरकार इन्हीं बिस्वेदारों के लाभ के लिए निर्धन व्यक्तियों का शोषण कर रही है ताकि अगले चुनाव में डा० काटजू की सरकार कायम हो सके ।

वैसे तो ये लोग भले हैं, परन्तु डा० काटजू उन्हें काफी धन तथा अस्त्र-शस्त्र देकर उन्हें तथा जनता को खराब कर रहे हैं ।

शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में कुछ कहा गया है । मुझे मालूम है कि इसके आवरण में क्या कुछ किया जाता है । हमने यह आन्ध्र तथा तैलंगाना में देखा । लोगों को पुलिस थानों से बाहर ले कर गोली से उड़ा दिया जाता है और फिर यह कहा जाता है कि मुठभेड़ हुई और पुलिस को आत्म-रक्षा में गोली चलानी पड़ी । यहां पेप्सू में गजनसिंह नामी किसान कार्यकर्ता को पुलिस विभाग के सूचना देने वाले व्यक्तियों ने मार डाला । इसी तरह जंदसर के इन्द्रसिंह को जंगल ले जाकर मार डाला गया और प्रीतमसिंह को मानसा पुलिस थाने के बाहर मार डाला गया ।

सरदार राड़ेवाला ने एक ऐसे पत्र का उल्लेख किया है जो कि पेप्सू कांग्रेस पार्टी ने पंडित नेहरू को लिखा है । ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें लिखा गया है कि 'अभी कुछ समय के लिए चुनाव न कराइये' । स्पष्टतः कांग्रेस अभी

भी अपनी विजय बारे में निश्चित नहीं है ।

मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह किसानों तथा मजदूरों अवहेलना करके स्वार्थी पक्षों को सहायता देने की नीति छोड़ दे ।

[सभापति महोदय ने डा० रामा राव द्वारा प्रस्तुत संशोधन सदन के समक्ष रखा]

सरदार हुक्म सिंह : मुझे अपने मित्र माननीय गृह मंत्री के भाषण को सुन कर कुछ कुछ निराशा हुई । पेप्सू में राष्ट्रपति राज की अवधि बढ़ा देने के सम्बन्ध में उन्होंने जो तर्क दिये थे, वह कोई नये न थे । वह उन्होंने उस समय भी दि थे जब कि वहां राष्ट्रपति राज प्रस्तुत किया गया था । उन्होंने बताया कि परिसीमन आयोग ने अपना काम समाप्त नहीं किया है तथा निर्वाचक नामावली अभी तैयार नहीं है । जहां तक मुझे मालूम है परिसीमन आयोग ने अपना काम पूरा किया है तथा उसने हमें सूचना दी है कि वह शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगा । इसी तरह से मैं सदन को यह भी बता देना चाहता हूं कि निर्वाचक नामावली भी लगभग तैयार हो गई है । पेप्सू के प्रमुख निर्वाचक अधिकारी ने हमें इस बारे में सूचना दी है । तो, मेरा निवेदन यह है कि यदि सरकार पेप्सू में अविलम्ब ही चुनाव कराना चाहे तो इन दो बातों के कारण इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती है ।

बताया गया है कि वहां राष्ट्रपति के राज की कालावधि बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष कारण विद्यमान हैं । मंत्री जी ने सरकार पर लगाए गए इस आरोप का विरोध किया कि पेप्सू में कांग्रेस के हाथ मजबूत करने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा यह आरोप सही है । संविधान का सर्वथा तिरस्कार किया गया है तथा यह केवल इसलिए किया गया है कि सरकार भारत के २२ राज्यों में से एक म भी गैर-कांग्रेसी शासन सहन नहीं कर सकी है ।

हम ने समझा था कि मंत्री जी उक्त बातों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करेंगे जो कि पेप्सू के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने काशित की हैं । हम जानना चाहते थे कि आया वह बातें सही हैं अथवा गलत हैं । उन्होंने कहा कि वह अन्त में उनका उत्तर देंगे । क्या, सरकार पहले उनका उत्तर नहीं दे सकती है ? यदि उनका खंडन पहले किया जाता तो शायद हमें भी उनके सम्बन्ध म कुछ कहने का मौका मिल जाता ।

जिस समय पेप्सू में राष्ट्रपति राज प्रस्तुत किया गया उस समय विधान मंडल में यूनाइटेड फ्रंट का बहुमत था । कांग्रस पार्टी की अपेक्षा इसमें दस सदस्य ज्यादा थे, इसलिए सरकार की अस्थिरता का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था । संविधान को निलम्बित करने में भी कोई औचित्य नहीं था । जहां संविधान को निलम्बित करना उस समय उचित नहीं था, वहां राष्ट्रपति राज की कालावधि बढ़ाना भी इस समय उचित नहीं है । हमें बताया गया है कि हालात वहां ठीक हो गए हैं ; यदि वास्तव में यह बात है तो वहां अविलम्ब ही चुनाव कराये जाने चाहियें ।

हमें कहा जाता है कि 'सलाहकार' का शासन जनता का शासन ही तो है ।

[सरदार हुक्म सिंह]

यदि यह बात है तो क्यों न सारे भारत पर इस शासन को लागू किया जाये ?

जहां तक भ्रष्टाचार तथा अक्षमता के आरोपों का सम्बन्ध है, दूसरी राज्य सरकारों पर तथा केन्द्रीय सरकार पर भी यह आरोप आसानी से लगाए जा सकते हैं ।

शान्ति तथा व्यवस्था की हालत दूसरे राज्यों में भी कुछ अच्छी नहीं । अभी आगरे म दिन दहाड़े हमारे रिश्तेदार के एक लड़के का अपहरण हुआ तथा डाकुओं ने हम से ४०,००० रुपये वसूल करके उसे छोड़ दिया । यह रुपया सुपरिंटेंडेंट पुलिस ने उन्हें एक थानेदार की मार्फत भेजा । परन्तु इस समय तक वह इन डाकुओं को पकड़ नहीं सके हैं । यहां दिल्ली में बच्चों का अपहरण होता है । यही हाल दूसरे राज्यों में भी है । परन्तु यह संविधान निलम्बित करने का कोई कारण नहीं हो सकता है । मैं डा० अम्बेडकर के इन शब्दों से सहमत हूं कि कांग्रेस पार्टी को सत्ताधारी रखने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है ।

मंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रपति राज प्रस्तुत करने से पूर्व पेप्सू का प्रशासन ऐसा नहीं था कि वहां निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव हो सकते । यह एक विचित्र तर्क है कि जब कांग्रेस किसी राज्य का शासन-कार्य चलाती रहे तो वहां सब कुछ न्यायपूर्ण ढंग से होता रहेगा, और जब कोई दूसरा दल सत्ताधारी हो जाय तो वहां का प्रशासन निष्पक्ष तथा स्वतंत्र नहीं रह सकता है । तथा कोई अधिकारी सक्षम नहीं हो सकता है । मंत्री जी इस स्थिति पर ठंडे दिल से विचार करें । क्या उन सभी राज्यों में जहां कि कांग्रेस राज कर रही है, कोई काली करतूत नहीं होती है ।

जहां तक लगान की वसूली का संबंध है, हमें मालूम है कि किस तरह से सशस्त्र पुलिस तथा कभी-कभी मिलिट्री से भरी ट्रकें गांव में भेजी जाती हैं तथा किसानों को डराया तथा धमकाया जाता है । यदि वह लगान अदा नहीं करते हैं तो उनके घरों की तलाशी ली जाती है और जो भी आभूषण आदि पाये जाते हैं वह उसी समय जौहरियों के हाथ सस्ते दामों पर बेचे जाते हैं । कांग्रेस सरकार को छोड़ कर कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती है और न ही उसे ऐसा करने दिया जाता । आखिर, किस कानून के अन्तर्गत किसानों से लगान वसूल किया जाता है । काश्तकारी कानून के अन्तर्गत ज़मींदार लगान के भुगतान के लिए ज़िम्मेदार हैं । वह काश्तकार से केवल उत्पादन का एक हिस्सा ले सकता है । और यदि उसे वह न मिले, तो वह मुकदमा दायर कर सकता है । पुलिस तथा जबर्दस्ती का सवाल कहां उत्पन्न होता है ? मैं यह नहीं चाहता हूं कि लोग लगान न दें । उन्हें यह अदा करना चाहिये । राड़ेवाला सरकार ने इसके लिए आवश्यक विधान प्रस्तुत किया था । इसके पास होने पर उन्हों ने एक एक धला चुकाया होता ।

राड़ेवाला मंत्रिमंडल मुश्किल से दस अथवा ग्यारह महीने काम करता रहा । इस काल में इसने ४७ विवंचित व्यक्तियों का संहार किया । यह बात वहां क राज-प्रमुख ने ३० मार्च, १९५३ को एक अभिभाषण में स्वयं कही ह । तो यदि गत छः अथवा सात महीनों में ३२ विवंचित व्यक्ति खत्म किये गए तो मैं जानना चाहता

हूं कि स्थिति में क्या विशेष सुधार हुआ है। स्थिति पहले से ही सुधरने लगी थी तथा यह सलाहकार राव का कोई कारनामा नहीं हैं। वास्तविकता यह है कि श्री तकशक के कांग्रेस छोड़ जाने पर, बहुत से सदस्य उस पार्टी को छोड़ने लगे। कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फिर गया। और जब इसे कोई आशा न रही तो केन्द्रीय सरकार ने हस्तक्षेप करके वहां संविधान को निलम्बित किया।

शान्ति तथा व्यवस्था में यदि वहां कोई खराबी पैदा हुई है तो वह कांग्रेस सरकार की देन है। राड़ेवाला मंत्रि-मंडल ने निश्चित रूप से इस में सुधार किया था। स्वयं श्री राव ने अपने एक लेख में, जो कि 'ट्रिब्यून' में प्रकाशित हुआ था, इसका उल्लेख किया है। उन्हों ने लिखा है कि १९५२ के उत्तरार्ध में १९५१ के उत्तरार्ध तथा १९५२ के पूर्वार्ध की अपेक्षा स्थिति अच्छी रही। १९५२ के उत्तरार्ध में राड़ेवाला मंत्रि-मंडल काम कर रहा था, जब कि उस से पहले वहां कांग्रेस का राज था। यदि उस मत्रि-मंडल को और अधिक समय के लिए काम करने दिया जाता तो स्थिति आज और भी अच्छी होती।

बताया गया है कि वहां कुछ गांव में एक प्रकार की समानान्तर सरकारें चल रही थीं। स्वयं श्री राव ने बताया है कि इनके सम्बन्ध में जो भी सूचना दी गई है वह बढ़ा चढ़ा कर दी गई है।

भूमि-सुधार के सम्बन्ध में वहां के विधान मंडल में विधान पेश हुआ था। काश्तकारी विधेयक तथा अन्य विधेयक राज्य मंत्रालय के पास अनुमोदन के लिए भेजे गए। परन्तु उन्हें वहां से संविधान के निलम्बन तक वापस नहीं भेजा गया। क्या इस से भी अधिक कोई शोचनीय बात हो सकती है? एक विधेयक जो अब पास किया गया है, बिल्कुल अपने मूल रूप में है। दो विधेयक अभी प्रस्तुत नहीं किय गए हैं।

जहां तक प्रशासन का सम्बन्ध है, १२ सिख अधिकारी इस समय तक हटाये जा चुके हैं तथा इन के स्थान पर बाहर से दूसरी जाति के अधिकारी लाए गए हैं। क्या राष्ट्रवाद हमें यही बताता है कि नौकरी से हटाने के लिए एक ही जाति के लोगों को चुन लिया जाय? लोग मुझे सम्प्रदायवादी कहें लेकिन मैं यह आरोप केन्द्रीय सरकार पर लगाता हूं। बाहर से जो व्यक्ति लाए गए हैं उन में से एक का नाम हरि मिश्र है। वह न उस प्रान्त की भाषा जानता है और न उसे वहां के काश्तकारी कानूनों का ज्ञान है। ऐसे लोगों को वहां लाना अन्याय है। ऐसा देखा गया है कि जहां कहीं श्री राव को भेजा जाता ह, यह महोदय वहीं पहुंच जाता है। वह मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में भी उसके साथ था।

मंत्री जी ने राज्य परिषद में बताया कि वहां कोई भी ज़िला हटाया नही गया है; केवल कम वेतन वाले अधिकारी वहां रखे गये हैं तथा जनता को वही सुविधाएं प्राप्त होंगी जो कि उन्हें प्राप्त होती थीं। यह साफ़ तौर पर क्यों नहीं कहा जाता है? यदि यह राज्य के हित में है, तो आप ऐसा करने से डरते क्यों हैं?

जहां तक चुनाव कराने का सम्बन्ध है, मंत्री जी ने कहा है कि अप्रैल १९५४ में यह कराये जायें। मैं उन से इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से जानना चाहता हूं। इसके लिए एक दिनांक निश्चित किया जाना चाहिये अथवा जनता को साफ बता दिया जाना चाहिये कि राष्ट्रपति राज इतने समय और

[सरदार हुक्म सिंह]

रहेगा। लोग चुनाव कराने के लिए उत्सुक हैं। दुर्भाग्यवश मंत्री जी के कुछ वक्तव्यों से जनता की यह धारणा बन गई है कि वह अपने वचन से फिर गए हैं। कुछ भी हो समय अब आ चुका है कि वहां अविलम्ब ही चुनाव कराये जायें; अन्यथा जनता यह समझने लगेगी कि कांग्रेस अपने आप को सत्ताधारी रखने के लिए यह सब खेलें खेल रही है।

श्री ए० एन० विद्यालंकार (जालंधर): सभापति जी, यह दूसरा मौका है जब कि हम पार्लियामेंट में पेप्सू के मामलात पर डिसकशन कर रहे हैं। यह एक दुर्भाग्य की बात थी कि पेप्सू के अन्दर डिमाक्रेसी फेल हुई और वहां पर प्रेसीडेंट का रूल लागू करना पड़ा। हमें आशा यह थी कि जब कि प्रसीडेंट का रूल लागू होगा तो हम लोग उन कारणों को एनालाइज़ करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से पेप्सू में डिमाक्रेसी फेल हुई। जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर तरक्की और इम्प्रूवमेंट का सवाल है जो वाकयात हैं उनकी बिना पर और जो मुझे ज़ाती इल्म है उसकी बिना पर और जो रिपोर्ट शाया हुई हैं उनकी बिना पर मैं कह सकता हूं कि ला एंड आर्डर की पोज़ीशन आज पहले से अच्छी है और एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर एक तरह की बाकायदगी पैदा हुई है। लेकिन इस इम्प्रूवमेंट के जांचने के दो पहलू हैं। एक पहलू मिकैनिकल है और दूसरा पहलू मेंटल और साइकालाजीकल है। जहां तक कि मिकैनिकल पहलू का ताल्लुक है, यानी कि पुलिस ठीक काम करती है, जो अफ़सर हैं वह बाकायदगी के साथ दफ्तर आते हैं और उनके काम में एफीसेंशी आयी है और तेज़ी आयी है, इन मामलों के अन्दर हम बिलाशक यह मानना पड़ेगा कि काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। रियासती ज़माने में और उसके बाद में भी वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी ऐसा एफीशेंट नहीं हुआ था और उसमें ऐसी बाकायदगी नहीं थी जैसी कि अब है। लेकिन जहां तक मेंटल और साइकालाजीकल पहलू का ताल्लुक है मैं यह अर्ज़ करूंगा कि उसमें हमने इम्प्रूवमेंट नहीं किया है बल्कि कुछ पीछे ही गये हैं। मैं वही अनुभव करता हूं कि पिछले दिनों में हम कुछ पीछे हो गये हैं। इसके लिए मैं किसी डमिनिस्ट्रेटर को या ऐडवाइज़र को कसूरवार नहीं ठहराता। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हमारी एप्रोच रही है उससे कुछ ऐसी मानसिक अवस्था पैदा हो गयी है, ऐसा साइकालाजीकल एडमासफियर पैदा हो गया है कि ऐसा दिखायी देता है कि चुनावों के बाद भी वह हालात कि जिनकी वजह से यहां पर प्रेसीडेंट का रूल जारी करना पड़ा था ठीक नहीं होंगे बल्कि हो सकता है कि फिर वे हालात पैदा हो जायं और उनकी वजह से फ़िर एडमिनिस्ट्रेशन को ससपेंड करना पड़े और प्रेसीडेंट के रूल को लाना पड़े। वह हालात क्या हैं? मैं उनको एनालाइज़ करना चाहता हूं। जहां तक इस रियासत का ताल्लुक है वहां असली चीज़ यह है, जो कि बुनियाद है, कि वहां पर ताकत के लिए दो एलीमेंट्स के अन्दर संघर्ष है। रियासती ज़माने में या ब्रिटिश राज के ज़माने में वहां पर विस्वेदारों, ज़मींदारों और फ्यूडल लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट थे और उनका महलों के साथ ताल्लुक था। उन्हीं के हाथ में ताकत थी। ज़ब ब्रिटिश गवर्नमेंट गयी तो जनता ने अनुभव किया कि हमारे हाथ में ताकत आयेगी। पिछले इलेक्शन्स में उन्होंने यही समझा। वहां ताकत के लिये संघर्ष हुआ और उसमें जो

वेस्टेड इंटरेस्ट थे, जो महाराजा के महलों के साथ लगे हुए थे, बिस्वेदार, ज़मींदार वगैरह, उनके हाथ में चूंकि पैसा था और उनके हाथ में पहले से कुछ ताकत थी इस लिए वह काफ़ी कामयाब हुए और पेप्सू में साफ तौर पर ऐसी कोई पार्टी ताकत में नहीं आयी जिसे कि जनता की पार्टी कहा जा सकता है। इसलिए यह संघर्ष जारी रहा। मैं यह समझता था कि जिस वक्त हमारा प्रेसीडेंट का रूल आवेगा उस समय हमारी यह कोशिश होगी और हम इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन को चलायेंगे कि जहां कानून के पालन की भावना पैदा करे लेकिन साथ ही साथ जनता की ताकत भी मज़बूत करे और लोकराज के समर्थक तत्वों को मजबूत करके डकैतियों और क्राइम्स के खिलाफ एक तरह का रेजिसटेंस पैदा करे, क्योंकि वहां यह डकैतियां और क्राइम्स उस अंसर की तरफ से किये जाते हैं जो कि वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। आप यह सुन कर हैरान होंगे कि यह डकैतियां गरीबों के घरों में पड़ती हैं। उनमें माल नहीं लूटा जाता बल्कि गरीब जनता को डराने और धमकाने की कोशिश की जाती है, उन लोगों को जो कि वेस्टेड इंटरेस्ट्स के खिलाफ जद्दो-जहद करते हैं, जो टिनेन्सी रिफार्म के लिए या दूसरे रिफार्म के लिए कोशिश करते हैं, उनको डराने का मोटिव ज्यादा होता है। मैं यह अनुभव करता हूं कि प्रेसीडेंट रूल की वजह से इम्प्रूवमेंट तो हुआ, लेकिन हमने इस बात को बिल्कुल इगनोर कर दिया कि हम जनता की रेजिसटेंस की पावर को बढ़ा कर डेमोक्रेसी के फेल होने का इलाज करें, और इस तरह से यह इलाज करें कि वहां पर हम ज्यादा डिमाक्रेसी लावें और लोगों के अन्दर यह भावना पैदा करें कि जो कुछ इस वक्त वेस्टेड इंटरेस्ट कर रहे हैं, जो क्राइम और डकैतियां वहां हो रही हैं उसका मुकाबला करने के लिये जनता तैयार हो जाय और इस तरह हम जनता की ताकत को मजबूत कर सकें। लेकिन हमारा एप्रोच यह नहीं रहा।

मैं डिमाक्रेसी की सफलता को इस बात से मापता हूं कि प्रेस की आज़ादी ज्यादा हुई या नहीं। लेकिन मुझे इस बात को कहने में अफसोस होता है कि प्रेस के लोग इस वक्त यह महसूस करते हैं और उनको यह शिकायत है, चाहे सही हो या गलत, कि इस रूल के अन्दर प्रेस वालों को उतनी आज़ादी नहीं है जो कि दूसरे इलाकों में, जैसे दिल्ली वगैरह में, प्रेस वालों को है। मैं यह नहीं कह सकता कि यह कहां तक सही है क्योंकि मैंने उसकी जांच नहीं की है। मैं तो इसका एक साइकालाजीकल पहलू ले रहा हूं। अगर प्रेस वालों को यह अनुभव होता है कि उनको उतनी आजादी नहीं है जैसी कि प्रेस वालों को दूसरे इलाकों में है तो मैं समझता हूं कि इसका इलाज होना चाहिए। उसके कारणों की खोज होनी चाहिये। असली कशमकश वैस्टेड इंटरेस्ट और जनता के मध्य में है। जो वैस्टैड इंटरैस्ट के अन्सर हैं, उन्होंने इस संघर्ष को काम्युनल शक्ल देने की कोशिश की, साम्प्रदायिकता का रूप देने की कोशिश की। साम्प्रदायिकता को इतनी दूर तक उन्होंने बढ़ाया कि उन्होंने पैप्सू को एक तरह का सिम्बल बना दिया, हिन्दुओं और सिखों के झगड़े का और ऐसा जान पड़ा कि पैप्सू में हिन्दुओं और सिक्खों की ताक़त की आजमाइश हो रही है, कि पैप्सू में हिन्दू रूल करेंगे या सिक्ख रूल करेंगे। अभी मुझ से पहले मेरे दोस्त सरदार हुक्म सिंह जी ने कुछ बातें कहीं। उन्होंने सरविसेज के बारे में कहा मेरा यह अनुभव है कि सरविसेज के लोग हमेशा साम्प्रदायिकता के दृष्टिकोण से सोचते हैं। और क्यों सोचते हैं? वह इस तरह, कि अगर कोई इनऐफीशियेंट अफसर को, हिन्दू हो या सिक्ख हो, अगर किसी को भी

[श्री ए० एन० विद्यालंकार]

हटा देते हैं तो इनऐफीशियेंसी का प्रश्न तो दूर अलग दिया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि यह अफसर इस काम्युनिटी को बिलांग करता है और उसका जो इम्मीजियेट अफसर था वह चूंकि दूसरी काम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, इसलिये उसे हटाया गया। मैं नहीं कहता कि जो शिकायतें हैं वे बिल्कुल नाजायज़ होंगी। मैं उनकी तफ़सील में नहीं गया। मैं समझता हूं कि उनके बारे में तहक़ीकात हो। लेकिन गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में सरविसेज में जहां ऐफीशियेंसी का सवाल है, तो अगर वहां किसी अफसर का तबादला भी हो तो उसको एक काम्युनल शक्ल दे देना इससे ज़्यादा खतरनाक कोई चीज़ नहीं हो सकती। मैंने यह देखा है कि अगर किसी अफसर को कहीं से हिलाया जाता है या बिल्कुल डिसमिस किया जाता है या सज़ा दी जाती है तो वह अफसर बाद में यह सवाल उठाता है कि वह फलां काम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता था इसलिये ऐसा हुआ है। मैंने देखा है कि सरविसेज के अन्दर इस तरह काम्युनैलिज्म इतना ज़्यादा बढ़ गया है और प्रायः प्रत्येक अफसर अपनी कमज़ोरी, इनऐफीशियेंसी या बददयानती को छिपाने की कोशिश करता है। मेरा अनुभव यह है कि ऐडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिये हम एक ऐसी साइकालाजी पैदा करें, जनता में ऐसा भरोसा पैदा करें कि जनता में विश्वास हो कि जो कुछ किया जा रहा है वह किसी काम्युनल मोटिव से या किसी इस तरह की दुर्भावना से नहीं किया जा रहा है। अगर इस दृष्टि से हमने विचार नहीं किया तो मैं समझता हूं कि हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन फैल हो गया और अपने उद्देश्य में नाकामयाब रहेगा। वहां पैप्सू के अन्दर रहने वाले चाहे वे हिन्दू हों, या सिक्ख हों, जब तक उन में यह भरोसा पैदा नहीं कर सकते कि ऐडमिनिस्ट्रेशन में जितने चेंजेज किये गये हैं, उनमें काम्युनल मोटिव नहीं है, साम्प्रदायिक भावना नहीं है, बल्कि ऐफीशियेंसी लाने की भावना है, तब तक काम नहीं चलेगा। इसके लिये लाज़मी है का ऐडमिनिस्ट्रेशन को जनता की ज़्यादा से ज़्यादा कानफिडेंस मिले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस का कानफिडेंस प्राप्त हो, चाहे वह प्रैस किसी भी पार्टी को या किसी भी काम्युनिटी को बिलांग करता हो।

मैं समझता हूं कि अभी तक हमारा अप्रोच है वह मैकेनिकल अप्रोच है। जब तक जितने भी क़ानून हम बनावेंगे, उनमें यह मैकेनिकल अप्रोच रहेगा, तब तक हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। यह हमारा बार्डर का एरिया है और इस में हर एक सवाल को हिन्दू सवाल और सिक्ख सवाल का कलर दे दिया गया है। वहां हम तब तक कामयाब नहीं होंगे जब तक कि हमारा अप्रोच साइकालाजिकल अप्रोच न हो।

यह बात समझ में नहीं आती कि छः महीने के अन्दर लोगों से आप ने कैसे ६५ लाख रुपये इकट्ठा करने की हिम्मत कर ली। यह ६५ लाख रुपया वे लोग कैसे दे सके ?

डा० काटजू : ६५ लाख नहीं, ३१ लाख।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : ३१ लाख तो आप के बाक़ी थे, एरियर्स थे और ३० ३४ लाख और लगान वग़ैरह के वसूल किये हैं। इस तरह जो सारा इकट्ठा कर के आप ने छः महीने में वसूल किया वह तो ६५ लाख रुपये हो गया। अगर आप ६५ लाख रुपये वसूल करते हैं तो पता नहीं उन लोगों पर इसका कितना दबाव पड़ा होगा। मैं नहीं समझता कि जो कोई ६५ लाख रुपया देंगे वे आप से असन्तुष्ट न होंगे और गवर्नमेंट को कोसा न करते होंगे। इसलिये हम को इस पर विचार करना चाहिये कि आया जनता

का कानफिडेंस हम प्राप्त कर रहे हैं या खो रहे हैं। अगर लूज कर रहे हैं तो उस चीज़ को कहीं फिरकापरस्त लोग, काम्युनल लोग एक्सप्लाइट करेंगे और कहीं जिनको आप लैफ्टिस्ट या काम्युनिस्ट कहते हैं वह एक्स प्लाइट करेंगे। आपका एप्रोच ह्यमन और साइकोलाजिकल होना चाहिए।

इस चीज़ को मैं एक और दृष्टि से भी देखता हूं। अभी काउन्सिल ऑफ स्टेट में जो डिबेट थी उसके अन्दर हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि फिरकापरस्त टैंडेंसीज को खत्म करना चाहिये। आखिर ये जो टैंडेंसीज लोगों के अन्दर है, उन को खत्म करने के लिये साइकालाजिकल अप्रोच होना चाहिये। महज़ आर्डर पास कर के, महज़ ज्यादा पुलिस तैनात कर के, ज्यादा अफसर बाहर से या इधर उधर से लाकर, आप भरोसा पैदा नहीं कर सकते। मैंने देखा यह है कि हमने अभी तक भरोसा पैदा नहीं किया और पैप्सू के बारे में कह सकता हूं कि अभी वहां ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये भरोसा नहीं है। वहां वह भरोसे का ऐटमासफियर पैदा नहीं हुआ है।

इसके साथ साथ मैं एक चीज़ की तरफ़ और तवज्जह दिलाना चाहता हूं। वह है रिट्रेंचमेंट। काफी तादाद में लोग वहां निकाले जा रहे हैं। आजकल बेकारी के ज़माने में अगर आप कहीं पर रिट्रेंचमैंट करते हैं तो कहां तक उन लोगों के अन्दर सकून और शान्ति रह सकती है। इन्हीं तमाम बातों से हम लोगों को असन्तुष्ट कर देते हैं। किसानों को इसलिये असन्तुष्ट किया कि बहुत सारा रुपया वसूल किया सरविसेज में इस तरह की बातों से असन्तोष है और दूसरी तरफ़ जनता को हम कानफिडैंस में नहीं लाए। तो यह पालिसी हमारे ऐडमिनिस्ट्रेशन को कामयाब नहीं बना सकती। मैं समझता हूं कि रिट्रेंचमेंट जहां ज़रूरी हो, वहां हो, मैं नहीं कहता कि काम नहीं है तो भी लोगों को खाली बैठाए रखना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को दूसरे कामों में आप लगा सकते हैं। बहुत से सोशियल काम हैं, ऐजूकेशन का काम है, आपके काम्युनिटी प्राजैक्ट्स का काम है, जहां पर आप नये आदमी भरती कर रहे हैं। जहां आदमी फालतू हों वहां से उनको हटा कर आप ऐसी जगहों में लगा सकते हैं। अगर वे अनट्रेंड हैं तो उनको आप ट्रेन्ड कर लें। लेकिन हम को इस बात को देखना है कि हम खामख्वाह रिट्रेंचमेंट न करें।

श्री अजित सिंह : डाक्टर काटजू साहब ने काउन्सिल आफ़ स्टेट्स में यह कहा था कि वहां प्रैसीडैंट रूल जो हम ने किया है वह कांग्रेस पार्टी को पावर में लाने के लिये नहीं किया। तो मैं इस बात को इस आरगूमैंट से रद्द करता हूं कि यहां भी और उस काउन्सिल ऑफ स्टेट्स के हाउस में भी, जहां अपोजीशन ने इस रिजोल्यूशन को अपोज किया, वहां सब कांग्रेस ने इस को सपोर्ट किया। अगर प्रैसीडैंट रूल की मंशा यह नहीं है कि कांग्रेस को वहां पावर में लाया जाय तो कांग्रेस पार्टी क्यों सब इसको सपोर्ट करती है और दूसरी पार्टियां क्यों सब उसको अपोज करती हैं?

आज कुछ लोग एक तरह से मखौल करते हैं। कहते तो क्या हैं, मखौल करते हैं कि पैप्सू वालों के पहले तो ६० ही रिप्रैजेंटेटिव ही थे, लेकिन आज तो ७०० रिप्रैजेंटेटिव हो गये हैं, और इतने छोटे इलाके को इतने रिप्रैजेंटेटिव मिल गये। तो यह मखौल की बात है। इस तरह से पैप्सू के लोगों के जजबात के साथ खेला जा रहा है।

पैप्सू के बारे में बहुत कुछ पहले लोगों ने कहा, सरदार हुक्म सिंह जी ने भी कहा, मैं उसको दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं समझता। लेकिन ताहम कुछ न कुछ तो कहना

[श्री अजित सिंह]

ही पड़ता है । उन्होंने कहा कि ३१ लाख रुपया इकटठा करना था अच्छा जो ३१ लाख रुपया इकट्ठा किया गया या नहीं किया गया, लेकिन जैसा सरदार हुक्म सिंह जी ने बताया कि क़ानून में ऐसा कोई ला नहीं है कि टिनैंट से पैसा लिया जाय । लैंडलार्ड ही उसके लिये ज़िम्मेवार हैं । तो पैसा टिनैंट से लिया गया । मैं इसकी एक मिसाल देता हूं । मेरे पास हमारे आदमी भी बैठे हुए हैं । दयालपुरा भाई का एक गांव है । वहां से ४० हज़ार रुपया इकट्ठा किया गया । ४० हज़ार लेने के बाद वहां के डी० सी० साहब ने उनको यक़ीन दिलाया कि तुम्हें ज़मीन उसी तरह दी जायगी, जैसे पहले तुम काश्त करते थे । तो जब उन्होंने रुपया दे दिया तो बिस्वेदार साहब ने आथारिटीज के साथ मिल कर, क्योंकि आफिशियल्स ही वहां होते हैं, फिर दोबारा आर्डर कराया कि तुम्हें आधी ज़मीन मिलेगी । जितनी पहले काश्त करते थे उसकी आधी ज़मीन तुम को दी जायगी । तुम इस कागज़ पर अंगठा कर दो, दस्त्खत कर दो । तो उन्होंने मना कर दिया । इसमें साज़िश यह की गयी थी कि अगर वह आधी ज़मीन पर दस्तख़त कर देते तो वह आधी जो होगी वह तो लैंडलार्ड की हो जायगी । वह उसको जो चाहे करे, बेचे, बोये, जो चाहे करे । तो वहां के जो आदमी हैं वे मोडीगढ़ के हैं । वे जनरेशंस से वहां रहते आ रहे हैं । उनके फोर फादर्स के ज़माने से वह वहां रह रहे हैं । उस गांव को ही उन्होंने बसाया है । लेकिन अभी इस रैजीम में वे बेचारे टिनैंट्स, नान आकुपैंसी टिनैंट्स हैं और उनको निकाला जा रहा है । उनकी जगह बारह से भाऊजन जिन को कहते हैं वे लाए जा रहे हैं । जिनको रिफ्यूजी आदमी कहा जाता है उन को वहां रीहैबीलिटेट किया जाता है, विथ दी हैल्प आफ पुलिस आथारिटीज । जो वहां के असली बाशिन्दे हैं उनको निकाला जा रहा है । मेरे पास इसके लिए सबूत मौजूद है कि पन्द्रह फ़ैमिलीज़ उस गांव से दूसरे किसी गांव में जाकर रहने लग पड़ी हैं । शेड्यूल्ड कास्ट वाले जिनका रोज़गार ही पहले यह था कि इन लोगों के साथ मिल कर काम करते थे और जो थोड़ा पांचवा, छठा हिस्सा मिलता उससे अपना गुज़ारा करते थे, उन लोगों को भी निकाल दिया गया है और बिल्कुल बेकार कर दिया गया, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह लालेसनेस नहीं है । दूसरे मैं आपको बताऊं कि ६०० फ़ैमिलीज़ दयालपुर भाई जो उस बिस्वेदार की ज़मीन पर गुज़ार करती हैं, वह सारी ६०० की ६०० बेचारी निकाली जा रही हैं और उनकी जगह पर बाहर से लोग लाये जा रहे हैं । मैं तो आपको सजैशन दूंगा कि आप मेहरबानी करके उनको फिर से रीसेटिल करें । मैं तो आप से यह अर्ज़ करूंगा कि अगर बिस्वेदारों से यह हक़ छीन लिया जाय कि वह अपनी ज़मीन को बेच सकें, तो यह सबसे बेहतर होगा, लेकिन आप इस तरह का भूमि सुधार अभी लाने में देर कर रहे हैं और मुझे हमारे जो कम्युनिस्ट भाई आप पर ऐतराज करते हैं कि आप पूंजीपतियों के हिमायती हैं, उसमें वज़न मालूम पड़ता है और यही वजह है कि वह इस प्रकार का बिल जल्दी पास नहीं कर रहे, ताकि इस बीच में वह लोग अपनी ज़मीन को किसी न किसी तरह दूसरों को बेच दें और अपने पास काफ़ी सरमाया इकट्ठा कर सकें ।

अभी यह भी कहा गया कि ज़िले तोड़ दिये गये, डाक्टर काटजू साहब ने हाउस में और पब्लिक में इस अमर के बहुत ऐश्योरेंसेज़ दिये थे कि ज़िले नहीं तोड़े जायेंगे । कोई भी गवर्नमेंट जो लोगों के आराम और सुख को दूसरी साइड पर रख कर जो जी आये करे, वह गवर्नमेंट ज़्यादा देर तक क़ायम नहीं रह सकती । कहा तो यह गया था कि ज़िले नहीं तोड़े जायेंगे, लेकिन बहुत ज़िले तोड़ दिये गये

और तोड़ते वक्त लोगों की राय भी नहीं पूछी गयी कि कौन ऐसा चाहता है और कौन नहीं चाहता। स्टेट पेपर्स में यह लिख दिया कि ज्ञानसिंह राडेवाला की यह पहले से बनाई हुई स्कीम थी, इसलिए हमने उनको तोड़ा। इसी तरह डाक्टर काटजू सहब ने पहले पहल कहा था कि वहां पर प्रेसीडेंट रूल सिर्फ़ ला एण्ड आर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए नहीं है, कोई ख़ास प्लानिंग या किसी बड़ी बात के करने के लिए वहां पर प्रेसीडेंट रूल नहीं चल रहा है, तो जब लोग यह कहते हैं कि लालेसनेस कंट्रोल कर दी गयी है और आप एसा मानते हो, तो मैं पूछता हूं कि फिर प्रेसीडेंट रूल को ऐक्सटेंड करने की क्या ज़रूरत है? और अगर लालेसनेस अभी तक कंट्रोल नहीं हो पायी है तो इसका मतलब यह है कि राव साहब जो वहां पर ऐडमिनिस्ट्रेटर हैं वह सिचुएशन को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर सके हैं और लालेसनेस के बारे में यहां पर फीगर्स भी दी गयी हैं। मैं आपको बताऊं कि यह ठीक है कि वहां पर कुछ डकैतों को मार दिया गया है, लेकिन मैं ऐसे भी बहुत से केसेज़ जानता हूं जिनमें पुलिस ने मुक़द्दमे बना कर उनको डकैत डिक्लेयर किया, बाहर ले जाकर उन पर गोली चला दी और मशहूर कर दिया कि डाकुओं की पुलिस से मुठभेड़ हुई जिसमें पुलिस ने इतने डाकुओं को मार गिराया, तो ऐसी ऐसी बातें वहां पर हो रही हैं। मुझे पता है कि भाई गुरुदत्तसिंह जो एक कम्युनिस्ट हैं किस तरह उनको एक थानेदार ने बिस्वेदार की कार में लादकर उसके मुंह में कपड़ा दे दिया और थाना कोट कपूरा में ले गए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस को नहीं लेते, हम मरे हुए को घर में नहीं डालते, वहां से उठा कर उसका नाहलेवाला थाने में ले गए और वहां उसके गले में ज़बरदस्ती एक बिस्वेदार की पिस्तौल डाल दी और कह दिया कि यह लोग डकैत हैं और इनके पास से यह रिवाल्वर या पिस्तौल बरामद हुई है, ऐसी बातें करके मैं नहीं समझ सकता कि यह लालेसनेस को किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं, ग़रीब आदमियों को ले जाकर उनके गले में ज़बरदस्ती इस तरह डाल दिया जाय।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : क्या सबूत है?

श्री अजित सिंह : मैं सबूत दे सकता हूं अगर कोई आदमी सबूत चाहे।

दूसरी बात मैं आप से यह बतलाना चाहता हूं कि कंडाघाट ज़िले को तोड़ कर सरकार ने लोगों के सुख और चैन को दूसरी तरफ़ ताक़ पर रख दिया है। पटियाला से कंडाघाट का फ़ासला क़रीब ११० मील है और इसमें लोगों को तीन दफ़ा गाड़ी को चेंज करना पड़ता है, और पटियाला पहुंचने में उनको दो दिन तो ज़रूर लग जायेंगे, तो क्या आपने उनके सुख और चैन को बर्बाद नहीं किया, क्या फतेहगढ़ जो करीब ७५ मील पड़ता है वहां से पटियाला पहुंचने में लोगों को तक़लीफ़ नहीं होगी। मैं परनाला की बात नहीं कहना चाहता। पुलिस के ज़ुल्मों पर चेक करने के बारे में पहले भी मेरे एक दोस्त ने कहा कि नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट ने भी एक सब कमेटी बनायी हुई थी जो पुलिस की एक्टीवीटीज़ पर चेक रक्खे और आज भी मैं गवर्नमेंट को और आनरेबुल मिनिस्टर साहब को यह सलाह दूंगा कि कोई एक पार्लियामेंटरी कमेटी मुक़र्रर कर दें, कोई इस हाउस के मेम्बरों को लेकर एक सब कमेटी बना दें जो पुलिस की हरकतों पर चेक रक्खे। पुलिस की ज्यादतियां मैं आपको कहां तक बतलाऊं। मेरे अपने ही गांव की बात है कि महज़ शक में एक हामिला औरत को मारा, एक पचास, साठ वर्ष की बुढ़िया को मारा और एक आदमी को मारा और कह दिया कि इसके पास डकैत आते हैं और यह डाकुओं को

[श्री अजित सिंह]

अपने यहां रखता है, वह बेचारा कोई डाक का भाई या रिश्तेदार नहीं और बिल्कुल बेक़सूर था, मुझे उसने अपने बदन में पुलिस की मार से चोट के निशानात दिखाये और उसकी बूढ़ी मां और हामिला भाभी भी चोट के दर्द से तड़प रही थीं। मैंने इस वाक़ये की रिपोर्ट की तहक़ीक़ात के लिए उन्हीं अफ़सरों को भेज दिया जिनके वह इम्मीजिएट अफ़सर थे और उस अफ़सर की अपने नीचे वाले मुलाज़िम के लिये हमदर्दी होना तो कुदरती है और उसको उसकी मदद तो करना ही था। इसलिए जनाबवाला, मैं आपसे अर्ज़ करूंगा कि आप कोई ऐसी कमेटी एपायन्ट करें जिसपर आपको विश्वास हो, हां अगर पार्लियामेंट के मेम्बरों पर आप को यक़ीन न हो, तो यह अलग बात है।

चौ० रणवीर सिंह : कमेटी है ?

श्री अजित सिंह : नहीं है भाई।

यह बात भी कही जाती है कि हमारी नेशनल गवर्नमेंट शेड्यूल्ड कास्ट के लिए बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ किया जा रहा है, इसमें शक़ नहीं है, लेकिन यह भी ठीक है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उनकी हालत में सुधार करने के लिय गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई माकूल इन्तज़ाम करे। हमने राव साहब को सुझाव दिया कि पिछली रड़ेवाला मिनिस्ट्री भी यह चाहती थी कि लोगों को विलेज पंचायत में रिज़र्वेशन दिया जाय और इसके लिये वह उस वक्त के लेजिस्लेचर में एक रेज़ूलेशन या बिल लाया भी था ताकि उनके अन्दर से इनफ़ीरियारिटी कम्पेलेक्स निकल जाय, लेकिन राव साहब ने कह दिया कि हम नहीं कर सकते। इसके लिए मैं डाक्टर काटजू से भी मिला और उनको सब पार्टियों की तरफ़ से दस्तख़त शुदा मेमोरेंडम दिया कि ऐसा किया जाना चाहिए, इस अम्र की मैंने उनको ११ अगस्त को चिट्ठी लिखी थी लेकिन आज सोलह सितम्बर है अभी तक उसका कोई जवाब उनकी ओर से नहीं मिला। डाक्टर काटजू हम पर ऐतराज़ करते हैं कि पेप्सू के मामलों में हम लोग दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन मैं उनको बतलाऊं कि मैंने इस सम्बन्ध में दो प्रश्न दिये थे। आपने जब ३२६ आदमियों को एक सितम्बर से सेक्रेटेरियेट और सिविल सप्लाइज़ से निकाला, तो उनके बारे में भी मैंने एक शार्ट नोटिस क्वेश्चन किया कि उनको नौकरी से क्यों निकाल दिया गया, लेकिन वह ऐडमिट नहीं किया गया और वह मेरा प्रश्न सोलह तारीख़ के क्वेश्चन लिस्ट में सबसे बाद में आपको मिलेगा और इसे आप समझ सकते हैं कि हम लोग पेप्सू के मामले में कितनी ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं।

आपने बैकवर्ड क्लासेज डिपार्टमेंट तोड़ दिया। यह है अपलिफ्ट आफ दि शेड्यूल्ड कास्ट्स। उसके बाद कहते हैं कि उनको वजीफे मिलते हैं। वजीफे कुछ आदमियों को मिलते होंगे, मगर मुझे जो खबर पहुंचती है उससे मालूम होता है कि वजीफे नहीं मिलते और मिलते भी हैं तो बहुत कम।

हमारे सिर्फ दो ही आदमी थे जो कि एजूकेशन डिपार्टमेंट में थे, एक तो शेरसिंह और दूसरे बल्देव सिंह। इन बेचारों को भी निकाल दिया गया, वह क्यों ? दाढ़ी मुंह पर नजर आती है इस लिये समझते हैं कि सिख ही हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट वाले भी सिख ही होते हैं, लेकिन जब तक हमको कुछ प्रिविलेजे दिये गये हैं, दस साल तक, तब तक तो हमारे साथ थोड़ा अच्छा सलूक करो, भाई। मैं आप से यह सजेस्ट करूंगा कि जिस तरह आपने एज में रिलैक्सेशन रक्खा है, उसी तरह एजुकेशन में भी रिलैक्सेशन होना चाहिये सर्विसेज के लिये।

यह कहा जाता है कि सरकार को किसानों का बड़ा खयाल है। यह रिपोर्ट जो है जो पेप्सू ऐग्रेरियन रिफार्म कमेटी ने बनाई है उसमें लिखा है कि ९ लाख एकड़ जमीन है जो कल्चरेबल है, जिसको काश्त किया जा सकता है। मैं मैकेनाइजेशन के खिलाफ नहीं हूं, मगर मैं आपसे अर्ज करूं, जनाब वाला, इस प्वाइंट को आप मेहरबानी करके जरा गौर से सुनें। वहां ९ लाख एकड़ जमीन ऐसी है जो काश्त के काबिल है। वहां की आबादी की २० परसेंट आबादी शेड्यूल्ड कास्ट्स की है, जिस में से १८ परसेंट का इंहसार सिर्फ काश्त पर है, और साथ में जो काश्तकार लोग हैं उनके साथ मिल कर भी लोग काम करते हैं और अपना रोजगार चलाते हैं। मैं अर्ज करूंगा कि मैंने कहा कि वहां कलेक्टिव फार्मिंग किया जाय। मैंने राव साहब से भी सलाह मशविरा किया। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता जिनके पास जमीन है वह क्या करेंगे। मैं आज आप से भी सजेस्ट करता हूं कि आप जितने आदमी चाहें मैं दे सकता हूं, वह एक्सपर्ट आदमी हैं बंजर ज़मीन को अच्छी बनाने में। अगर आपने मेकेनाइजेशन से काम लिया तो क्या होगा ? एक ही बार में दो आदमी सब कुछ ट्रैक्टर के ज़रिये से ठीक कर देंगे। जहां पहले दस बारह आदमी काम करके अपनी रोटी चला सकते थे वहां अब एक या दो आदमी ही काफी होंगे। इस से बेकारी और बढ़ेगी।

इसलिये जनाब वाला, आप शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों पर ज़रूर ध्यान दें, ताकि उन को प्रोत्साहन मिले।

श्री रणजीत सिंह (संगरूर) : पेप्सू में यूनाइटिड फ्रंट मन्त्रिमंडल इस आधार पर भंग किया गया था कि वहां की शान्ति तथा व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं, परन्तु श्री राव के उस लेख को देख कर, जो कि १५ सितम्बर को 'ट्रिब्यून' में प्रकाशित हुआ था, यह पता लगता है कि युनाइटिड फ्रंट मंत्रि-मंडल के शासन काल में राज्य में शान्ति तथा व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक थी। इससे पहले १९५० में जबकि वहां 'काम चलाऊ' सरकार काम कर रही थी, स्थिति में सुधार हो रहा था। और यदि इसमें कोई खराबी आई तो वह कांग्रेस शासन के दौरान में आई, इस लेख के अनुसार स्थिति अब काफी सुधर गई है, निस्सन्देह इसमें काफी सुधार हुआ है।

वर्तमान शासन ने एक ही जाति से सम्बन्ध रखने वाले कई अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की है, इनके स्थान पर दूसरी जाति से सम्बन्ध रखने वाले, तथा बड़े बड़े वेतन पाने वाले नौ अधिकारी बाहर से लाए गए हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि गत छै महीनों में दोनों जातियों के आपसी सम्बन्धों में खिचाव पैदा हुआ है यद्यपि पहले ऐसा कोई खिचाव विद्यमान नहीं था।

वर्तमान शासन ने केवल एक रचनात्मक काम किया है तथा वह यह है कि दस जातियों को अनुसूचित जातियों अथवा पिछड़ी हुई जातियों में शामिल करा लिया गया है, इससे उन्हें वह सुविधायें प्राप्त होंगी जो कि अनुसूचित जातियों अथवा पिछड़ी हुई जातियों को प्राप्त हैं, इसके अलावा दो जातियों को एक दूसरे के निकट लाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वास्तव में दोनों जातियों के नेताओं से बात करके उनकी शिकायतें जानने की कोशिश की जानी चाहिये थी।

पेप्सू के तीन ज़िले, जनता की इच्छा के विरुद्ध हटाये गए हैं, बताया जाता है कि इससे आठ लाख की बचत होगी; परन्तु मुझे इस बारे में सन्देह है, विशेष कर जबकि बड़े बड़े वेतन पाने वाले अधिकारी बाहर से लाए गए हैं।

पेप्सू में अब हालात नारमल हैं, परिसीमन आयोग ने अपना काम पूरा किया है

[श्री रणजीत सिंह]

तथा निर्वाचक नामावली तैयार है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब चुनाव में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिये । इसके लिये दिनांक निश्चित किया जाना चाहिये । अन्यथा जनता समझने लगेगी कि केन्द्रीय सरकार जैसे तैसे पेप्सू पर अपना शासन ठोंसना चाहती है ।

पुस्तकों के गोलमाल के सम्बन्ध में सरदार बहादुर फतेह सिंह की अध्यक्षता में एक जांच समिति नियुक्त की गई थी । इसकी रिपोर्ट तैयार है, किन्तु फतेह सिंह जी की मृत्यु के कारण इस पर हस्ताक्षर नहीं हुये, श्री फतेह सिंह के स्थान पर अब किसी श्री रामचन्द्र को रखा गया है तथा उन्हें ६००० रुपया मिलेगा, वह शायद नये सिरे से जांच करायेंगे ।

जहां तक काश्तकारी विधेयकों का सम्बन्ध है, मुझे पता चला है कि केन्द्रीय सरकार एक क्रान्तिकारी विधेयक प्रस्तुत करने का विचार रखती है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसे पास करने से पूर्व संसद् में इस पर वाद-विवाद होना चाहिये अथवा सलाहकार समिति में इस पर पूर्ण विचार होना चाहिये हमारी स्थिति पंजाब से कुछ भिन्न नहीं है, इसलिये हमारे साथ भिन्न व्यवहार नहीं होना चाहिये, पंजाब का काश्तकारी अधिनियम पंजाब विधान सभा ने पास किया है यहां भी पेप्सू विधान सभा के निर्वाचन के बाद यह प्रस्तुत होना चाहिये जिससे कि वह इसे यथोचित रूप में पास कर सके ।

श्री चिनारिया (महेन्द्रगढ़) : मैं इस रिज़ोल्यूशन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं लेकिन मैं इस का दुःख के साथ समर्थन करता हूं । पहले भी हालात ने मुझे ऐसा करने के लिये मजबूर किया था । हालात ऐसे हुए कि हमको राष्ट्रपति का राज लाने की ज़रूरत पड़ी । और अब भी हालात वैसे ही हैं और वही मजबूरी मुझे समर्थन करने के लिये मजबूर कर रही है वरना मैं तो यह कभी नहीं चाहता कि कोई पेप्सू पर उंगली उठावे । पेप्सू हिन्दुस्तान के अन्दर है, और वहां पर डिमाक्रेसी फेल हुई है । एक कांग्रेसमैन की हैसियत से, एक नेशनलिस्ट की हैसियत से और हर तरह से मैं नहीं चाहता कि जिस जगह मैं रहता हूं उस जगह के लिये यह कहा जाय कि वहां डिमाक्रेसी फेल हुई । इसलिये मैं नहीं चाहता कि यह रूल यहां हमेशा के लिये रहे लेकिन अभी भी हालात ऐसे हैं कि मैं कहता हूं कि अभी ६ महीने ही नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा इसके वहां रहने की ज़रूरत है ।

एक माननीय सदस्य : बीमारी का इलाज होना चाहिये ।

श्री चिनारिया : डाक्टर काटजू की गवर्नमेंट पर या स्टेट मिनिस्ट्री पर सब से बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने यह सब कांग्रेस को मज़बूत करने के लिये किया है । मुझे डाक्टर काटजू पर रहम आता है उन पर अपोज़ीशन वाले यह इल्ज़ाम लगाते हैं । लेकिन मैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूं, उन पर इससे भी बड़ा इल्ज़ाम लगाऊंगा । मैं पूरी आज़ादी से कह सकता हूं कि इन्होंने कभी कांग्रेस के हक़ में कोई बात नहीं की । उम्मीद यह थी कि सेंटर में कांग्रेस गवर्नमेंट है वह कांग्रेस की मदद करेगी लेकिन शुरू से आखिर तक उन्होंने कोई मदद नहीं की । मैं नहीं समझता कि आज इनको किस तरह इतना हित टपक पड़ा कि यह हमारे हामी हो गये । सुनिये ! कांग्रेस लड़ी फ्यूडल लार्ड्स से, रजवाड़े शाही से, और जहां तक उसका बस चला वह लड़ी । लेकिन उस वक्त भी हमको कांग्रेस ने कोई सहायता नहीं दी । हमें

अपना नाम भी कांग्रेस नहीं रखने दिया । हमने अपना नाम प्रजा मंडल रखा । बाद में भी जब कि आज़ादी आई तो उन्हीं राजाओं को जिन से कि हमने लड़ाई लड़ी थी, थोड़े से फ़र्क़ के साथ वहां पर राजप्रमुख बना कर बिठा दिया । और यही नहीं । इसके बाद जो इंटेरिम गवर्नमेंट बनी उसमें कांग्रेस सरकार ने हमारा कुछ ख्याल नहीं किया । वरना सरदार हुक्म सिंह को यह कहने का मौक़ा नहीं मिलता कि . . .

सरदार हुक्म सिंह : उनको निकाल दीजिये ।

श्री चिनारिया : आगे लीजिये । जब इंटेरिम गवर्नमेंट आयी तो हम उम्मीद करते थे कि कांग्रेस लड़ी है और यह एक वाहिद जमात है इसलिये केन्द्रीय सरकार हमारी मदद करेंगी । लेकिन बजाये इसके राड़े-वाला को हमारे ऊपर बिठा दिया जाता है । पी० सी० सी० ने इस बात पर एतराज़ किया कि अगर राड़ेवाला को या राजप्रमुख के किसी आदमी को वज़ारत में लिया जायगा तो हम नहीं आवेंगे । लेकिन उसके बावजूद अकालियों को, जो कि सिक्यूलर नहीं थे, दो सीटें दी गयीं, और लोकसभा को, जिसकी उम्र सिर्फ़ तीन महीने की थी और जिसको राजप्रमुख ने लाखों रुपया खर्च करके खड़ा किया था, दो सीटें दी गयीं । और उन दोनों के बराबर यानी चार सीटें कांग्रेस वालों को दी जाती हैं । यह रियायत हम को दी जाती है । सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब में भी वज़ारत बनाई लेकिन अकालियों को अकाली होने की हैसियत से वज़ारत में नहीं लिया बल्कि जब उन्होंने कांग्रेस प्लेज पर दस्तख़त कर दिये तब उन को वज़ारत में लिया । लेकिन हमारे यहां अकालियों को वैसे ही ले लिया बावजूद इस के कि पी० सी० सी० ने कहा कि हम वज़ारत में नहीं अवेंगे राड़ेवाला को आगे रखा गया । यही नहीं, जितनी दफ़ा भी मिनिस्ट्री बनी राड़ेवाला को आगे रखा गया । हमारे दोस्त कहते हैं कांग्रेस रेजीम, कांग्रेस रेजीम । लेकिन कांग्रेस रेजीम तो वहां सिर्फ़ एक महीना रही ।

सरदार हुक्म सिंह : उस वक्त राड़ेवाला कांग्रेस में था ।

श्री चिनारिया : कभी भी नहीं । वह कभी प्राइमरी मेम्बर भी नहीं रहा ।

सरदार हुक्म सिंह : वह पहले कांग्रेस का मेम्बर था ।

श्री चिनारिया : नहीं । न वह हमारा प्राइमरी मेम्बर था और न वह आफ़िस बियरर था । . . . . .

श्री नम्बियार (मयूरम्) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या हो रहा है ?

श्री चिनारिया : बल्कि मैं आपको याद दिलाऊं कि जिस वक्त इंटेरिम गवर्नमेंट बनी तो पी० सी० सी० की तरफ़ से काले झंडे निकाले गये थे ।

सरदार हुक्म सिंह : और राड़ेवाला मिनिस्ट्री को तोड़ा किसने था और कितने आदमियों को क़ैद किया गया ?

श्री चिनारिया : आप कहते थे कि तिरंगा महल पर क्यों लगा दिया गया, राजा का झंडा लगाया जाय । आप तो अब भी राजाओं के हक़ में हैं । शुरू से चले आये हैं । जब इंटेरिम गवर्नमेंट बनाते वक्त गवर्नमेंट आफ़ इंडिया को पूरे अख्तियार थे उस वक्त इन्होंने कांग्रेस की हिमायत नहीं की, यही नहीं बल्कि राड़ेवाला को आगे रखा तो आज किस तरह से यह कांग्रेस को मज़बूत करने के लिये तैयार हो गये होंगे । मुझे तो यक़ीन नहीं आता ।

चौ० रणवीर सिंह : न्यायापरस्त ज्यादा हैं ।

श्री चिनारिया : तो अगर हम इल्ज़ाम लगावें तो ठीक है क्योंकि इन्होंने हमेशा राड़वाला को आगे रखा, राजप्रमुख को आगे रखा, पर सरदार हुक्म सिंह कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं । मैं कहता हूं कि प्रसीडेंट रूल भी हालत को ठीक नहीं कर सकता ।

पैप्सू एक ज़िले के बराबर है और उस में दो ज़िले, तीन ज़िले या पांच ज़िले बना दिये जायें तो ठीक बात थी । लेकिन अब भी कोई देर की बात नहीं है । आप यह रिज़ोल्यूशन पास कर दीजिये । अभी तक हमारे यह ज़िले नहीं तोड़े गये । मैं कहता हूं कि इस के लिये हिम्मत होनी चाहिये, अगर यह बात ठीक है तो ऐसा ही करिये, वरना कुछ न कहिये ।

सरदार हुक्म सिंह : जो कमेटी यहां से भेजी गयी वह डिस्ट्रिक्ट के लिये बनायी गयी थी ।

श्री चिनिरिया : कोई भी कमेटी जाय, लेकिन जायज़ बात यह है कि जो ज़िले छोटे छोटे हैं उन को बड़ा करना है । तो आप बड़ा कीजिये । उन के लिये कमेटी बैठनी हो तो कमेटी बिठा लें, वरना यह क्या कि डिप्टी कमिश्नर कम भी कर दिये और ज़िले भी वैसे के वैसे ही रहे ।

सरदार हुक्म सिंह : हम ने कहा था कि धोके में न रख कर हिम्मत से कहिये और तोड़िये ।

श्री चिनारिया : यही तो मैं भी कह रहा हूं । मैं भी यही कहता हूं कि जो ज़िले तोड़ने हैं वे तोड़िये और हिम्मत से तोड़िये और अगर आप का सही क़दम है तो इस को उठाइये ।

खैर, यह तो एक आम जनरल बात थी जो कि मैं कह रहा था । अब मेरे दोस्त यह कहते हैं कि अब तक कांग्रेस की हिमायत हुई है, अब जो मिस्टर राव गये हैं तो उन पर भी यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वह जितना काम कर रहे हैं वह कांग्रेस तमाम को मज़बूत करने के लिये कर रहे हैं । मैं कहता हूं कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कांग्रेस को सहायता दे सके ।

श्री अजित सिंह : वह तो बाहर के ही हैं ।

श्री चिनारिया : यह बाहर और अन्दर का सवाल क्या है यह तो मैं नहीं समझता । मैं तो यह समझता हूं कि आज हिन्दुस्तान एक है । अगर इंग्लैंड से कोई आदमी लिया जाय तो बाहर का कहूंगा । लेकिन अगर दिल्ली से कोई चला जाय या राजस्थान से चला जाय तो वह मेरे भाई हैं । मैं तो चाहता हूं कि लोकल टेलैंट को वहां तरजीह दी जाय, लेकिन इतनी खिलाफ़त भी न की जाय कि बाहर से कोई न आय । लेकिन सब से बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि महज़ प्रैसीडैंट्स रूल से काम नहीं चलेगा । चोर को मारने से एक चोर मरता है लेकिन चोरी ख़त्म नहीं होती । लेकिन चोर की मां मारने से आयन्दा चोर पैदा होने बन्द हो जाते हैं । बीमारी का इलाज तभी सही हो सकता है जब उस के काज़ज़ को दूर कर दिया जाय, उस के सबब को दूर कर दिया जाय, उस के कारणों को हटा दिया जाय । कारण तो अभी बदस्तूर मौजूद हैं और वह कारण यह है कि फ़्यूड्ल सिस्टम अब भी बदस्तूर किसी न किसी शक्ल में वहां क़ायम है । उसी फ़्यूडल सिस्टम के साथ वह चीज़ भी है जिस को आप काम्युनैलिज्म कहते हैं जिस के आप इतने सख्त खिलाफ़ हैं और जिसके लिये आप कहते हैं कि हिन्दुस्तान की बरबादी उस से हुई है । मैं इस के बारे में एक सबूत दे देना चाहता हूं

कि महाराजा पटियाला लियाक़त हयात खां को चीफ़ मिनिस्टर बना सकते थे, हरिकृष्ण कौल को वह चीफ़ मिनिस्टर बना सकते थे, एक कश्मीरी ब्रह्मण को वह चीफ़ मिनिस्टर बना सकते थे। लेकिन हमारे पंडित नेहरू और डाक्टर काटजू सिवाय सिक्ख के किसी और को वहां प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते। मैं तो कहता हूं कि आप इस तरह क्यों सोचते हैं? इस माने में क्यों सोचते हैं? जब कि आप की स्टेट आज एक सैक्युलर स्टेट है, तो यह क्यों कहते हैं कि सिक्ख ही चीफ़ मिनिस्टर बने। मुझे इस से दर्द नहीं है कि सिक्ख बनाया जाय, चाहे हर जगह सिक्ख हो। लेकिन यह ख्याल करना ठीक नहीं है कि सिक्ख ही बनाया जाय। आप ने कांग्रेस की मिनिस्ट्री बनाई थी। कांग्रेस का जो भी लीडर था, आप ने उस के लिये यह क्यों सोचा कि वह हिन्दू है। अगर कांग्रेस की मदद करनी थी और उसूलों की भी पाबन्दी होनी थी, तो जो कांग्रेस का लीडर था, उस को आप चीफ़ मिनिस्टर बनाते।

सरदार हुक्म सिंह : इसलिये कि सिक्खों में फूट होनी चाहिये।

श्री चिनारिया : मेरे दिल में तो सिक्खों और हिन्दुओं का ख्याल नहीं है। आप के दिल में यह ख्याल पैदा होता है। मैं तो सिक्खों और हिन्दुओं में कोई फ़र्क़ नहीं समझता आप के केश हैं, वरना आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। मैं तो दोनों को एक ही समझता हूं। मैं इस चीज़ को सोचता ही नहीं कि सिक्ख है या हिन्दू। मैं चाहता हूं आप भी इस को भूल जाइये। हिन्दुस्तान का भला इसी में है।

फिर आप एक बात यह लीजिये कि आप तमाम सैक्युलर लाज़ पास करते हैं। लेकिन अकाली पार्टी, हिन्दू महासभा और जो काम्युनल नाम के आरगेनाइज़ेशन्स हैं, उन को इलैक्शन्स में क्यों जगह देते हैं। उन को जगह न दीजिये, वह आपही इस तरह खत्म हो जावेंगे।

खैर इस बात से भी कोई मतलब नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पेप्सू के हालात नहीं सुधर सकते जब तक कि रजवाड़ाशाही वहां किसी न किसी सूरत में मौजूद है। जब तक काम्युनलिज्म वहां है और इन चीज़ों का वहां असर है तब तक पेप्सू की हालत नहीं सुधर सकती। मैं ने पहले भी कहा था कि पंजाब में क्यों काम्युनलिज्म खत्म हो गयी, क्योंकि वहां रजवाड़ाशाही नहीं थी। कश्मीर में क्यों हालत ठीक हो गयी, क्योंकि वहां रजवाड़ाशाही नहीं थी। वहां इस का असर नहीं था, इसलिये वहां काम्युनेलिज्म नहीं है। इसलिये मैं कहता हूं कि उस का सीधा हल यही है कि पेप्सू में जो एक ग़ैर क़ुदरती चीज़ है। जोग्राफ़िकली, इकनामिकली, हर तरह से यह ग़लत चीज़ है। उस के अन्दर सब से बड़ा सवाल यह है कि वहां फ़्यूडलिज्म का और काम्युनैलिज्म का बहुत ज़ोर है। राजस्थान में वह नहीं है। कितनी ही और जगह राजप्रमुख हैं, लेकिन वह पालिटिक्स में हिस्सा नहीं लेते, वह काम्युनल नहीं हैं। इसलिये अगर है भी तो कम से कम उन का पूरा असर नहीं पड़ता। लेकिन यहां तो राजप्रमुख और काम्युनलिज्म एक दूसरे से दोनों वाबस्ता हैं। इलैक्शन्स ने दिखा दिया कि जो अकाली टिकट पर आये, जो काम्युनल टिकट पर आए, उन लोगों का एक साथ गठजोड़ा हो गया उन लोगों से जो कि राजा के आदमी थे, जो फ़्यूडल लार्डस थे। और सब से बड़ी बात यह है कि सरविसैज़ के बारे में राड़ेवाला ने भी कहा है कि वे चाहेअनट्रेन्ड, इनऐफ़ीशियेंट और करप्ट हैं। जो अफ़सर लोग हैं वे तो इतने लायल हैं अपने मास्टर्स के कि उन को

[श्री चिनारिया]

ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है । वह तो एफ़ीशियेंट हैं, उन के लिये एफ़ीशियेंसी का एक ही मीआर है कि लायल टु दी मास्टर्स हों । वहां छः मिनिस्ट्रीज़ चलीं, उन्होंने कहा कि वे हर एक के लायल रहे, लेकिन सिवाय कांग्रेस मिनिस्ट्री के ।

सरदार हुक्म सिंह : यह सूचना गलत है ।

श्री चिनारिया : ख़ैर, सुनिये, जो बात मैं कह रहा हूं । वे अपने मास्टर्स के प्रति लायल हैं परन्तु राजप्रमुख के रूप में वह अभी भी है यह इसलिये कि सरविसैज़ उस की भरती की हुई हैं । वहां की जो सर्विसेज़ हैं वह एकदम ओवरहाल की जानी चाहियें क्योंकि उन में करप्शन और कम्युनलिज्म काफ़ी रैम्पेंट है । यह लोग जब तक राड़ेवाला मिनिस्ट्री रही, उस वक्त तक उसके लायल थे, लेकिन जब कांग्रेस मिनिस्ट्री चन्द दिन के लिये आई तो उसके प्रति वह डिसलायल रहे और कांग्रेस मिनिस्टर्स के जो सेक्रेटरीज़, अंडर सेक्रेटरीज़ और सुपरिन्टेंडेन्ट्स थे उन्होंने कांग्रस मिनिस्टर्स का हुक्म नहीं माना और उन पर यह इल्ज़ाम था कि वह कांग्रेस मिनिस्ट्री से प्रीजुडिस्ड हैं । मुझे यह तस्लीम करना पड़ता है कि हमारे प्रैसीडेंट रूल में, राव साहब में और डाक्टर काटजू जो यहां बैठे हुए हैं वह ताक़त नहीं है कि पेप्सू में जो रैंक काम्युनलिज्म फैली हुई है उसको ख़त्म कर दें, इलेक्शन भी उसका सही इलाज नहीं है, मैं नहीं समझता कि पेप्सू में डमोक्रेसी फेल हुई है, वैसे और राज्यों में भी डेमोक्रेसी फ़ेल हो सकती है । केन्द्र और स्टेट्स में डबल लेजिस्लेचर रखने की क्या ज़रूरत है । पेप्सू के बारे में तो मैं यह सलाह दूंगा कि उसका सही इलाज यह होगा कि पेप्सू को ख़त्म करके पंजाब में मिला दिया जाय, छोटा सा सूबा है और अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप का सारा सिर दर्द जाता रहेगा और यह जो काम्युनिलिज्म और करप्शन सर्विसेज़ और लोगों में फैला हुआ है यह सब जाता रहेगा । इसी इलाज को अगर आप अमल में लायेंगे, तभी यह मसला हल होगा, यानी पेप्सू को तोड़कर पंजाब प्रान्त में मिला लिया जाय । सब झगड़ा अपने आप हल हो जायगा राजप्रमुख, कम्यूनलिज्म और भ्रष्ट सर्विसेज़ सब ख़त्म हो जायेंगे, क्योंकि न रहेगा बांस, न बजेगी बांसरी ।

श्री नामधारी : प्रत्येक वस्तु की जांच की जाती है । हमें भी यह देखना है कि क्या राष्ट्रपति के राज्य में पैप्सू में विधि और व्यवस्था सुधर गई है या नहीं, और क्या श्री राव ने वहां की अवस्था को सुधारा है? कुछ दिन हुए मेरे इलाके के कुछ निर्धन लोग मुझे यहां मिले, मैं ने उन से पूछा कि क्या आप पहले की अपेक्षा इस राज्य में अधिक शान्ति के साथ रहते हैं या नहीं । उन्होंने उत्तर दिया कि श्री राव के प्रशासन में शान्ति है, पूर्ण व्यवस्था है, और उन्हों ने बहुत सुधार कर दिया है । यदि प्रशासक अच्छा न होता, तो जनता उस के राज्य में कैसे शान्ति का अनुभव कर सकती थी । उस व्यक्ति ने अपना कार्य बड़ी कुशलता के साथ किया है । परिसीमन आयोग की रिपोर्ट तथा मतदाताओं की सूचियां तैयार हो चुकी हैं, और आम चुनाव होने वाले हैं । आप सब को पता है कि पंजाब के एक मंत्री ने पैप्सू के एक मंत्री को चेतावनी दी थी कि सूर्यास्त के पश्चात पैप्सू में किसी भी व्यक्ति का माल धन व इज्जत सुरक्षित नहीं । परन्तु अब अवस्था वैसी नहीं है । मैं तो कहूंगा कि किसी दल के राज्य की अपेक्षा राष्ट्रपति का राज्य कहीं अच्छा है, क्योंकि राष्ट्रपति निष्पक्ष व्यक्ति हैं और उन का प्रतिनिधि पैप्सू में राज्य कर रहा है । यदि किसी कांग्रेस सदस्य ने यह शिकायत

की हो कि उन की सहायता नहीं की गई, तो ऐसा करना श्री राव के लिये ठीक ही है। कारण न्याय के मार्ग में किसी दल का पक्ष लेना सर्वथा अनुचित है। श्री राव ने न्याय की दृष्टि से सब काम ठीक किये हैं, ऐसा मेरा विश्वास है।

सरदार हुक्म सिंह इतने सज्जन पुरुष हैं और मैं उन का बड़ा आदर करता हूं। वे कहते हैं कि पैप्सू में बाहर के लोग भरती किये जाते हैं और सिखों को नहीं लिया जाता। मैं इस के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि श्री करमरकर ने आयात के लिये कोई अनुज्ञा नहीं दी और न ही सिखों के लिये कोई रोक लगाई है। विभेद उत्पन्न कर के राज्य करना यह अंगरेज़ों की नीति थी, और उन्होंने हमारे अन्दर हिन्दू और सिख अलग हैं ऐसा भाव उत्पन्न कर के अपना राज्य चलाया। परन्तु अब वे दिन गये। आप देख सकते हैं कि सरदार करनैल सिंह, श्री दातार, सरदार मजीठिया और सरदार स्वर्ण सिंह कितने उच्च पदों पर काम कर रहे हैं। सिखों के साथ अब अधिक अच्छा बर्ताव किया जाता है। श्री नेहरू एक असांप्रदायिक व्यक्ति हैं और वे प्रत्येक के साथ पूर्ण न्याय करते हैं। अतः हमें भी समझौता करना चाहिए। जो समाज समय की गति के साथ नहीं चलते वे नष्ट हो जाते हैं, अतः मैं अकाली दल से कहूंगा कि वे अपनी इस विभेद नीति को छोड़ कर हमारे साथ एकता के सूत्र में बन्ध जायें। अंगरेज़ों के समय पंजाब की परिषद में केवल ३३ सदस्य थे, परन्तु अब वहां पर १२६ में से ४४ सदस्य और केन्द्र में भी कई सिख मंत्री और दूसरे प्राधिकारी ऊंचे पदों पर काम करते हैं। जहां तक पिछड़ी हुई श्रेणियों के आयोग का सम्बन्ध है, वहां ११ में से एक सदस्य सिख है। यदि जनसंख्या की दृष्टि से अनुमान लगाया जाय, तो उन का कोई स्थान नहीं परन्तु तो भी सिखों को अपने हिस्से से अधिक हिस्सा दिया गया है।

१९५० में मैं ने हरिद्वार में कुम्भ के मेले में अखिल भारतीय हिन्दू सिख एकता सम्मेलन का सभापतित्व किया था। मैं ने वहां देखा कि लाखों हिन्दू-सिख भ्रातृभाव से जयगोविंद, जय नानक, जय कृष्ण, जय राम के जय घोष लगा रहे थे। हम इतिहास पर दृष्टिपात करें तो भी हमें दोनों की एकता का प्रमाण मिलता है। संक्रान्ति और पूर्णमाशी दोनों मनाते हैं, जन्म और मरण के रीति रिवाज एक हैं। आत्मिक सम्बन्ध गुरु ग्रन्थ साहिब के द्वारा सांझा है। गुरु नानक और गुरु गोविन्द सिंह ने ऐसी ही शिक्षा दी है, और हम सब इकट्ठे रहते थे। परन्तु विदेशियों ने आ कर हमारे बीच हिन्दू और सिख का विभेद खड़ा कर दिया। देखिये पण्डित मदन मोहन मालवीय अमृतसर गये और बोले कि वे प्रत्येक हिन्दू परिवार में एक सिख को देखना चाहते हैं। ये भारत माता के सुपुत्र हैं और देश भक्त हैं और आवश्यकतानुसार इन सुपुत्रों ने राष्ट्र की सेना बन कर देश की रक्षा की है।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे सदन के सन्मुख रखे प्रस्ताव पर ही अपने विचार प्रकट करें।

श्री नामधारी : इन विदेशियों ने हमारे अन्दर हिन्दू और सिख का विभेद पैदा किया, अन्यथा हमारे में कुछ अन्तर नहीं है। श्री राव का प्रशासन अच्छा है। हमारा सिखों से कोई द्वष नहीं। कांग्रेस और उसके नेता उनके अपने हैं। श्री नेहरू ने जत्था मोर्चा में भाग लिया था। मेरा यह विश्वास है कि धर्मनिपक्ष राज्य में अल्प संख्यकों के अधिकारों का संरक्षण होता है। अतः मैं माननीय सदस्य सरदार हुक्म सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे सिख और हिन्दू के विभेद को

[श्री नामधारी]

छोड़े; वास्तव में उन में पूर्ण अभिन्नता है—इस बात को मान कर वे हमारा साथ दें।

पिछले युद्ध में सिखों ने विक्टोरिया क्रास के अनुसार यह अनुमान लगाया कि सेना में उन की भरती ५० प्रतिशत है, जो कि गलत धारणा थी। मैं यह कहता हूं कि हमें केवल पैप्सू की बाबत ही नहीं सोचना चाहिये समस्त भारत हमारा अपना है और समस्त भारत सिखों का है, और कुछ भी अलग नहीं है।

डा० जयसूर्य : मुझे पैप्सू का पूर्ण ज्ञान नहीं है। परन्तु बाकी सब पड़ौसी राज्यों के साथ जैसा किया जा रहा है वही बात वहां भी की जा रही है। मैं हैदराबाद से आया हूं, और मुझे गृह कार्य मंत्रालय और राज्य मंत्रालय की गुप्त मंत्रणाओं का अच्छा अनुभव है। जब तक इन दोनों मंत्रालयों का उद्देश्य समय में नहीं आता, तब तक समस्त वाद विवाद व्यर्थ हैं।

डा० काटजू ने कहा कि पैप्सू में विधि और व्यवस्था बिगड़ गई थी, इसलिये भारत सरकार को उसे लेना पड़ा। पैप्सू कितना भयानक नाम है—और इसे पैप्सू कह कर हम अत्याचार करते हैं। इसे पंजाब में मिला दो, तब यह अजीर्ण रोग भी समाप्त हो जायगा। विधि और व्यवस्था के बिगड़ जाने के बारे में मेरा निवेदन है कि ठीक चुनाव होने चाहिएं। माना पैप्सू में विधि तथा व्यवस्था कम थी। परन्तु यह किस प्रकार की थी, यह नहीं बतलाया गया। वहां बिस्वेदार थे, परन्तु वे बिस्वेदार क्या थे, यह भी नहीं बतलाया गया। पी० यंग ने कहा था कि ये बिस्वेदार राजस्व इकट्ठा करने वाले लोग थे। ४० वर्षों में वे भूमि के स्वामी बन बैठे हैं। अर्थात तत्समय जो भूमि जोतते थे, उन को बलात मालसी कृषक बना दिया गया, जिसे उन्हों ने कभी स्वीकार नहीं किया। पी० यंग ने लिखा है कि राज्य के प्राधिकारियों और बिस्वेदारों के बीच मेलमिलाप रहा है, और वे एक दूसरे का पक्ष लेते रहे हैं। इस प्रकार की सामन्तशाही हैदराबाद में हुई। अब वेंकटाचार समिति ने कहा है कि भूमि के स्वामित्व के प्रश्न पर फिर से जांच होनी चाहिए। रघुवीर सिंह बृषभानु के राज्य में ऐसी कोई बात नहीं हुई। उस मंत्रिमंडल के भंग होने के पश्चात एसी बात सामने आई है।

डा० काटजू ने कहा था कि वहां पर भूमि सुधार शुरू हो गये हैं। तब प्रश्न यह उठता है कि डाके किस वस्तु के लिये पड़ते हैं। हैदराबाद में और चीन में बिस्वेदारों द्वारा बलात राजस्व लिया गया, और ऐसे सताये हुए लोग डाकू बन गये। श्री राव ने भी यह स्वीकार किया है कि १९५२ के उत्तरार्ध में वहां की अवस्था बहुत अच्छी थी। क्या तब वहां राड़ेवाला का मंत्रिमंडल नहीं था। अब यह राजस्व इकट्ठा करने का काम पुलिस ने अपने हाथ में ले लिया है और उन से अनाज तक भी लिया जाता है। इस से पहले तो किसान लोग इस बात के लिये संघर्ष कर सकते थे, परन्तु अब सशस्त्र पुलिस के सामने वे ऐसा भी नहीं कर सकते। यह दूसरी उल्लेखनीय बात है। ये किसान राजस्व देने से इन्कार नहीं करते। परन्तु वे कहते हैं कि महाराजाओं के साथ मिल कर इन बिस्वेदारों ने उन की भूमि हथिया ली, जिसे वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। परन्तु वेंकटाचार समिति अब इस बात को बदलना चाहती है। न डा० काटजू और न मैं यह कह सकते हैं कि कृषकों की समस्याओं का संरक्षण किया गया है।

मैं ने श्री राव का नाम पहले कभी नहीं सुना था। परन्तु उन्होंने एक उन्नति की बात यह की है कि कृषकों से राजस्व बारह गुने

की अपेक्षा अठारह गुने लिया जा रहा है। पुराना विक्रय-कर अभी तक लागू है, और अत्यावश्यक वस्तुओं पर भी लगता है। यूनाइटिड फ्रंट पार्टी द्वारा प्रस्तावित मुआवजा भी बढ़ा दिया गया है। योजना आयोग ने पांच लाख एकड़ भूमि सुधार का लक्ष्य निश्चित किया था, परन्तु अभी तक एक इंच भूमि को भी नहीं छूआ गया है। इस का क्या कारण है ? सरकार अभी तक यह निश्चय नहीं कर सकी कि किस प्रकार के ट्रैक्टरों को खरीदा जाय। इसी समय के बीच बिस्वेदार लोग विधि से बचने के लिये अपनी भूमि को बेच रहे हैं। दो हजार कूएं खुदवाने और एक हजार पम्प लगाने की योजना बनाई गई थी, परन्तु एक भी कुआं अथवा पम्प नहीं लगाया गया है। इक्कीस ट्रैक्टर नाभा में बेकार पड़े हैं। इस के अतिरिक्त आदर्श स्याम्बली सेनी गांव में कोई स्कूल नहीं और कोई डाकघर तथा हस्पताल नहीं है। इधर तो ये सारी बातें हो रही हैं, उधर पैप्सू के राजकुमार और राजकुमारियां विलास कर रही हैं। महारानी जींद को बहुत बड़ा जंगल दे दिया गया है, जिसे पिछले मंत्रिमंडल ने अस्वीकार कर दिया था। एक रानी आलिव जसवन्त कौर इंगलैंड में रहती है, उसे आयकर भुगताने के पश्चात १०,००० रुपये की पेंशन दी गई है। एक और लेडी राजकुमारी रुबी गरेवाल को भी १०,००० रुपये प्रतिवर्ष की आजीवन पेंशन दी गई है।

डा० काटजू : क्या आप को इस का ठीक पता है ?

डा० जयसूर्य : आप मुझे इस के बाद बतला सकते हैं। मेरे पास यही जानकारी है।

डा० काटजू : मैं ये बातें सुन कर तंग आ गया हूं।

डा० जयसूर्य : पटियाला बैंक अवनति पर है, पर फिर भी उस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर की ओर ६५,००० रुपये की रकम निकलती थी, जो उस के नाम से काट दी गई है। ये पटियाला की बातें हैं।

डा० काटजू : मैं माननीय सदस्य से विनती करता हूं कि वे जनश्रुति को बार बार न दुहरायें।

डा० जयसूर्य : मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन का 'श्वेत पत्र' क्या है ? क्या यह जन श्रुति नहीं है ?

चौ० रणवीर सिंह : मेरे से पूर्व वक्ता ने जो बातें कही हैं उन का जवाब तो मैं समझता हूं कि काटजू साहब ही अच्छी तरह दे सकते हैं। इसलिये उन की बातों की बहस में मैं नहीं जाना चाहता। कुछ बातें मुझे कहनी हैं जो मैं समझता हूं कि किसी भाई ने नहीं कही हैं। अन्दाज़ा है कि छः महीने के अन्दर पैप्सू राज्य के अन्दर इलैक्शन होने जा रहे हैं। इस हाउस का हर एक सैक्शन कम से कम कहता तो यह ज़रूर है, चाहे हो या न हो, कि फ्री ऐण्ड फेयर इलैक्शन्स हों। मैं होम मिनिस्टर साहब से एक प्रार्थना करना चाहता हूं और उन्हें कुछ जानकारी देना चाहता हूं। मैं पैप्सू का रहने वाला नहीं हूं। लेकिन पंजाब का रहने वाला हूं और पंजाब और पैप्सू एक मिली जुली चीज़ है। पैप्सू हमारा पंजाब का एक जजीरा है। इसलिये जो कुछ हालात हमारे यहां हैं उन की कुछ खराबियां और अच्छाइयां जो हैं उन का पैप्सू के हालात पर भी असर होता है। तो जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि फ्री एंड फेयर इलैक्शन के लिये दो तीन चीज़ों की बड़ी ज़रूरत है। एक ज़रूरत तो यह है कि आप की जितनी आफीशियल मैशीनरी है, वह इम्पार्शियल हो। आप पैप्सू के अन्दर अगर आप नौकरशाही का एक इतिहास खोलें तो आप को पता चलेगा कि कोई किसी का साला है, कोई किसी का

[चौ० रणवीर सिंह]

मामा है, एक रिश्तेदारों की सरकार है और रिश्ते से ही सब को नौकरी मिली है। ऐसी हालत में उन से क्या तवक्को इन्सानियत के नाते इम्पार्शियलिटी की कोई कर सकता है, इस का अन्दाज़ा हाउस लगा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि पैप्सू के अन्दर इन छः महीनों के अन्दर इलैक्शन हों और फ़्री एंड फेयर इलैक्शन हों, तो आप को चाहिये कि इस नौकरशाही को ठीक करें। मेरे भाई ने गिला किया कि वहां तो दूसरे सूबों से लोग इम्पोर्ट हो कर आते हैं। मैं कहता हूं कि दूसरे सूबों से न कहिये, अपने पड़ौसी से जिस के कि वह जज़ीरा हैं, वहां से ही लोग मंगावें। वहां के भाई भी पंजाब में रहे हैं। उन के ज़मान में बहुत सारे भाई रिक्रूट हुए थे। इसलिये उस सूबे के ऊपर तो यह इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता है कि वहां केश की जो आफीशियल मैशीनरी है वह ठीक नहीं है।

सरदार हुक्म सिंह : वह हमारे राज्य में कौन से रिक्रूट हुए थे ?

चौ० रणवीर सिंह : नैशनल डिमाक्रेटिक फ्रंट के ज़माने में। जिस की वज़ारत तोड़ी गई थी उस का नाम नैशनल डिमाक्रैटिक फ्रंट था और जो उसूल और जो बात वह कहते हैं वह कहां तक मुनासिब है, यह मुझे मालूम नहीं। लेकिन उन का जो भी मैनीफैस्टो था, और जो ज़मींदारा लीग का मैनीफैस्टो था, उस से वह बहुत मिलता जुलता था। पंजाब के अन्दर तीस साल तक ज़मींदारा लीग का रूल रहा और बहुत सारे अफसर उस लीग के राज्य के ज़माने में भरती हुए थ : तो मैं उस बात की तरफ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि पंजाब का यहां पर डिसकशन नहीं है। लेकिन मेरे लायक़ दोस्त, सरदार हुक्म सिंह ने वे बातें मुझ से कहलवाईं तो कहना पड़ा है। खैर यह बात जो है वह उठाने वाली बात नहीं है।

यहां एक भाई ने कहा कि कुछ दो अफ़सरों को वहां से हटा दिया गया, क्योंकि उन के मुंह पर दाढ़ी थी। मुझे आज भी पैप्सू के तीन बड़े बड़े अफ़सर दिखाई देते हैं, गैलरी के अन्दर बैठे हुए, जिन के मुंह पर दाढ़ी है। तो अगर यह दाढ़ी ही सारे पैप्सू के अफ़सरों में न होती तो वहां का आई० जी० दिखाई नहीं देता। यह कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इसलिये मैं उस में नहीं जाना चाहता। मैं जानता हूं कि वहां जो कुछ हुआ है वह नैपाटिज्म, करप्शन और रिश्तेदारी की वजह से हुआ है। उस को साफ़ करने के लिये यह हुआ है।

मुझे एक बात का डर है और मैं समझता हूं कि इस से हमारे सूबे को कुछ घाटा भी होगा, लेकिन कुछ विश्वास है और कुछ हक़ है, इसलिये कहता हूं। हम पंजाब वाले समझते हैं कि हम ने कुछ क्या किया है। जो कुछ खराबी हमारे अन्दर आवेगी उस को भी हम नेक और साफ करेंगे। जिस चीज़ की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं वह यह है कि हमेशा के लिये जिस तरह से पैप्सू पंजाब का एक जज़ीरा रहा है, उसी तरह वहां उन की नौकरशाही को भी पंजाब की नौकरशाही का एक जज़ीरा बना दीजिये। पंजाब और पैप्सू की नौकरशाही को मिला दीजिये। मैं यह समझता हूं कि उस में पैप्सू की नौकरशाही में जो खराबियां हैं वे पंजाब की नौकरशाही में पैनीट्रेट करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि बड़ी हद तक हम उन को ठीक कर सकेंगे। उस के मुक़ाबले में पैप्सू के अन्दर जो रिश्तेदारीशाही है और जो खराबियां हैं वे कम से कम दूर हो जावेंगी। तो जहां इलैक्शन के लिये तो वह बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन इलैक्शन के अलावा

भी अगर इस पैप्सू को पंजाब का एक जज़ीरा रहना ही है तो कम से कम पैप्सू की नौकरशाही भी पंजाब की नौकरशाही का जज़ीरा रहे।

इस के अलावा एक बात और है। मैं देहात का रहने वाला हूं। मुझे इलैक्शन का तजुर्बा है। मैं ने भी इलैक्शन लड़ा है और पड़ोस में देखा भी है। यहां तो बड़ी डींगें हांकते हैं, सरदार हुक्म सिंह साहब और बड़ी उम्मीदें रखते हैं। लेकिन सभापति जी, आप के मार्फ़त मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि उस प्रदेश में अगर फेयर और फ्री इलैक्शन हो तो जितने कि इन के साथी हैं, उन में से मुश्किल से कोई पांच या सात भाई आ सकते हैं। वहां हालत क्या है। वहां इलैक्शन जो होता है तो क्या हालत होती है यह मैं जानता हूं। भाई अजित सिंह ने शिकायत की है। लेकिन ऐसी ही बात शायद मैं कहता। हमारे जो हरिजन भाई हैं और जो गरीब भाई हैं, उन की राय भरने का जब वक्त आता है तो उस रात को उन को कहा जाता है कि तुम को अगर इस गांव में रहना है, अपने आप को ज़िन्दा रखना है तो उसी तरह से राय दो जिस तरह कि हम चाहते हैं। और अगर तुम किसी खास आज़ादी से राय देना चाहते हो तो अपना रास्ता पकड़ो। उन से कहा जाता है कि यह हमारी विस्वेदारी है, यह हमारी ज़मींदारी है। यहां के हम मालिक हैं, यहां की जोत के हम मालिक हैं, यहां के कुएं के हम मालिक हैं, बहां की ज़मीन के हम मालिक हैं, यहां की शामिलात के हम मालिक हैं, यहां के रास्ते के हम मालिक हैं। इसलिये अगर चाहते हो कि ज़िन्दा रहो, अपनी ज़िन्दगी को बरक़रार रखना चाहते हो, तो जिस तरह हम कहते हैं उस तरह राय दो। अगर यह नहीं चाहते तो जावो, किसी को भी राय दो, यहां तुम फिर नहीं रह सकते। वहां यह हालत है। उन्हें बताया जाता है, भाई कहते हैं, कि यह अकाली टिकट वाले आज रात को आए हैं, कल चले जावेंगे। यह वज़ीर साहब भी आवेंगे, चले जावेंगे। लेकिन हमारा और तुम्हारा रिश्ता ऐसा है कि आने जाने वाला नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि शान्ति से रहो तो हमारे कहने से राय दो। हम ने अपने कांस्टीट्यूशन विधान के अन्दर यह रखा था कि कोई आदमी इस देश के अन्दर इस तरह ज़बरदस्ती के ढंग से राय न दे।

श्री अजित सिंह : आप इकानामिकली उन की तरक्की करिए।

चौ० रणवीर सिंह : मैं उसी की बात अभी कहता हूं। हमारे सूबे में पंजाब में एसी चीज़ें कही गई थीं। उसी चीज़ का इलाज करने के लिये पंजाब ने एक क़ायदा बनाया, जिस की मंज़ूरी हमारे माननीय वज़ीर साहब ने अभी तक नहीं दी है। वह क़ायदा हम ने यह बनाया है कि न शामिलात की ज़मीन में किसी का हक़ है, न कुएं में किसी का हक़ है, न जोत में किसी का हक है, न रास्ते में किसी का हक़ है। इस में सब का हक़ है। कोई नहीं कह सकता कि इस रास्ते से तुम नहीं जाने पावोगे अगर हमारे कहने के मुताबिक़ राय नहीं दोगे। इस तरह का उन्हों ने एक क़ायदा बनाया कि शामिलात के अन्दर, कुएं के अन्दर, जोत और रास्ते के अन्दर सब का सांझा है, किसी एक खास एक आदमी का कोई हक़ नहीं है। वह क़ायदा बनाया है और अगर मेरी सलाह मशविरा मान कर होम मिनिस्टर साहब मंज़ूरी दे देंगे तो हालात ऐसे पैदा हो जावेंगे कि जिन में लोग आज़ादी से राय दे सकें। फिर लोग किसी के दबाव में आ कर, डर में आ कर राय नहीं देंगे। उन को डर नहीं रहेगा कि उन को घर से निकाला जायगा। अगर घर से निकालने के डर से उन्हों ने राय डाली तो आप यक़ीन रखिये कि आप के यहां

[चौ० रणवीर सिंह]

भी फिर वही क़ायदा बनेगा जो कि पंजाब में बना है। आप के पैप्सू में भी फिर वही क़ायदा बन जायगा ।

मैं यहां एक जुमला वज़ीर साहब से भी कहना चाहता हूं । उन से अपील करता हूं कि पंजाब के क़ायदे को मंज़ूरी देने से इन पैप्सू वालों को भी हिम्मत पड़ेगी । वे भी यह उम्मीद रखेंगे कि हम ने अगर इलैक्शन में ठीक राय दी, हम ने डर की परवाह नहीं की, सही लोगों को राय दी, तो हमारे हालात भी कुछ बदलेंगे । इसलिये मैं कहता हूं कि पंजाब के उस क़ायदे को आप मंजूरी दे दें । उस से तसदीक़ हो जायगी कि सही राय देंगे तो पंजाब का क़ायदा पैप्सू में भी बन जायगा ।

सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि पैक्ट्स अगर टूटेंगे, तो वह सरदार हुक्म सिंह की तरफ़ से टूटेंगे, कांग्रेस की तरफ से पैक्ट्स नहीं टूटेंगे । चिनारिया साहब ने ठीक ही कहा है कि कांग्रेस में अगर किसी पर बेजा दबाव डालने की बात होती तो वह नवाब साहब जिन को सात लाख रुपया भारत सरकार को देना हो वह कांग्रेस के खिलाफ़ वोट दें यह भला कभी हो सकता था । लेकिन हम कांग्रेस वालों पर तो न्याय का भूत सा सवार रहता है नहीं तो अगर उस नवाब को गवर्नमेंट आफ़ इंडिया कर्जा वसूल करने के लिये चिट्ठी भेजती, तो फिर भला मजाल थी कि वह कांग्रेस के खिलाफ़ अपनी राय देते, लेकिन वह चिट्ठी यहां से नहीं लिखी जाती है कि कल को सरदार हुक्म सिंह यह कहना न शुरू कर दें कि इस तरह से नाजायज़ दबाव वोट हासिल करने के लिये नवाब साहब पर डाला गया है । हम तो चाहते थे कि डाक्टर काटजू साहब इस न्याय के भूत को उतार देते ताकि वह हिम्मत और साहस से काम कर सकते और यह जो केस बनाया गया था कि ज़िले टूटने चाहिएं, वह काम अभी तक वह नहीं कर पाये, यह काम हिम्मत का है और हमारा फ़र्ज़ है कि इस के लिये हम अपने डाक्टर साहब को ताकत दें । मेरे से पूर्व वक्ता ने भी कहा कि रियासतों की हालत अच्छी नहीं है, और हम रियासतों के स्तर को उठा कर अपने बराबर लाना चाहते हैं और इसलिए यह अच्छा मौक़ा है कि हम कोई ऐसा कारनामा कर जायें जिस से हम अपन मक़सद में कामयाब हो सकें। और क्यों न हम हिम्मत कर के पैप्सू को पंजाब से मिला दें ।

सभापति महोदय, मुझे मालूम है कि आप का ज़िला हिसार पांच हज़ार पांच सौ वर्ग मील का ज़िला है और पैप्सू हिसार ज़िले का केवल डबल एरिया ही तो है और वहां पैप्सू में हिसार जैसे दो ज़िले के बराबर इलाके में आठ ज़िले बना रक्खे हैं और फिर कहते हैं कि साहब लोगों को ज़िलों के तोड़ने से असुविधा होगी, तो असुविधा का कहां तक ख्याल किया जाय । लोगों की असुविधा तो तब हटेगी जब उन के गांवों में आप अदालतें बनायें और डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर भी उन के गांवों में बना दिये जायें, तब तो उन को सुविधा हो सकती है या तो फिर जैसा आप ने पंजाब के अन्दर पंचायत राज्य का जो क़ायदा बनाया है, हूबहू वैसा पैप्सू में चालू कर दें, क्योंकि आखिरकार पंजाब और पैप्सू के आम लोगों के दरमियान क्या फ़र्क है, आप इस तरकीब को अमल में लायें और वहां पर पंचायत के क़ानून क़ायदे को लागू कीजिये, गांव में डिप्टी कमिश्नर और अदालत की क्या ज़रूरत है वहां तो बेचारे सीधे सादे और मामूली देहाती ही रहते हैं, और बिलफ़र्ज़ अगर वहां कोई आदमी क़त्ल करता है तो उस को

पटियाला जाने दीजिये, उस के लिए उस को दिल्ली या इलाहाबाद भी जाना पड़े तो वहां उस को भेजिये, ऐसे आदमियों के लिये हमें कोई बहुत ज्यादा हमदर्दी नहीं हो सकती।

क़र्ज़ के बारे में मुझे कहना है कि इस में लिखा हुआ है कि ९१ ट्रैक्टरों का क़र्ज़ दिया गया, और ये ट्रैक्टर्स ऐसे लोगों को क़र्ज़ दिये गये जिन लोगों ने नई ज़मीन को तोड़ा ताकि इस देश में अनाज की कमी दूर हो, तो मुझे इस में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर यह ट्रैक्टर्स का क़र्ज़ ऐसे लोगों को दिया गया जिन की ज़मीन पहले से चालू थी तो मुझे उस में ज़रूर ऐतराज़ है क्योंकि उस से तो आप देश के अन्दर अनइम्पलायमेंट पैदा करेंगे और उन ट्रैक्टरों से हज़ारों मजारों को बेदखल किया जायगा। इसलिए मैं डाक्टर काटजू साहब से प्रार्थना करूंगा कि वह यह देखें कि सरकार का पैसा ऐसे लोगों को न दिया जाय जो सरकार की अनइम्पलायमेंट की प्राबलम को और बढ़ायें और इसलिये यह ज़रूरी है कि ट्रैक्टर्स आदि उसी को दिये जायें जो उन का इस्तेमाल बंजर ज़मीन को तोड़ कर उपजाऊ बनाने में करे। अगर सरकार ऐसे शख्स को सहायता देती है जिस की ज़मीन पहले से चलती है तो उस से तो अनइम्पलायमेंट की प्राबलम बढ़ेगी और मजारे लोग काम से निकाले जायेंगे। इसलिए सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये और अगर वह सही आदमी को क़र्ज़ और सहायता देगी, तो यह प्राबलम जल्दी हल हो जायगी।

सभापति महोदय : यदि सदन के सदस्य वादविवाद को चालू रखना चाहते हैं, तो मैं इस की अनुमति देता हूं। माननीय मंत्री महोदय ५ बजे उत्तर देंगे।

श्री सारंगधर दास : पिछली बार माननीय गृह-कार्य मंत्री ने पैप्सू में संविधान को स्थगित करने के कारण बतलाये, तो मैं ने कहा था कि इस का मुख्य कारण उस राज्य में कांग्रेस को शक्तिशाली बनाने का है। पर मंत्री जी ने अब और भी कई कारण बतलाये हैं, जो निरर्थक हैं। ऐसा कहा जाता है कि पैप्सू में संसद का राज्य है। परन्तु वास्तव में वहां राष्ट्रपति के नाम पर सलाहकार और गृह-कार्य मंत्री का राज्य है। आज वह समय नहीं कि लोगों को इस प्रकार मूर्ख बनाया जा सके। यद्यपि सत्तारूढ़ दल का बहुमत है, परन्तु सब लोग जानते हैं कि असल बात क्या है।

पैप्सू में सरहिन्द में एक मार्केटिंग कमिटी है, जिस में सात सदस्य थे, जो किसानों, खेतिहारों और व्यापारियों द्वारा चुने गये थे। राड़ेवाला के राज्य में एक सदस्य ने कांग्रेस को छोड़ कर प्रजा समाजवाद दल को अपना लिया। तब तहसीलदार के कथनानुसार, जो समिति का प्रधान था, बलवीर सिंह मान को सदस्यों ने अपना प्रधान चुन लिया। परन्तु वह कांग्रेस का विरोधी था, इसलिये सलाहकार ने उस की नियुक्ति को स्वीकार नहीं किया, और दो अन्य सदस्यों को भी हटा दिया गया। इस प्रकार दो और कांग्रेस के पक्ष वालों को समिति में लाकर वहां कांग्रेस का बहुमत पैदा किया गया। और अब वहां कांग्रेस की इच्छानुसार काम होता है। मुझे वहां की सब बातों का ज्ञान नहीं, तो भी मुझे पता है कि बाहर से लोगों को बुला कर नियुक्त किया जाता है, और कई लोगों को उन्नति दी जाती है। गृह-मंत्री हमें इन बातों का औचित्य बतलाने की कृपा करेंगे।

डा० काटजू : आप का किस विशेष वक्तव्य से अभिप्राय है ?

श्री सारंगधर दास: पुस्तिका के परिशिष्ट क, ख, ग, घ तथा ङ से मेरा अभिप्राय

[श्री सारंगधर दास]

है। उस राज्य के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने एक पुस्तिका प्रकाशित की है। क्या गृहमंत्री यह कह सकेंगे कि उस में कही गई बातें कहां तक ठीक हैं और कहां तक गलत ?

माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि राड़ेवाला मंत्री मण्डल ने कृषकीय सुधार विधान नहीं बनाये। परन्तु यह सब को पता है कि उन्हों ने तीन विधेयक रखे थे, जिन में से एक खण्ड को छोड़ कर एक विधेयक पारित हो गया था। सलाहकार के राज्य में कहा जाता है कि दो विधेयक पास हो गये हैं, अर्थात एक के अनुसार मारूसी कृषकों को स्वामित्वाधिकार दिया जायगा, और दूसरे के अनुसार स्वामित्व के अधिकार समाप्त कर दिये जायेंगे। तीसरा विधेयक गैर मारूसियों से सम्बन्धित है, जो पैप्सू में झगड़े का कारण है और वही विधेयक पास नहीं किया गया है। और जब तक कृषकों को अधिकार देने और बिस्वेदारों के स्वामित्व को नष्ट करने की विधि नहीं बन जाती, तब तक इन गैर मारूसी कृषकों को निकाला जा रहा है। इस प्रकार राष्ट्रपति के राज्य की आड़ में स्वार्थ सिद्ध किया जा रहा है। डा० जयसूर्य ने बतलाया कि गृहमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि वहां कृषकीय सुधार आन्दोलन प्रारम्भ हो चुका है। यही कारण है कि कृषकों को निकालने और बिस्वेदारों को स्थापित रखने के लिये राष्ट्रपति का राज्य वहां स्थापित किया गया है। इस के अतिरिक्त नगर समितियों में भी कांग्रेस के पक्षपातियों को नियुक्त करने के लिये पहले से वर्तमान व्यक्तियों पर सांप्रदायिकता का आरोप लगा कर निकाला जाता है ताकि आने वाले चुनावों में सब जगह पर बिस्वेदार लोग कांग्रेस का पक्ष लें।

दूसरी बात यह है कि हमीरा की महालक्ष्मी चीनी मिल के प्रबन्धकों और श्रमिकों में झगड़ा हो गया था। मजदूर कुछ मांगते थे, और प्रबन्ध देना नहीं चाहते थे। समझौता प्राधिकारी की इच्छानुसार ऐसा निर्णय हुआ कि मजदूरों को चार महीने का बोनस फरवरी में दिया जायगा। राष्ट्रपति का राज्य होने पर मिल के प्रबन्धकों ने कांग्रेस को अपनी सहायता देने का आश्वासन दिया। जिस के परिणामस्वरूप उन्होंने बोनस देने से इनकार कर दिया। उस निर्णय के बार बार स्मरण कराने पर भी बोनस नहीं दिया गया। यह करार राड़ेवाला के मंत्री मंडल के राज्य में किया गया है। परन्तु राष्ट्रपति राज्य के होने पर कांग्रेस के स्वार्थी व्यक्तियों के साथ मिल कर मिल के प्रबन्धकों ने अपने वचन को पूरा करने से नां कर दी।

लाला अचिन्त राम (हिसार) : आज की जो बहस हुई उस में मैं इस बात की तवक्को तो करता था कि यह मांग हो या यह नुक्ता चीनी हो कि प्रेजिडेन्ट का रूल खत्म हो, जल्दी खत्म हो, लेकिन इस बात की बहस कि प्रेसीडेन्ट का रूल हुआ ही क्यों मैं इसकी तवक्को नहीं करता था। लेकिन आज इस बहस को फिर छेड़ा गया कि प्रेजिडेन्ट का रूल हुआ तो किसी खास मकसद के लिये हुआ इस मकसद से हुआ कि कांग्रेस के हाथों को मजबूत किया जाय। यह बात पहले भी हो चुकी थी, आज फिर इस बात को कहा गया।

और दलील क्या दी गई। दलील यह दी गई कि ज्यादा हालत ला ऐंड आर्डर की खराब हुई कांग्रेस के वक्त में और इस वास्ते जिम्मेवारी कांग्रेस पर है। अगर इस बात को तसलीम कर भी लिया जाय कि कांग्रेस के वक्त में हालत खराब हुई, लेकिन अगर सुधरते सुधरते ऐसी हालत हो जाय कि लोग वहां शाम के बाद चल फिर भी न सकें, सफर न कर सकें, तो क्या आप समझेंगे

कि ऐसे राज को जारी रखा जाय। यह बात साफ है कि जिस वक्त यह प्रेसीडेंट रूल हुआ उस वक्त, मैं अपनी शहादत दे सकता हूं, मैं पटियाले में था और मैं जाना चाहता था। उस वक्त मुझे बतलाया गया कि मैं शाम को नहीं जा सकता। मैं यह मान लूंगा कि कांग्रेस गवर्नमेंट के ज़माने में खराबी हुई, लेकिन जो उस के बाद रूल आया क्या उस को पबलिक मफाद में जारी रखा जा सकता था, जिस में कि सफर नहीं किया जा सकता था। मेरी समझ में कोई निष्पक्ष आदमी इस को बरदाश्त नहीं करेगा। इस वास्ते मैं कहता हूं कि अगर प्रेसीडेंट रूल न होता तो जनता के साथ बेइन्साफी होती, गोकि मैं नहीं चाहता था कि प्रेसीडेंट आवे।

अब सवाल आता है कि हो क्या ? इस का माकूल साल्यूशन क्या हो ? मैं चाहूंगा कि आप निष्पक्ष तौर पर ज़रा तमाम हालात का अन्दाज़ा लगा लें कि हमारे ये तीन साल कैसे गुज़रे, फिर आप फैसला करें कि प्रेसीडेंट रूल कायम रखा जाय या हटाया जाय, या पार्टी रूल रखा जाय, या पार्टी रूल न रखा जाय तो कौन सा रूल लाया जाय। आप निष्पक्ष हो कर सोचें और देखें कि जनता की भलाई किस में है।

मैं पहले अर्ज़ कर दूं कि मैं प्रेसीडेंट रूल को डिफेंड नहीं करता। मैं समझता हूं कि प्रेसीडेंट रूल होना चाहिए था लेकिन यह आइडियल नहीं है। लेकिन हम को यह देखना है कि इस की जगह क्या किया जाय। पिछले दो तीन सालों में तीन चार बातें साफ हो गईं। एक बात जो सामने आई वह यह है कि पैप्सू में पार्टी लैविल्स की जितनी बेइज्जती और बहुर्मती हुई है वैसी शायद हिन्दुस्तान के किसी भी सूबे में नहीं हुई होगी। आज एक आदमी कामयाब होता है एक टिकट पर। कल वह दूसरी पार्टी में चला जाता है। उस को कोई कम्पंक्शन नहीं कि मैं ने जनता से क्या कहा था, मैं ने इलैक्टोरेट से क्या वायदा किया था। वह दूसरी पार्टी में चला जाता है और जब वह एक पार्टी को छोड़ कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उस को कोई ख्याल नहीं होता और न उस दूसरी पार्टी वाले उस से मतालबा करते हैं कि इलैक्शन लड़ो और फिर हमारी पार्टी में आओ, बल्कि वह खुश होते हैं। जब मैं ऐसा कहता हूं तो मेरे दिमाग के अन्दर किसी खास पार्टी का ख्याल नहीं है। मैं यह सब पार्टियों के बारे में कह रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि सब पार्टियां इस में शामिल हैं कि उन्हों ने पार्टी लेविल्स की सख्त बेइज्जती की। उन का इतना मारल कैलीबर गिर गया कि आज एक आदमी एक पार्टी में जाता है और उस का लीडर बन जाता है, कल दूसरी पार्टी का लीडर बनता है और फिर तीसरी पार्टी का लीडर बनता है। रोज़ पार्टी लेविल बदलता है। और यह सब छोटी छोटी बातों के लिये किया जाता है और कोई इस का मतालबा नहीं करता। वह जब चाहे अपना पार्टी लेविल छोड़ देते हैं जैसे कोई बात हो न हो। तो मैं पहली बात यह कहूंगा कि इन तीन वर्षों म पैप्सू में जो पार्टी लेविल की बेइज्जती हुई है वह और किसी जगह नहीं हुई।

दूसरी बात यह है कि हर एक आदमी अपनी पोजीशन को अनसरटेन समझता था और अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता था। मान लिया कि मेरे मेम्बर ज्यादा हैं लेकिन फिर भी अनसरटेंटी रही और यह ख्याल हुआ कि शायद हम हट जायें और यह कोशिश रही कि किसी तरीके से मेम्बर बढ़ाये जायें, लालच दे कर या लोभ दे कर किसी तरीके से मेम्बर बढ़ाये जाय यही कोशिश रही। यह मैं दूसरी बात कहता हूं।

[लाला अचिन्त राम]

तीसरी बात का जो तजरबा हुआ वह यह है कि २० या २१ इलैक्शन पिटीशन्स हुईं और इन बीस इक्कीस में से १९ कामयाब हुईं। उन में दोनों पार्टियों के खिलाफ चार्जेज़ लगाये गये और जो लोग पार्टियों के लीडर थे वह अनसीट हुए। जिम्मेवार आदमियों के खिलाफ बड़े ग्रेव चार्जिज़ लगाये गये और वे डिस्क्वालीफाई हुए और यह लोग पार्टियों के लीडर और मिनिस्ट्री में थे। तो यह तीन बातें बिल्कुल साफ हैं, पार्टी लेविल्स की बेइज्जती पावर के लिये हर तरीका इस्तेमाल करना और इलेक्शन पिटीशन्स के अन्दर बड़े बड़े लीडर्स के खिलाफ चार्जेज़ आना और उन का डिस्क्वालीफाई होना। अब सोच लीजिये कि आप क्या करेंगे।

चौथी बात जो पार्टियों की तरफ से कही जाती है वह यह है कि हम तो गरीबों की और खास तौर से किसानों की मदद करना चाहते थे और यह दावा किया जाता है कि हम ने तो कानून बना भी लिया था, बिल ले भी आये थे और हम उन के लिये बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन किसी बड़ी ताकत ने हम को ऐसा करने से रोक दिया।

तो यह चार बातें पिछले तीन साल की हिस्ट्री में लिखी हुई हैं। अब सवाल यह आता है कि अगर यह बात है तो क्या किया जाय ? मैं यह मुनासिब नहीं समझता कि प्रेसीडेंट रूल कायम रखा जाय। कहा जाता है कि इस दौरान में एक डकैती नहीं हुई। अगर आप को यह यकीन है कि इसी में जनता की भलाई है तो आप इस की परवाह न कीजिय कि कौन क्या कहता है, आप अपनी ड्यूटी किये चले जाइये। अगर आप समझते हैं कि इस में जनता की भलाई है तो इसे जारी रखिये। लेकिन यह साफ ह कि यह ठीक नहीं है। आप ने साठ लाख रुपया जनता से वसूल किया। तो वह मोहब्बत से तो नहीं वसूल किया होगा, डंडे के ज़ोर से वसूल किया होगा। लेकिन यह अच्छी बात नहीं ह। तो हम यह नहीं कह सकते कि प्रेसीडेंट रूल रहे। तो क्या पार्टी रूल रहे ? तो क्या इन पार्टियों का रूल हो जिन के बारे में मैं ने आप को यह सब बतलाया ? कौन सी पार्टी का रूल हो ? मैं नहीं समझता कि जितनी भी पार्टियां हैं उन में से कोई भी स्टैबिल तरीके पर गवर्नमेंट चला सकती है। होम मिनिस्टर साहब ने अभी भी यह कहा और पिछली डिबेट के वक्त भी यह कहा था कि मुझे इस से कोई गरज़ नहीं कि कौन सी पार्टी पावर में आती है मुझे तो अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन से गरज़ है। तो मैं देखता हूं कि गवर्नमेंट को भी यही मंजूर है और पार्टी लीडर्स भी यही चाहते हैं कि जनता की भलाई हो। अगर यही बात है तो मैं पूछता हूं कि क्या पार्टी लीडर्स तीन साल के लिए नान-पार्टी रूल कायम करने के लिये रज़ामन्द हैं। वह फैसला करें कि कोई पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा न करे, न कांग्रेस पार्टी, न अकाली पार्टी, न कम्युनिस्ट पार्टी और न यूनाइटेड फ्रंट। मैं कहता हूं कि आप ने एक साल प्रेसीडेंट का रूल बरदाश्त किया। तीन साल के लिए नान पार्टी रूल को भी बरदाश्त कीजिये और अपना कोई केंडीडेट खड़ा न कीजिये। सिर्फ इंडिपेंडेंट लोग खड़े हों। हम ने इस चीज़ को पंचायतों के इलेक्शन में देख लिया है। जब कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार खड़े नहीं किये तो हम ने सोचा कि कौन खड़ा होगा। लेकिन हम ने देखा कि इलेक्शन अच्छा हुआ। इसी तरह आप पैप्सू के अन्दर नानपार्टी इलेक्शन करें और वायदा करें कि हम अपने आदमी खड़े नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि जो हालत इन पार्टियों के वक्त में रही उस से अच्छी हालत रहेगी। आप कहेंगे कि यह एक नया तजरबा होगा। मैं कहता हूं कि आप

२१ सूबों में गवर्नमेंट चला रहे हैं। एक सूबे में दो तीन साल इस को भी चला कर देखिये। इन पार्टियों को इस से अलाहिदा रखा जाय, बल्कि उन को खुद अलग हो जाना चाहिये और यह महसूस करना चाहिये कि हम जनता की सेवा नहीं कर पाये और चूंकि हम ने पार्टी लैबिल्स को खराब किया है इसलिये हम को अलग रहना चाहिये। लेकिन वह कहेंगे कि फिर हम सेवा कैसे कर सकेंगे । तो मैं कहूंगा कि सेवा करने के लिये तो बहुत फील्ड है। अगर आप गरीबों को ज़मीन तक़सीम करवाना चाहते हैं तो क्या आप के पास कोई दूसरा ज़रिया नहीं है। मैं समझता हूं कि पैप्सू में भी ज़मीन तकसीम ही सकती है, बगैर कानून के और बगैर 'कम्पेन्सेशन के। आज विनोबा क्या कर रहे हैं। आज भूमि दान यज्ञ चल रहा ह। २२ लाखें एकड़ ज़मीन तक़सीम होने वाली है। क्या यह लेजिस्लेशन से हुई ? क्या इसे कांग्रेस पार्टी, अकाली पार्टी, यूनाइटेड फ्रंट, कम्युनिस्ट पार्टी ने किया ? यह सब एक नानआफिशियल एजेंसी ने किया। मैं समझता हूं कि अगर वह सचमुच गरीबों का और खास तौर से किसानों का भला चाहते हैं तो वह लोग एक नानपार्टी गवर्नमेंट बनने दें और उसे अपना काम करने दें। और एक मुश्तरका कमेटी बनायें, नान आफिशियल तौर पर लोगों से जमीन लें और तकसीम करें। मैं समझता हूं कि इन हालात में यही बैस्ट रेमेडी है ।

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां): मैं जानता हूं कि यहां किस प्रकार के भाषण हुए हैं। मुझे देख कर आप लोगों के दिल में यह बात आ जाती है कि मैं शिड्यूल्ड कास्ट के बारे में कहूंगा। वह तो सच है। पैप्सू में हम लोगों की हालत इतनी खराब है कि कुछ नहीं कह सकते। थोड़ी सी राड़ेवाला की पार्टी के वक्त में ठीक थी। लेकिन यह जो राव साहब आ गये, तो किसी को मालूम नहीं कहां से आए, प्रेसीडेंट साहब ने भेजा और यह तो आकर वहां इतनी हिटलरशाही कर रहे हैं कि कहा नहीं जा सकता। एक हमारे शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी एम० ए० है और दूसरा एक इंस्पैक्टर है। वह एक प्रोफेसर है, डबल एम० ए० है। वह है, शेर सिंह और बलवन्त सिंह। दूसरे इंस्पैक्टर आफ स्कूल हैं। इन दोनों को अब निकाल रखा है। क्या समझते हैं क्या हो रहा है, कुछ उसकी हद नहीं है। राज्य में हमारे रिप्रैजैंटेशन के बारे में कई रूल्स बने हैं, लेकिन होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, कुछ नहीं होता। हमारे सरदार जी भी बैठे हैं। वह ऐसे रूल बनाते हैं कि हमारे लिये कहीं आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। पबलिक सरविस कमीशन के पास कोई जाता है, वहां पर कहा जाता है, क्वालीफिकेशन होना चाहिये। क्वालीफिकेशन के बारे में यह पहले से रूल ऐसे बनाते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट का कभी कोई अपाइंटमेंट नहीं हो सकता। वे उस में क्वालीफिकेशन ही नहीं रखते, कह देते हैं कि पांच वर्ष का एक्सपीरियेंस होना चाहिये, दस वर्ष का एक्सपीरियेंस होना चाहिये, ३५ साल से ऊपर होना चाहिये। इस तरह से अन्धेर नगरी चौपट राज्य चला हुआ है।

इधर शिड्यूल्ड कास्ट रिप्रैजैंटेशन के लिये यह हालत है। मन्दिर खोलते हैं, होटल खोलते हैं, कहते हैं यह खुले हैं। लेकिन जब पेट में खाने को नहीं मिलता है तब इससे क्या होता है। सरविस नहीं मिलती है और खाने की उन की परिस्थिति खराब है। ज़मीन क़रीब क़रीब नौ लाख एकड़ है, वहां ज़मीन भी वह शिड्यूल्ड कास्ट वालों को नहीं मिलती। बिस्वेदार हैं, राजा है, बी० क्लास स्टेट है। वहां हम लोगों की पोजीशन बहुत खराब है। यह हमारे काटजू साहब और दातार साहब जो हैं, इन का तो सब राज्य करने वाले लोग सैक्रेटरी लोग हैं। किसी भी मिनिस्टर की

[श्री पी० एन० राजभोज]

देखो । सैक्रेटरी राज्य करते हैं । मिनिस्टर लोगों को कहां टाइम है, माफ करना । मेरी काम्युनिटी के ऊपर इतना जुल्म देहात में हो रहा है, मानो हमारा तो बाबर्चीखाना जैसी हालत हो रही है ।

श्री चिनारिया : आप को मालूम है राड़े-वाला के गांव में आप लोगों के साथ क्या हुआ था ?

श्री पी० एन० राजभोज : मैं बताता हूं, आप शान्ति से बैठें । तो मैं यह रिप्रैजैंटेशन के बारे में कह रहा था । यहां पबलिक सरविस कमीशन में हमारा कोई आदमी नहीं है, सब दूसरे ही लोग हैं । कभी कोई बैनर्जी साहब आ जाते हैं तो कभी चटर्जी साहब आ जाते हैं । लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट का कोई आदमी नहीं मिलता । हमारे अन्दर कई क्वालीफाईड लोग हैं, लेकिन पबलिक सरविस कमीशन में नहीं हैं । रिप्रैजैंटेशन का जो स्वाल है वह कानून दस वर्ष के लिये बना है । लेकिन आप के राज्य में, हमारे काटजू साहब बैठे हैं, लेकिन मुझे दुःख लगता है कि वे हमारे होम मिनिस्टर हैं, लेकिन आप के होम मिनिस्ट्री का जो यह एडमिनिस्ट्रेशन है वह इतना खराब है, इतना लूज़ है कि कम से कम इस को तो आप सुधारने की कोशिश करिए ।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह संकल्प के विषय तक ही अपने को सीमित रखें ।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं होम मिनिस्टर से अपील करना चाहता हूं आप के जरिये कि पैप्सू की गवर्नमैंट में जो लोग थे वे भी निकाल दिये गये और निकाले जा रहे हैं । इसलिये मैं इन से अपील करना चाहता हूं कि यह आप के यहां क्या गड़बड़ गुंडागर्दी है । इस के अन्दर क्या बात है मैं नहीं समझता । इसी वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि हमारे ज़मीन के बारे में बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, आर्थिक सवाल हैं । आप का यह भूदान यज्ञ एक खाली शो है, दुनियां को दिखाने के लिये और कांग्रेस वालों का धोखा है । जयप्रकाश नारायण जो बात कहते हैं वह ठीक नहीं है, यह सब एक धोखा है । यह जो आपके बड़े बड़े राजा महाराजा हैं इन का वजीफा आप बन्द कर दें, इन की ज़मीन को ले लें, ज़मीन से आप बंटवारा कानून से कर डालो । यह भूदान क्या हो रहा है ? खाली शो हो रहा है । इस तरह के भूदान से हमारे गरीबों का भला होने वाला है ? इस से तो कांग्रेस वालों को ज़मीन मिल जायगी । चुनाव के वक्त जरूर उन का लाभ होगा, यह बिल्कुल ठीक है ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अभी भी संकल्प पर नहीं बोल रहे हैं । भूदान यज्ञ का इस से कोई सम्बन्ध नहीं ।

श्री पी० एन० राजभोज : मेरी प्रार्थना है कि ज़मीन का बंटवारा गरीबों में होना चाहिये । यह मेरी अपील है । नौ लाख एकड़ ज़मीन है, वह गरीबों को मिलनी चाहिये । नौकरी के बारे में हम लोगों को ठीक ठीक नौकरी मिलनी चाहिये ।

फिर बैकवर्ड क्लास डिपार्टमैंट जो है उस को तोड़ दिया गया है । यह तोड़ना और फोड़ना और मारना आप का काम है । हमारा काम तो रोना है । हम क्या कर सकते हैं । यह हम सब जानते हैं कि बैकवर्ड क्लास की क्या हालत है । और नामधारी साहब बहुत तारीफ करते हैं पंडित जी की । तो क्या हम नहीं जानते हैं ? क्या वह हमारे दुश्मन हैं ? ऐसा कह कर वह बड़े दोस्त बन गये । लेकिन

नेहरू के राजतन्त्र में क्या हो रहा है। यह इस डिपार्टमैंट को तोड़ना क्या है। यह राव साहब का तोड़ने का क्या मतलब है। यह बड़े बड़े अफसर जो हैं, सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में जो यह आई० सी० एस० हैं, यह लोग ही राज कर रहे हैं। और दूसरे जो स्टेनोग्राफर हैं, पी० ए० हैं उन की तरफ से राज्य चलाना यह क्या है। यह ठीक नहीं है। आप मुझे यह कहने के लिय माफ़ करेंगे। यह बड़ा अन्धाधुन्ध हिसाब हो रहा है।

फिर पैप्सू में भी वही हालत है जो और जगह है। इसलिये मेरी प्रार्थना है आप के जरिये से कि गम्भीर दृष्टि से इस सवाल पर विचार करना चाहिये। ज़मीन, नौकरी, रिजर्वेशन और जो हम लोगों का बैकवर्ड क्लास का बोर्ड रखा था उस पर ठीक से ध्यान देना चाहिये। वह बोर्ड का क्या कर दिया है। यह सब नौकरशाही, बिस्वेदारी, राजाशाही और जमींदारी का जो राज्य है इसको खत्म कर देना चाहिये। यह क्या कायम कर रखा है? यह तो भांडशाही का राज्य है! इसलिये हम कहते हैं कि यह पेप्सू में नहीं होना चाहिये।

आज, सभापति महोदय, आप की तरफ से मेरी यही प्रार्थना है कि हम लोगों को एजूकेशन के बारे में ज्यादा सहूलियतें मिलनी चाहियें। ज़मीन क्यों नहीं हम लोगों में बांट रहे हैं? हमारी ताकत बहुत कम हो गई है। इसलिय हमारा बोझ बढ़ रहा है। आज वहां पैप्सू में कांग्रेस का राज्य है, प्रैसीडैंट का राज्य है। इस को आप क्यों रखते हैं। वहां लोकशाही कहां है, डिमाक्रैसी कहां है? पैप्सू में पहले एक मिनिस्टर हमारा शिड्यूल्ड कास्ट का बन गया। लेकिन उस को तोड़ दिया गया। किसी न किसी ढंग से यह क्या हो रहा है? क्या यह लोकशाही है? मेरी आप से प्रार्थना है कि इलैक्शन छः महीने के लिये क्यों टाल रहे हैं? आप इन को जल्दी क्यों नहीं करते हैं? जब आप डिमाक्रेसी कहतें है तो डिमाक्रेसी के लिये इलैक्शन जल्दी करना चाहिये और जो माइनारिटी के लोग हैं उन पर ऐतबार करना चाहिये।

एक दूसरी प्रार्थना सभापति जी मेरी यह है कि मैं ने सुना है कि लुभाना एक पैप्सू में काम्युनिटी है। वह तो बड़े पैसे वाले हैं। उन को भी बैकवर्ड क्लास में डाल दिया है। यह क्या बावर्चीखाना है। उस में जो सच्चे गरीब हैं, उन को रखना चाहिये। इस के अन्दर क्या बात है। जो मज़हबी सिक्ख हैं और दूसरे सिक्ख हैं वह रहें लेकिन वह गरीब होने चाहियें।

सरदार ए० स० सहगल (बिलासपुर): शायद आप को नहीं मालूम कि लुभाना सिक्ख जो हैं वह आप के दक्षिण में हैं वह शिड्यूल्ड कास्ट के हैं।

श्री पी० एन० राजभोज: आप भी तो दाढ़ी वाले सिक्ख हैं। आज इसके अन्दर उनको लुभाना को जो रखा है तो यह तो बड़े पैसे वाले लोग हैं। इन को नहीं रखना चाहिये। यह तो इन को रख कर इस तरह कांग्रेस वाले मजे करते हैं। सभापति जी, मैं कहता हूं कि यह जो अन्याय हो रहा है यह नहीं होना चाहिये। मैं किसी के खिलाफ नहीं कहता। लेकिन हमारे जो सच्चे शिड्यूल्ड कास्ट के हों, उन को ही उस में रखना चाहिये। यह लुभाना तो बड़े पैसे वाले हैं, अमीर हैं। बड़े लोगों को शिड्यूल्ड कास्ट में शामिल करना ठीक नहीं है। हम नहीं चाहते कि शिड्यूल्ड कास्ट हम हमेशा के लिये रहें। लेकिन जब तक हमारी आर्थिक परिस्थिति खराब है, हम को जब तक बराबरी का दरजा देश में नहीं मिलता, जब तक हमारा सवाल देश में ठीक तरह हल नहीं होता, तब तक हम इस विषय को जरूर रखना चाहते हैं। आज कई प्रकार का अन्याय शिड्यूल्ड कास्ट के साथ हो रहा है। देहातों में जुल्म और अत्याचार की शिकायत है।

[श्री पी० एन० राजभोज]

इसलिये इसको दूर करने के लिये कोशिश करना चाहिये फिर बड़ी बड़ी बातें करनी चाहियें। तब साउथ अफ्रीका के बारे में बड़ी बातें करनी चाहियें। पंडित नेहरू को तो साउथ अफ्रीका, कोरिया और कश्मीर के लिये बड़ी बड़ी बातें करने को टाइम है, लेकिन पैप्सू में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, यह कुछ नहीं मालूम। पंजाब में जाइये, भोपाल में जाइये, राजपूताना में जाइये और देखिये कि वहां शिड्यूल्ड कास्ट के साथ क्या जुल्म हो रहा है। मुझे दुःख है, सभापति महोदय, कि साउथ अफ्रीका और बड़ी लम्बी चौड़ी बातें वहां की करना और कम से कम जो अपने घर के अछूत लोग हैं, गिरे हुए भाई हैं, उन को आगे बढ़ाने के लिये कोशिश न करना यह ठीक नहीं है। पहले इस के करने की जरूरत है। उन को आगे बढ़ाना चाहिये।

इसलिये हाउस से आप के द्वारा मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि देश में जो यह गुलामी हम लोगों की है, यह दूर होनी चाहिये। हम लोगों को हमारे अधिकार अभी तक नहीं मिले हैं। जब तक यह अधिकार नहीं मिलते और हमारी गुलामी नहीं जाती है तब तक हालत ठीक नहीं होगी। वैसे हमारे हाथ में अधिकार कभी न कभी तो आवेगा ही, तब फिर हम हालत ठीक करेंगे। इसलिये यह एक गम्भीर दृष्टि से विचार करने का सवाल है, हंसने का नहीं है। इसलिये हम को सपोर्ट करना और सब दृष्टि से हम लोगों की सहायता करना, यह आप का काम है यही मेरी प्रार्थना है।

इसके पश्चात् सदन की बैठक चार बजे तक के लिये स्थगित हुई।

सदन की बैठक चार बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

मछली उद्योग पर अनुसन्धान तथा उनका विकास

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन मछली उद्योग पर अनुसन्धान तथा उसके विकास पर चर्चा करेगा। श्री नायर को बोलने के लिये कहने से पूर्व मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री को उत्तर देने में कितना समय लगेगा।

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : मुझे बीस मिनट लगेंगे और यदि आप ऐसा चाहते हों तो केवल दस मिनट ही।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिये पन्दरह मिनिट ठीक हैं। श्री नायर के अतिरिक्त सूची में श्री अच्युतन, श्री ए० एम० टामस, श्री पुन्नूस और श्री जोकीम आल्वा के नाम हैं।

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल): जिन बातों के आधार पर मैं अपनी चर्चा जारी रखना चाहता हूं वे ये हैं :

(१) मछली उद्योग के उचित तरीकों के आधार पर विकास करने की आवश्यकता ;

(२) इसमें देरी करने से हानि ;

(३) इस समस्या को हल करने में सरकार द्वारा वैज्ञानिक तरीकों से काम न लेना ;

(४) नौर्वेजियन सहायता के मामले में गलत तरीके से काम लिया गया ;

(५) मछली पकड़ने में सहायता देने के मामले में भारतीय नौ सेना द्वारा पर्याप्त सहयोग न दिया जाना।

मेरी राय में इन सब कठिनाइयों का आधार वैज्ञानिक तरीकों से काम न लेना ही है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि चर्चा के दौरान में माननीय सदस्य सरकारी गैलरी में अधिकारियों से बातें न करें, जैसा कि कुछ सदस्य कर रहे हैं। मन्त्रिगण तो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उन्हें अधिकारियों से सूचना लेनी पड़ती है और उनसे परामर्श लेना पड़ता है।

श्री वी० पी० नायर : योजना आयोग ने अपनी रिपोर्ट में मछली उद्योग के मामले में इन प्राथमिकताओं के दिये जाने के लिये लिखा है :

(१) देशी नावों का मशीन से चलाया जाना अथवा ऐसी नावें चलाना जो नई मशीनों से चलती हों ;

(२) बन्दरगाह सम्बन्धी सुविधायें ;

(३) मछली पकड़ने वालों को उनकी जरूरतों की चीजें देना ;

(४) मछलियों को बाजार में बेचने की अच्छी व्यवस्था करना ;

(५) बर्फ में तथा ठण्डी जगहों में इनके रखने तथा यातायात सम्बन्धी सुविधायों की व्यवस्था करना ;

(६) मदरशिप आपरेशन्स आरम्भ करना ; तथा

(७) समुद्र के किनारे से दूर मछली पकड़ने के लिये ज्यादा पावर वाले पर्स–सेनर्स और ट्रालर्स जैसी नावों की व्यवस्था करना ।

मेरी राय में इन बातों की व्यवस्था करने से ही समस्या हल नहीं हो जायेगी क्योंकि इस उद्योग के विस्तृत ज्ञान के बिना और इस में लगे लोगों की सामाजिक–आर्थिक दशा को जाने बिना कुछ भी करना सम्भव नहीं । गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बारे में हम क्या बातें जानते हैं ? हमारे समुद्र के एक दसवें भाग में ही मछली पकड़ी जाती है । हमारे मछुए समुद्र के उन भागों में नहीं जा सकते जहां अधिक मछली मिलती है । वे केवल सात या आठ मील तक ही अपनी नावें चला सकते हैं और नाव खेने में ही उसकी शक्ति खत्म हो जाती है और फिर मछली पकड़ने के लिये उनकी कम शक्ति रह जाती है । इस समय ऐसी योजना से तथा मछली पकड़ने के लिये ट्रालरों से काम लेने से ही लाभ नहीं होगा ।

योजना आयोग ने मछुओं की दशा के बारे में कुछ नहीं कहा । भारत में मछुए बहुत पिछड़ी दशा में हैं । इनके पास अपनी नावें भी नहीं होतीं, ये दूसरों से नावें लेते हैं और उसके लिये पकड़ी गई मछली में आधा हिस्सा देते हैं । मछुओं के पास जाल भी अपने नहीं होते । दक्षिण में अधिकांश मछुए ईसाई हैं और इन्हें पकड़ी गई मछली का एक–आठवां या एक–छटा हिस्सा गिरजाघरों को देना पड़ता है ।

समुद्र तट पर जहां मछुए रहते हैं वहां स्वच्छता और सफाई भी नहीं होती । यदि ऐसी दशा में मछुए रहेंगे तो इस उद्योग का विकास होना असम्भव है । मैं चाहता हूं कि डा० देशमुख मछुओं की इन जगहों को देखें और इस बात को भी देखें कि किस प्रकार बीच के लोग मछुओं को लूटते हैं ।

जब योजना आयोग की रिपोर्ट तैयार की जा रही थी तो सरकार और योजना आयोग ने इस मामले में उचित दृष्टिकोण से काम नहीं लिया था । गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के प्रयत्न हम कई बार कर चुके हैं । किन्तु जब तक हम इस सम्बन्ध में टैक्निकल बातों को मालूम नहीं कर लेते और वैज्ञानिक तरीकों से काम नहीं लेते तब तक इसमें सफलता नहीं मिलेगी । श्री किदवई ने बताया था कि मछली पकड़ने के मामले में कमी होती गई है और इस कमी का कारण उन्होंने यह बताया था कि मलाबार तट पर कम मछली पकड़े जाने से ऐसा हुआ । यह भारत के लिये एक महत्वपूर्ण समस्या है । केराला के लिये इसका विशेष महत्व है क्योंकि भारत में

[श्री वी० पी० नायर]

सब से अधिक मछली वहीं खाई जाती है। इसका ऐक्य केरल की अर्थ-व्यवस्था पर महत्व-पूर्ण प्रभाव पड़ेगा। यदि सरकार इस दिशा में उचित कार्य नहीं करेगी तो यह उद्योग नष्ट हो जायगा।

मछली पकड़ने का एक विशेष स्थान है जो "वेज बैंक" कहलाता है। डा० मालयास के अनुसार वेज बैंक भारतीय जल सीमा से बाहर कुमारी अन्तरीप के किनारे मानामाद और क्विलोन के बीच में है। इसका क्षेत्रफल लगभग ४,००० वर्ग मील है। सरकार ने इस हिस्से में से मछली पकड़ने के लिये कोई कार्य नहीं किया। माननीय मंत्री को मालूम है कि हमारे मछुए पुराने ढंग के औजारों से मछली पकड़ते हैं। वेज बैंक जैसे बड़ क्षेत्र से अभी तक मछली नहीं पकड़ी गई है जब कि वहां से सब से अच्छी किस्म की मछली बहुतायत में पकड़ी जा सकती है। यह खेदजनक बात है।

वहां पर एक तरफ़ ठण्डी धारा है और दूसरी तरफ़ गर्म धारा है और इसलिये यहां पर मछली बहुत अधिक पैदा हो सकती है। जिस तरह से हम अभी तक मछली पकड़ते हैं यदि उन्हीं पुराने तरीकों से ही वेज बैंक में से मछली पकड़ी जाय तो प्रति वर्ष बीस लाख टन मछली पकड़ी जा सकती है। यदि वहां विज्ञानिक तरीकों से मछली पकड़ी जाय तो बहुत अधिक पकड़ी जा सकती है। मैं डा० देशमुख से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इस मामले में क्या किया है।

'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन पर करोड़ों रुपये व्यय किये गय, किन्तु मछली उद्योग पर कितना धन व्यय किया गया ? क्या हमारी खाद्य समस्या को सुलझाने में इसका कोई महत्व नहीं ? हमारे समुद्र में दूर के स्थानों में अमरीकी, जापानी तथा अन्य देश वासी आकर मछली पकड़ते हैं हमें वहां मछली पकड़ने के अपने अधिकार सुरक्षित रखने चाहियें।

अब में मछली पकड़ने के मामले में नौसेना के सहयोग के प्रश्न को लेता हूं। कुछ दिन पूर्व सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया ने कहा था नौ सेना द्वारा नौसैनिक कार्यों में समुद्री जीव शास्त्र वेत्ताओं को ले जाना जन हित में न होगा। किन्तु ऐसा क्यों है ? ब्रिटिश नौसेना वहां के मछली उद्योग के आधार पर ही इतनी बड़ी बनी। फिर हमारी नौ-सेना ऐसा क्यों नहीं कर सकती ? आन्ध्र विश्व विद्यालय की ओर से एक समुद्र शास्त्र वेत्ता वाल्टेयर में काम कर रहा है। यह बताया गया था कि उनके द्वारा इकट्ठे किये गये आंकड़े दूसरे लोगों को नहीं बताये जा सकते। मुझे आश्चर्य होता है कि वाल्टेयर विश्वविद्यालय के इस प्रोफेसर द्वारा इकट्ठे किये गये आंकड़े मछली विभाग को क्यों नहीं बताये जाते। यह प्रोफेसर बहुत समय तक अमरीका की नौसेना से सम्बद्ध था। इसके ज्ञान से अमरीका तो फायदा उठा रहा है किन्तु उपरक्षा मंत्री कहते हैं कि हम उन बातों को नहीं बता सकते। जब तक हमारी नौसेना मछली विभाग के साथ सहयोग नहीं करेगी और इस सम्बन्ध की सभी जानकारी इकट्ठा नहीं करेगी तब तक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। जब तक हमारे पास चीज़ों को ठण्डा रखने के प्लाट्स नहीं होंगे और जब तक यातायात की आवश्यक सुविधायें नहीं होंगी, हमारा मछली उद्योग विकास नहीं कर सकता। रेलों में बर्फ के डिब्बे (आइस वान) न होने के कारण त्रावनकोर-कोचीन तथा मलाबार से लोग मछली दूसरे स्थानों को नहीं भेज सकते।

सूखी मछली भी हमेशा नहीं भेजी जा सकती ऐसी बातों के होते हुए गहरे समुद्र में से मछली पकड़ने का प्रश्न कैसे उठ सकता है ।

किसी भारतीय उद्योगपति ने इस उद्योग की ओर ध्यान नहीं दिया । यह कठिन समस्या है । सरकार के विशेष प्रबन्ध के अन्तर्गत भी इसे सफलता नहीं मिली । यदि हम गहरे समुद्र में से मछली पकड़ना चाहते हैं तो हमें यह देखना चाहिये समुद्र की तह किस प्रकार की है और तभी हम वहां ट्रालर आदि भेज सकते हैं ।

बंगाल में भी मछली उद्योग के मामले में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है । मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि इस मामले के सम्बन्ध में पंचवर्षीय योजना में जो दिया हुआ है उसे छोड़ कर हम इस मामले पर नये सिरे से विचार करें । क्योंकि हमारे मछली पकड़ने के काम में लगातार कमी होती जा रही है । जिन जगहों में मछली बहुतायत से मिलती है और जहां मछली पकड़ी नहीं जाती है वहां से मछली पकड़ने से ही इसमें विकास हो सकता है । वेज बैंक जैसे स्थानों से २० लाख टन मछली पकड़ी जा सकती है । किन्तु भारत सरकार ने नये स्थानों का पता लगाने के बारे में किसी विशेषज्ञ को वहां नहीं भेजा । पीड्रो बैंक में भी मछली बहुतायत से मिल सकती है । वहां से भी मछली नहीं पकड़ी जाती । लंका सरकार वहां पर इस सम्बन्ध में कुछ कर रही है । किन्तु इस सम्बन्ध में हमारी सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं करती । संविधान के अनुसार इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कार्य करना चाहिये और उसे त्रावनकोर-कोचीन, बंगाल तथा बम्बई सरकारों से इस उद्योग की योजनाओं के चलाने के लिये कह कर ही सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिये । इसका उत्तरदायित्व तो केन्द्रीय सरकार को अपने ऊपर ही लेना पड़ेगा और ऐसा न करने से सरकार खाद्य स्थिति को सुधारने के मामले में अपने कर्त्तव्य की अवहेलना करेगी ।

अब मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि साल में तीन चार महीने ये मछुए खाली रहते हैं । सरकार उन्हें उस समय में कोई सहायता नहीं देती जिसका परिणाम यह होता है कि वे ऋणग्रस्त हो जाता है । इस उद्योग को सफल बनाने के लिये यह आवश्यक है कि इन मछुओं की दशा सुधारी जाय ।

नोर्वेजियन सहायता के बारे में मुझे यह कहना है कि इससे त्रावनकोर-कोचीन में मछुओं की हालत कैसे सुधर सकती है । गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिये चाहे कोई भी योजना क्यों न हो, जब तक हमारे पास प्रत्येक प्रकार की पूर्ण जानकारी न हो वह सफल नहीं हो सकती ।

अन्त में मैं यह आशा करता हूं कि सरकार मछली उद्योग की वर्तमान दुर्दशा को सुधारने के लिये कोई कसर बाकी न रखेगी ।

श्री ए० एम० टामस : त्रावनकोर-कोचीन राज्य में मछली उद्योग का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है । मैं श्री वी० पी० नायर की इस बात से सहमत नहीं हूं कि पंचवर्षीय योजना में से मछली उद्योग सम्बन्धी उपबन्ध हटा दिया जाय । मेरा निवेदन तो यह है कि उस पर अमल किया जाय । जहां तक मैं समझता हूं कि संसार में मछली पकड़ने की दृष्टि से त्रावनकोर-कोचीन का तट सब से अच्छी जगह है । जिन लोगों ने यह सहायता दी है अर्थात्--नोर्वे-निवासियों की यह राय है कि केरला का तट इस प्रयोजन के लिये संसार में सब से अच्छा है ।

मेरा ख्याल यही है कि चाहे वैज्ञानिक पहलू ही हो—उसके विस्तार में मैं नहीं पड़ना

[श्री ए० एम० टामस]

चाहता--त्रावनकोर-कोचीन के तटीय क्षेत्रों में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की बहुत गुंजाइश है और राज्य सरकार इस उद्योग के विकास में काफ़ी दिलचस्पी ले रही है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने कई मामलों में केन्द्रीय सरकार से कुछ सहायता भी मांगी है परन्तु केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में की गई किसी भी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया। यह बड़े खेद की बात है।

यह एक सर्वविदित बात है कि केराला के तटीय क्षेत्रों में बेरोज़गारी बहुत है इसलिये वहां जो कुछ भी सहायता दी जायेगी वह बेकार नहीं जायगी। भारत में मछली की खपत का औसत बहुत कम है इसलिये यहां इस उद्योग के विकास की काफ़ी सम्भावना है।

श्री नायर ने नोर्वेजियन सहायता के बारे में जो कुछ कहा है मैं उससे सहमत नहीं हूं। नोर्वे वासी जो सहायता दे रहे हैं वह अमरीका द्वारा दी जाने वाली सहायता से भिन्न है। नोर्वे यह नहीं चाहता कि मछली पकड़ने के औज़ार आदि भी नोर्वे से ही यहां मंगाये जायें। नोर्वे से जो विशेषज्ञ वहां आये उन्हें रेज़ीडेन्सी में रहने के लिये जगह दी गई किन्तु उन्हों ने कहा कि वे मछुओं के साथ रहकर ही काम करना चाहते हैं और वे उन्हें बतायेंगे कि इस उद्योग का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। मुझे खेद है कि श्री नायर ने नोर्वे वासियों के विषय में कुछ ऐसी बातें कहीं जो अनुचित हैं।

श्री नायर ने एक यह आक्षेप भी किया कि त्रावनकोर-कोचीन में मछुओं को गिरजाघरों को अपनी पकड़ी मछली में से कुछ हिस्सा देना पड़ता है। किन्तु मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी। वहां लोगों में अन्धविश्वास है और इस कारण वहां ऐसा कुछ मछली पकड़ने से पूर्व किया जाता है।

श्री वी० पी० नायर : वास्तविकता यह है कि वहां गांवों में साल भर में जितनी मछली पकड़ी जाती है उसका पहिले से अनुमान लगा लिया जाता है और उसी हिसाब से यह दी जाती है। मैं समझता हूं कि श्री टामस ने उस क्षेत्र के गांव नहीं देखे हैं।

श्री ए० एम० टामस : मैं यह मना नहीं करता कि बीच के लोग इन मछुओं की दरिद्रावस्था का फायदा नहीं उठाते। किन्तु गिरजाघरों के बारे में ऐसा कहना उचित नहीं है। अन्त में मैं आशा करता हूं कि माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री इस उद्योग की ओर अधिक ध्यान देंगे।

श्री अच्युतन् (त्रिचिनापल्ली) : मछली न केवल भारत में ही अपितु पूरे विश्व में खाई जाती है। इसमें बहुत से पोषक तत्व होते हैं। पंचवर्षीय योजना में भी मछली उद्योग को बहुत महत्व दिया गया है। श्री वी० पी० नायर ने इस मामले में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के कर्त्तव्य के बारे में बताया। बम्बई, पश्चिमी बंगाल तथा त्रावनकोर-कोचीन सरकार इस सम्बन्ध में अच्छा कार्य कर रही हैं। त्रावनकोर-कोचीन राज्य मछली उद्योग के विकास तथा मछुओं की दशा सुधारने के मामले में काफ़ी ध्यान दे रहा है। नारक्कल में अब भी मछलियां पाली जाती हैं तथा उनको नमक लगा कर रखा जाता है और वह राज्य सरकार इस काम के लिये पैसा खर्च कर रही है।

अब मुझे गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के बारे में कहना है। मछली उद्योग पर अनुसन्धान करने के मामले में केन्द्रीय सरकार को बहुत कुछ करना है। मुझे

नहीं मालूम कि बैरकपुर, मंडापम तथा बम्बई में किये जाने वाले अनुसन्धान में क्या प्रगति हुई है । हम यह जानना चाहते हैं कि गहरे समुद्र में से मछली पकड़ने के बारे में हमें कितनी सफलता मिली है । जब तक कि मछलियों को ठण्डे रखने की मशीनों में रखने की व्यवस्था नहीं होगी और मछलियों को अन्य स्थानों में ले जाने की सुविधायें नहीं होंगी तब तक मछुओं को अपनी मछली के उचित दाम नहीं मिलेंगे और ये मछलियां सड़ती रहेंगी और उन्हें खाद के रूप में प्रयुक्त किया जायगा ।

मुझे मालूम नहीं कि केन्द्रीय सरकार ने मछली के तेल तथा मछली के खाद जैसे उपोत्पादों की ओर ध्यान दिया है या नहीं । हम यह जानना चाहते हैं कि इन उद्योगों के मामले में हमने कितनी प्रगति की है । इसका खाद भी बहुत अच्छा होता है । यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका सम्बन्ध मछुओं की आर्थिक दशा से है । मैं चाहता हूं कि सरकार हमें यह बताये कि इस मामले में कितनी प्रगति की गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पुन्नूस ।

श्री पुन्नूस : मछली विभिन्न प्रकार की होती है, और उन में एक ब्राह्मण मछली भी होती है । योजना में मत्स्य-पालन के लिये ४·६८ करोड़ रुपये की रकम निश्चित की गई है । परन्तु जो अवस्था एक योजना की होती है, वही बात इस के बारे में भी होगी । योजन के अन्दर धीवरों के जीवन-स्तर, जीवन-पद्धति और उन के काम की अवस्था तथा उन के निकास आदि के लिये बिल्कुल विचार नहीं किया गया है ।

२५ वर्ष पहले त्रावनकोर-कोचीन राज्य में मत्स्य पालन विभाग था और अब स्वतंत्रता प्राप्त किये छः वर्ष हो चुके परन्तु केन्द्रीय सरकार के मार्ग दर्शन के होते हुए भी इस उद्योग में प्रगति नहीं हुई । वहां पर पश्चिमी तटीय मत्स्य-पालन-कम्पनी प्रारम्भ की गई थी और सरकार ने इस पर लाखों रुपये खर्च किये थे । एक जहाज खरीदा गया था, और अब यह बेकार पड़ा है क्योंकि आप इस में मछली को सुरक्षित रखने के लिये रैफरीजरेटर चाहते हैं । उस मशीन में साठ टन बरफ तैयार की जा सकती है और छः लाख टन मछली रखी जा सकती है । परन्तु यदि इस जहाज की मरम्मत नहीं करवाई जाती और यदि नए जहाज भी नहीं खरीदे जाते, तो यह उद्योग प्रगति नहीं कर सकता ।

केरेला क्षेत्र में शार्क मछली बहुत मिलती है जिस से शार्क लिविर आयल बनता है, जो काड लिविर आयल से अधिक उत्तम है । हम प्रति वर्ष काड लिविर आयल के आयात के लिये रुपया खर्च करते हैं क्योंकि हम इसे शार्क आयल से उत्तम समझते हैं, जो कि गलत धारणा है ; परन्तु केरेला और बंगाल का जहां कि यह उद्योग विकसित है, विचार नहीं किया जाता और न ही इस उद्योग में लगे हुए लोगों के हितों का विचार किया जाता है । यही कारण है कि उत्पादन कम होता जा रहा है । नार्वे की सहायता के सम्बन्ध में भी वैसा ही होगा जैसा पीछे होता रहा है । उन के पास जहाज हैं । क्या इस से धीवरों की सहायता होगी, और क्या धीवरों में बेकारी फैलेगी ? यह प्रश्न है । इन धीवरों को ही प्रशिक्षण देना चाहिए और इस उद्योग में लगे हुए नवयुवकों को प्रशिक्षण दे कर योजना को विकसित करना चाहिए, ताकि केरेला इस क्षेत्र में अपना उचित स्थान बना सके ।

एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि अकेला केरेला ही नदियों और झीलों के ताजे जल से मछली की आवश्यकता को पूरा कर सकता है । इस ढंग से समद्र की मछली को

[श्री पुन्नूस]

बाहर भेज कर धन कमाया जा सकता है, परन्तु इस के लिये इन क्षेत्रों में मछली पालने की कार्यवाइयां करने की आवश्यकता है। बेपरवाई और अवैज्ञानिक ढंग से मछली पकड़ने के कारण ताजा जल की मछलियां कम हो गई हैं। अतः इन सब बातों पर बुद्धिमत्ता से विचार करना चाहिये और अब भी इस के लिए स्पष्ट और प्रभावशाली योजना बनाई जा सकती है।

श्री जोकीम आल्वा : हमारा तट ३००० मील का है, और संसार में सब से बड़ा है और वहां पर इतनी मछलियां मिल सकती हैं, कि देश की आवश्यकता को पूरा करने के पश्चात उन को बाहर भेज कर धन कमाया जा सकता है। ये मछलियां गुण-प्रकार और उपयोग की दृष्टि से सकैण्डेवानिया और जापान की मछली से उत्तम हैं। सकैण्डे-वानिया और जापान में लोग उत्तम यंत्रों की सहायता से मछलियां पकड़ कर समस्त यूरोप और एशिया के इस भाग में भेजते हैं। कोचीन में पिछले वर्ष ३८२५ टन प्रा: मछली पकड़ी गई और विदेशों में भेजी गई जिस से ८५ लाख रुपया कमाया गया। यह अच्छा अवसर है कि सरकार ने इस की आवश्यकता को अनुभव कर के विद्यार्थियों को इस दिशा में अनुसन्धान करने में लगाया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि २० प्रान मछली का मूल्य ३ रुपये है, जब कि तट पर अधिक से अधिक दो या चार आने होता है। हम ने पिछले वर्षों में लाखों टन मछली विदेश से मंगवाई है। ऐसा क्यों होता है ? ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे विशेषज्ञ सोये पड़े हैं और इतने विशाल तट पर प्राप्त मछलियों का पता नहीं लगाते। अमेरिकन तथा विदेशी लोग तीन मील गहरे पानी से असंख्य मछलियां पकड़ते हैं। हमारे अपने देश में स्वाभाविक धीवर बहुत हैं, परन्तु उन को जहाज चलाना नहीं आता। शिवरात्रि या दीपावली के पश्चात वे गहरे समुद्र में उतर कर समस्त देश की आवश्यकता को पूरा करने योग्य मछलियां पकड़ते हैं। हमारे देश में अन्न की कमी है और मछली करोड़ों लोगों की मुख्य खुराक है। हम इस बात में संतोष मान बैठे हैं कि हम ने मण्डपाम में केन्द्रीय मत्स्य पालन-अनुसन्धान केन्द्र स्थापित कर रखा है, जो संसार में सब से बड़ा केन्द्र है। यह ठीक है, परन्तु हमें इस के अतिरिक्त भी समुद्रतट के साथ साथ और भी कई अनुसन्धान केन्द्र स्थापित करने चाहियें, अर्थात् मलाबार, कनेरा, सौराष्ट्र, करवार आदि में, जहां कि धीवरों की संख्या बहुत है, हमारे धीवर प्रशिक्षित नहीं हैं उन को रैफरीजरेटर, ट्रालरज, किश्तियां, जाल तथा और आवश्यक यंत्र दिये जाने चाहियें। उन के सहयोग समाज बनाये जायं, और इस विशाल उद्योग को स्थापित किया जाय।

हम लाखों रुपये का मछली का तेल मंगवाते हैं, जो कि छाती की बीमारियों और बच्चों के लिये उपयोगी है। बम्बई सरकार ने शार्क लिवर आयल बनाने का कारखाना स्थापित किया है। हम इस उद्योग को विकसित क्यों नहीं करते ? विटामिन और अधिक पौष्टिक तत्व वाले तेल को बनाने के लिये कारखाने स्थापित किये जाने चाहियें। हमें धीवरों की सहायता करने के साथ साथ यह भी देखना चाहिए कि तेल केवल आवश्यकता की पूर्ति के लिये ही नहीं, अपितु निर्यात व्यापार के लिये भी तैयार किया जाता है। इस प्रकार हम बहुत धन कमा सकते हैं, और वह धन धीवरों की सहायता में लगाया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि क्लैम, आयस्टर और स्क्विड आदि छोटी मछलियां भी होती हैं, जो संख्या में बहुत अधिक होती हैं। ये धनी

लोगों की मनचाही खुराक होती हैं। भारत सरकार को चाहिये कि इन मछलियों को पकड़ने और पालने का भी प्रयत्न किया जाय। हमें अपने वर्तमान अनुसन्धान केन्द्रों से ही संतुष्ट नहीं होना चाहिये, अपितु हमें अन्य स्थानों पर भी ऐसे केन्द्र स्थापित करने चाहियें, ताकि हम न केवल गुण-प्रकार में अपितु स्केन्डेनेविया और जापान आदि देशों की तरह मात्रा में भी अधिक मछलियां पकड़ कर अपने देश की आवश्यकता को पूरा करने के साथ साथ निर्यात-व्यापार द्वारा अतुल धन भी कमा सकें। इस प्रकार हमारा यह उद्योग पूर्ण विकसित हो कर देश की उन्नति में सहायक होगा।

डा० पी० एस० देशमुख : माननीय सदस्यों ने जो बातें उठाई हैं उन का उत्तर देने से पहले मैं यहां पर सरकारी स्थिति को रख देना चाहता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने यह स्वीकार कर लिया है कि मछली पालने तथा पकड़ने आदि की देखभाल करना केवल भारत सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि राज्य सरकारों की भी है। केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी तो केवल समुद्र में मछली पकड़ने तथा अनुसंधान कराने के सम्बन्ध में है।

जहां तक इन दो विषयों का सम्बन्ध है हम ने अपनी कोशिशें बढ़ा दी हैं। वर्ष १९४६ से ही हम ने इस ओर अधिक ध्यान देना आरम्भ किया है। मेरे माननीय सदस्य ने जो आंकड़े दिये हैं वे करीब करीब ठीक ही हैं क्यों कि वे मैं ने ही दिये थे।

परन्तु हो सकता है उस से ग़लत धारणा बन जाये। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि वर्ष प्रति वर्ष कुल पकड़ी गई मछलियों का वज़न घटता जा रहा है। परन्तु हम केवल इतनी ही मछलियां नहीं पकड़ते। कुछ ऐसी भी मछलियां हैं जिन को पकड़ते ही खा लिया जाता है। ये आंकड़े उन मछलियों के सम्बन्ध में हैं जो बाज़ार में लाई जाती हैं। इस का यह अर्थ नहीं है कि जितनी मछलियां पकड़ी जाती हैं उन सब का लेखा रहता है। औसतन प्रति व्यक्ति के पीछे चार पाउन्ड मछली रखने से भी ठीक स्थिति का ज्ञान नहीं हो सकता है। क्यों कि बहुत से ऐसे भी व्यक्ति हैं जो मछली नहीं खाते या खाते भी हैं तो कभी कभी।

श्री बी० पी० नायर : ६० प्रतिशत लोग मछली खाते हैं।

डा० पी० एस० देशमुख : इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि अभी मछलियों के पकड़ने तथा उन का विकास करने के सम्बन्ध में बहुत कुछ करना है, फिर भी, मैं चाहता हूं कि इन आंकड़ों से जो ग़लत धारणा बन गई हो वह दूर हो जाये। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, उस ने राज्य सरकारों की काफी सहायता की है। अधिक अनाज उपजाओं योजना के अन्तर्गत हम ने अब तक राज्य सरकारों को एक करोड़ रुपया दिया है। हम उन के अधिकारियों को भी प्रशिक्षित करते हैं जिन की संख्या १३० होती है। हम बहुत से लोगों को टेकनिकल ट्रेनिंग देते हैं। नार्वेजियन समझौते की बुराई करने के अलावा मुझे खुशी है कि कम से कम उन्हों ने मछली उद्योग की कठिनाई को भी अनेक बार दोहराया है। परन्तु इस सम्बन्ध में काफ़ी अध्ययन तथा अनुसन्धान करने की आवश्यकता है। जिन क्षेत्रों में हमें मछली पकड़ना है उन की भी जांच-पड़ताल होनी चाहिये। हाल ही में मैं ने यह जानने की कोशिश की थी कि वर्ष १९४६ से बम्बई मछली केन्द्र में कितना रुपया खर्च हुआ है। पता लगा है कि खर्च तो ५० लाख रुपये हुए हैं और आय केवल ५ लाख रुपये की हुई है। जब मैंने इसका कारण जानना चाहा तो मुझे बतलाया गया कि अभी इस सम्बन्ध में बहुत

[डा० पी० एस० देशमुख]

कुछ किया जाना है। मुझे प्रसन्नता है कि श्री नायर ने भी इस बात को स्वीकार किया है। आप चाहें कि नाव लेकर समुद्र में चले जायें और मछली पकड़ लायें तो यह कैसे हो सकता है। आप को पहले उस स्थान के सम्बन्ध में आंकड़े जमा करने पड़ेंगे, उस स्थान का अध्ययन करना होगा और तब कहीं आप को सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाये तो मैं कहूंगा कि बम्बई केन्द्र पर जो रुपया खर्च किया गया है वह बेकार नहीं गया है। अन्य केन्द्रों में भी अनुसन्धान कार्य हो रहा है तथा मुझे विश्वास है कि जब हमें इन के आंकड़े प्राप्त हो जायेंगे तो हमें अधिक सफलता मिल सकेगी।

मेरे मित्र ने योजना आयोग का निर्देश किया है तथा उस की सिफारिशों को असंतोषजनक बतलाया है। मुझे प्रसन्नता है कि श्री टामस ने यह बतला दिया है कि हमें योजना में बतलाई गई बातों को रद्दी की टोकरी में नहीं डाल देना है बल्कि हमें उन को कार्यान्वित करना है। यदि हम अपने लक्ष्य से सन्तुष्ट नहीं हैं तो हम उस के बढ़ाये जाने के लिये कह सकते हैं तथा अधिक धन की मांग कर सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि जब से मैं ने इस पद का भार संभाला है मैं ने इस विषय पर अधिक ध्यान केवल इसलिये नहीं दिया है कि इस से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त हो जायेगी या खाने को मिल जायेगा बल्कि इसलिये कि इस से लोगों को काम मिलेगा तथा उन का रहन-सहन सुधरेगा। इस दृष्टिकोण से देखा जाये तो नार्वेजियनों ने हमें जो सहायता दी है हमें उस का स्वागत करना चाहिये न कि निन्दा। मेरे विचार में वे काफ़ी अच्छी प्रगति कर रहे हैं तथा हम जो चाहते हैं उस को पूरा करने में वे हमारी काफ़ी सहायता कर सकते हैं। फिर भी, हमें अपनी सारी आशायें उन्हीं के कार्यों पर केन्द्रीभूत नहीं करनी चाहियें। निस्सन्देह अभी तक जो कुछ हो सका है हम उस से अधिक करने का प्रयत्न करेंगे।

मछुओं की गरीबी के सम्बन्ध में जो बातें कही गई हैं वे बिल्कुल ठीक हैं। मैं उन को झूठा नहीं बतलाता। निस्सन्देह, उन्हें सहायता की आवश्यकता है तथा श्री नायर देखेंगे कि हम ने नार्वेजियन योजना तथा अपनी योजना में मछुओं को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसीलिये, हम जो पहली बात करना चाहते हैं वह उन्हें उन के पेशे से अलग करना नहीं है बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से मज़बूत बनाना है, उन के लिये पानी वाले नये स्थानों तथा नावों की व्यवस्था करना है। निस्सन्देह, जहां तक इन सब बातों का सम्बन्ध है केन्द्र कुछ भी नहीं कर सकता है, फिर भी, मैं श्री नायर तथा अन्य सदस्यों को यह विश्वास दिला देना चाहता हूं कि उन्हों ने जो कठिनाइयां बतलाई हैं हम उन के प्रति जागरूक हैं तथा हम उन्हीं पर ध्यान दे रहे हैं।

इस बात का निर्देश किया गया था कि मछुओं को कुछ मात्रा में मछलियां गिरजाघरों को लैवी के रूप में देनी होती हैं। मैं इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ भी नहीं जानता था, किन्तु स्पष्ट है कि इस मामले का सम्बन्ध राज्य सरकार से है न कि मुझ से। मैं नहीं बतला सकता कि इस आरोप में कोई सत्यता है भी या नहीं। यदि यह बात सत्य है तो इस को बन्द किया जाना चाहिये। हमें ऐसा समझा बुझा कर करना होगा न कि कानून की सहायता से। वास्तव में, श्री टामस ने इस आरोप का काफी सीमा तक खंडन किया है। बिना पूरी जानकारी के मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें जाल, नावों, आदि की आवश्यकता

है। सहकारी समितियां बनाई जायें, मछलियों को बरफ में दाब कर रखने का प्रबन्ध हो आदि।

डा० पी० एस० देशमुख : ऐसा किया जा रहा है। यदि आप पंच वर्षीय योजना की प्रगति रिपोर्ट के पृष्ठ ४५ का निर्देश करें तो आप को पूरी बातों का पता लग जायेगा। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है उस ने दो क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाया है तथा समय समय पर राज्यों को भी सहायता दी है। फिर भी, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं अभी बहुत कुछ करना शेष है तथा मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि मैं उसे पूरा करने का प्रयत्न करूंगा।

मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने पंचवर्षीय योजना पर बेकारी के प्रश्न को सामने रखते हुए फिर से विचार करने का पहले ही वचन दे दिया है। यदि ऐसा हो जाता है तो हम मछली उद्योग में सुधार तथा विकास करने के सम्बन्ध में अपनी कोशिशों को बढ़ा देंगे। मैं ने रत्नागिरि में मछलियों को सुरक्षित रखने का केन्द्र, बम्बई में समुद्र में मछली पकड़ने का केन्द्र तथा कटक में अन्तर्देशीय मछली अनुसन्धान केन्द्र देखे हैं। अतः मैं विश्वास दिला सकता हूं कि मैं इस विषय पर अधिक से अधिक ध्यान देता हूं। मैं जानता हूं कि राष्ट्र के जीवन में मछली पालने और पकड़ने का क्या महत्व है।

मैं श्री नायर को धन्यवाद देता हूं कि उन्हों ने अपने भाषण में सदन में हर सदस्य का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित किया तथा मैं उन के द्वारा तथा अन्य सदस्यों द्वारा रखे गये रचनात्मक सुझावों के लिये भी उन को धन्यवाद देता हूं।

पेप्सू में राष्ट्रपति की उदघोषणा सम्बन्धी प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन पेप्सू उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प पर विचार करेगा।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर): उपाध्यक्ष जी, यूनियन के माननीय राष्ट्रपति ने ४ मार्च १९५३ में जो आज्ञा विधान की धारा ३५६ के अनुसार जारी की है उसे यह सभा भवन मंजूर करता है यह जो प्रस्ताव है उस के ऊपर आज यहां बहस हो रही है। इस बहस के दौरान में हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने पेप्सू के जो दो अफसर हैं मि० पी० एस० राव और मि० हरि राम मिश्र उन के खिलाफ अपने विचारों को यहां रक्खा है। मैं उन माननीय सदस्यों से इस बात की प्रार्थना करूंगा कि जब वह अफसर यहां पर अपनी सफाई देने के लिये उपस्थित न हों उन के खिलाफ़ कोई चीज़ यहां कहना इस सभा भवन के लिये अच्छी चीज़ नहीं है। मैं जानता हूं और विशेषकर मि० पी० एस० राव के बारे में कहने के लिये तैयार हूं कि जिस वक्त हम लोग मध्य प्रदेश धारा सभा के सदस्य थे वह वहां पर चीफ़ सेक्रेटरी थे। जिस ईमान्दारी से उन्हों ने उस समय काम किया उस के लिये मैं उन को बधाई देता हूं। यही नहीं सन् १९४० और १९४२ के दर्म्यान जब हम और उस समय की सरकार आंख से आंख नहीं मिलाते थे तब भी उन्हों ने देश के साथ और देश के लोगों के साथ जो बर्ताव किया उस को हम भूल नहीं सकते। हो सकता है जो कानून कायदे उस वक्त थे उस के मुताबिक वह चलते रहे हों जो कांग्रेस के कायदे कानून थे उन के मुताबिक हम लोग भी चला करते थे। लेकिन यदि कोई कायदे कानूनों पर चलता है तो वह खराब आदमी नहीं हो जाता है और उस की सारी अच्छाइयां बुराइयों में नहीं बदल जाती हैं।

इस के बाद वह मध्य भारत गये। मध्य भारत के उन के काम का रेकार्ड मौजूद है, उसे देखा जा सकता है। हमारे माननीय सदस्य इस के बारे में मध्य भारत से दर्याफ्त कर सकते हैं।

[सरदार ए० एस० सहगल]

इसी तरह से मि० हरि राम मिश्र हैं। वह वहां कन्सालिडेशन अफसर थे। कन्सालिडेशन अफसर के बाद वहां सेट्लमेन्ट अफसर हुए और उ के बाद एक्साइज अफसर हुए। उस के बाद वह म य भारत आये। कहने का मतलब यह है कि जो अफसर अच्छा काम करे, वह अगर किसी दूसरे प्रदेश में जा कर किसी कारण से लोगों की भलाई के लिये ऐसा काम करे जिस से वहां के कुछ लोगों को दिक्कत हो, यदि कड़ाई के साथ वहां के अफसर या वहां की सल्तनत काम करे, तो मैं समझता हूं कि वहां के लोगों को उस को बर्दाश्त करना चाहिये।

उपाध्यक्ष जी, कोई भी सल्तनत चाहे वह कांग्रेस की हो चाहे किसी की भी हो, जब तक कड़ाई के हाथ से, लोहे के हाथ से हर बुराई का दमन नहीं करेगी, वह सल्तनत टिक नहीं सकती। इस लिये यदि इन अफसरों ने को काम किया है, और कड़ाई से किया है, तो बहुत ठीक किया है। वहां के लोगों ने यदि कोई गड़बड़ी की, वहां की जो व्यवस्था थी, यदि उस में कोई गड़बड़ी हुई और उस के प्रतिकार के लिये यदि यूनियन के राष्ट्रपति जी ने कोई आज्ञा जारी की और कोई कानून लागू किया तो उस को हमें स्वीकार करना चाहिये और यूनियन की जो सरकार इस वक्त है उस की हमें मदद करनी चाहिये। हो सकता है कि कोई चीजें हुई हों, मैं मान सकता हूं कि कोई खामी हो, मैं मानने के लिये तैयार हूं कि जो ऐडमिनिस्ट्रेशन वहां है उस ने कोई गलती की हो, लेकिन उस एक गल्ती की वजह से यह कहना कि सारी की सारी सरकार खराब है, सारा का सारा ऐडमिनिस्ट्रेशन गलत है, यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

इन शब्दों के साथ मैं यह अर्ज करूंगा कि जो प्रस्ताव किया जा रहा है उस का हमें समर्थन करना चाहिये।

डा० काटजू : सदन में इस विषय पर लम्बी बहस हुई है। समय को देखते हुए मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि मैं ने जो संकल्प आप के सामने रखा है वह आप स्वीकार कर लें।

मैं मोटी मोटी बातों को लेता हूं। यह सुझाव रखा गया है कि सामान्य निर्वाचन होना चाहिये। बहुत अच्छा मगर इस में भी तो चार पांच महीने लगेंगे। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आयेगी, निर्वाचन नामावलियां बनेंगी---कुछ भी हो सामान्य निर्वाचन चार पांच महीने से पहले न हो सकेंगे। अब कहा यह जाता है कि इस बीच में क्या होगा? आज वहां पर न कोई विधान-सभा है, न मंत्रिमंडल है और यदि यह कहा जाता है कि हम अवधि बढ़ाने नहीं जा रहे हैं या संकल्प को स्वीकार करने नहीं जा रहे हैं तो मैं पूछता हूं कि सदन चाहता क्या है? मैंने इस सदन के तथा उस सदन के भाषणों को ध्यानपूर्वक सुना है तथा मैं ने यही अनुभव किया है कि मेरे सामने बैठे माननीय सदस्य वहां पर शीघ्र से शीघ्र निर्वाचन कराना चाहते हैं। वे कहते हैं कि निर्वाचन जनवरी, फरवरी मार्च में होने चाहियें। मैं इस बात को समझता हूं। परन्तु वर्तमान परिस्थितियों में तो राष्ट्रपति का शासन रहेगा और रहना भी चाहिये। आप इसे आज ही समाप्त नहीं कर सकते हैं। हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा।

मैं पुराने इतिहास को दोहरा कर सदन को थकाना नहीं चाहता हूं। सरदार हुक्म सिंह मुझे यह कहने के लिये क्षमा करेंगे कि उन्हों ने अपनी ओर से कोई बात कहने की बजाय अन्य सूत्र से गलत बात लेकर कही है। उन्होंने डा० अम्बेडकर की नक्ल करते हुए कहा था "संविधान का हनन किया गया है।" मैं

कहता हूं कि यदि ऐसा हुआ भी था तो वह पिछले मार्च के महीने में हुआ था।

फरवरी, १९५३ में क्या परिस्थिति थी? मैं संविधान के अनुच्छेद ३५६ को ही लेता हूं। यदि किसी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख से प्रतिवेदन मिलने पर यह अन्यथा राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिस में कि इस राज्य का शासन इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति उचित कार्यवाही कर सकते हैं। मैं बिल्कुल निष्पक्ष हो कर कह रहा हूं। जो लोग पिछले मंत्रिमंडल में थे वे सब मेरे मित्र थे। आप इसे शायद न जानते हों। परन्तु स्थिति क्या थी? विधान-सभा में ६० सदस्य थे। उस तारीख को २० या २२ सदस्यों के अयोग्य घोषित किये जाने की सम्भावना थी जिस में से १४ कर दिये गये थे, अन्य ३ को भी अयोग्य घोषित किया जा चुका था, मुख्य मंत्री ने त्यागपत्र दे दिया था तथा मंत्रिमंडल में केवल दो मंत्री रह गये थे। यह दो मंत्री कौन थे? यदि मुझे ठीक याद है तो उस में से एक हाल ही में नियुक्त किये गये मंत्री थे जो हरिजनों के प्रतिनिधि के रूप में रखे गये थे। दूसरे, वह थे जो विरोधी दल को छोड़ कर सरकारी दल में आ मिले थे तथा जिन्हें मेरे विचार में २८ या २९ दिसम्बर को मंत्री बनाया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : इन सब बातों को दोहराने से क्या लाभ है? प्रश्न केवल यह है कि उसको जारी रखने की कोई आवश्यकता है या नहीं।

डा० काटजू : आप यहां नहीं थे इसलिये आपको मालूम नहीं कि यहां क्या हुआ था। सदस्यों ने अनेकों बातें कहीं। एक ने कहा कि परामर्शदाता ने १०,००० बीघा ज़मीन अमुक महाराजा को दे दी है, १०,००० रुपये का भत्ता अमुक राजकुमारी या महारानी को दिया है इत्यादि इत्यादि। हमें यह जानना चाहिये कि तथ्य क्या है। फिर उन्होंने कहा कि वहां सामान्य चुनाव फिर से होने चाहियें। मैंने कहा कि बहुत ही सुन्दर बात है और मैं इसका ध्यान रखूंगा। मुझे इस प्रशासन व्यवस्था को बनाये रखने से दुख हो रहा है, मैं तो जल्दी से जल्दी चुनाव कराये जाने के पक्ष में हूं। उन्होंने पूछा कि क्या सन् १९५४ में चुनाव होंगे, मैंने उत्तर दिया कि होंगे। जैसा प्रश्न था वैसा ही उत्तर दे दिया गया था।

अब इस अनुदान वाली बात को लीजिये। संविलन होने से पूर्व महाराजा जींद को कोई १४०० बीघा ज़मीन आवंटित की गई थी अथवा निजी सम्पत्ति की भांति रखने की अनुमति दी गई थी। यह पैप्सू के बनने से बहुत पहले की बात है। अब उन्होंने प्राथना की कि वह उसका विनिमय करना चाहते हैं वह अपनी १४०० बीघा ज़मीन के बदले में कोई अन्य ज़मीन चाहते हैं। प्रश्न यह है कि क्या उनको ज़मीन दी जाये, और यदि दी जाये तो किस क्षेत्र में। इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया है यह ठीक है, कदाचित् सरदार हुक्मसिंह को पूरा ब्यौरा मालूम हो। भत्ते के सम्बन्ध में तथ्य यह है कि इस राज्य की यह प्रथा रही है कि लड़कियों को विवाह के अवसर पर कोई दहेज़ नहीं दिया जाता है। पांच या छै लाख का दहेज़ प्रत्येक राजकुमारी को देने के बदले उनको कुछ वार्षिक भत्ता दिया जाता है। उक्त राजकुमारी ने यह प्रार्थना की थी कि विवाह के बाद उसे महाराज के आदेश पर भत्ता दिया जाने लगा था, कई वर्ष तक वह भत्ता उसे मिलता रहा परन्तु राज्य का संविलय हो जाने के बाद वह भत्ता इस आधार पर बन्द कर दिया गया कि विवाहित महिलाओं का कोई भत्ता नहीं दिया जाना चाहिये। तथ्य यह हैं, अभी इस मामले पर विचार किया जा रहा है और

[डा० काटजू]

कोई आदेश नहीं दिये गये हैं। पिछले मन्त्रि-मंडल के कार्यकाल में भी इस प्रश्न को उठाया गया था और इसी कारण अब उस पर विचार किया जा रहा है।

सरदार हुक्म सिंह ने यह आरोप लगाया था कि परामर्शदाता बहुत ही साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से व्यवहार कर रहा था। उसने कोई १३ सिख अफसरों को या तो स्थानान्तरित कर दिया था या निलम्बित कर दिया था।

श्री पी० एन० राजभोज : शिड्यूल्ड कास्ट के भी दो कम किये हैं।

डा० काटजू : प्रश्न अब यह है कि जब वहां परामर्शक नियुक्त किया गया तो राज्य के परामर्शदाता, जिनको सब बातों की जानकारी थी, वहां मौजूद थे। राज्य के परामर्शदाता से सारी सूचना प्राप्त करके हमारे परामर्शदाता ने कुछ आदेश जारी किये, किसी को स्थानान्तरित किया और जिन अफ़सरों के खिलाफ़ जांच हो रही थी उनको निलम्बित किया। विभागीय जांच हो रही है। पन्दरह अफ़सर वहां नियुक्त किये गये हैं उनमें से तेरह पंजाब से आये हैं। पहले भी पंजाब से अफ़सर लिये जाते रहे हैं और.....

सरदार हुक्म सिंह : हम तो राष्ट्रपति के शासन के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं।

डा० काटजू : परन्तु इसका यह अर्थ तो नहीं है कि पैप्सू में केवल सिख ही नियुक्त किये जायें और कोई नहीं। सरदार हुक्म सिंह का यह आरोप कि कार्य पूर्ण रूप से साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से किया जा रहा है एक दम ग़लत है और इस सदन में ऐसे आरोप नहीं लगाये जाने चाहियें थे।

बड़ी विचित्र बात है। एक ओर तो यह कहा जाता है कि यह छोटे छोटे राज्य हैं और दूसरी ओर यह कहा जाता है कि राजाओं या बिस्वेदारों ने सभी नौकरियों पर अपने ही आदमियों को नियुक्त कर दिया है। राजा लोग सिख हैं इसलिये सभी कर्मचारी सिख हैं। अब जो अफ़सर दोषी होंगे वह भी सिख होंगे और अच्छे अफ़सर भी सिख होंगे, प्रत्येक व्यक्ति सिख होगा। क्या मैं सरदार हुक्म सिंह से पूछ सकता हूं कि राष्ट्रपति का शासन होने से पहले वहां की नौकरियों में हरिजनों, ईसाइयों अथवा हिन्दुओं की कितनी प्रतिशतता थी? और फिर भी मेरे मित्र कहते हैं कि केन्द्रीय सरकार सम्प्रदायवादी दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। ऐसे आरोप लगाने से पहले उनको सोचना समझना चाहिये था, कुछ उत्तरदायित्व का अनुभव करना चाहिये था।

सरदार हुक्म सिंह : मैंने तो तथ्य बतलाये हैं, और मैं और भी बता सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : पर कहने, कहने का ढंग होता है। अन्तर्बाधा डालने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ कहा गया है माननीय मंत्री उसी का उत्तर दे रहे हैं। सूचना देने का भी एक ढंग होता है। माननीय मंत्री अपना भाषण दें।

डा० काटजू : मेरे माननीय मित्र ने क्षतिपूर्ति तथा कृषि सुधारों की चर्चा की थी। गत सप्ताह ही संसदीय समिति की बैठक हुई थी और उसमें तीन विधेयकों को अनुमोदित किया गया था। इस विधेयक को भी अनुमोदित किया गया था और प्रत्येक दखीलकारी काश्तकार को अधिकतम १०० एकड़ भूमि दिये जाने की बात स्वीकृत की गई थी।

श्री पुन्नूस : एक औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में श्रीमान्। पहली बात तो यह है कि क्या यहां संसदीय समिति की कार्यवाही का उल्लेख

करना उचित है। दूसरे जो कुछ वह कह रहे हैं वह तथ्य नहीं है। क्षतिपूर्ति, अधिकतम सीमा इत्यादि के सम्बन्ध में बहुत मतभेद था परन्तु माननीय मंत्री का कहना है कि विधेयक को अनुमोदित किया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि बहुमत ने ही अनुमोदन किया तो भी उसे अनुमोदन ही समझा जायगा। जहां तक पहली बात का सम्बन्ध है सरकार ने समिति के परामर्श के अनुसार ही कार्य किया है और समिति को इसी संसद् ने नियुक्त किया था। किसी प्रकार का कोई भेद खोलने या व्यक्तिगत सम्मति को प्रकाशना दिये जाने जैसी कोई बात नहीं है। समितियों को गुप्त इसलिये रखा जाता है जिससे कि उनके प्रकट हो जाने पर सम्बद्ध सदस्य पर कोई आंच न आये। इसलिये कार्यवाही का उद्धरण देने की अनुमति नहीं है।

डा० काटजू : समिति ने जिन विधेयकों को अनुमोदित किया था उनमें से दो पारित हो चुके हैं और तीसरा यह सदन के समक्ष है। इसके सम्बन्ध में भी समिति ने एक निर्णय दिया था। इसके पश्चात् इसे योजना आयोग के समक्ष रखा गया था और योजना आयोग की आर्थिक समिति का यह विचार था कि अधितम सीमा काफ़ी अधिक थी और उसे १०० एकड़ से कम करके ५० या ६० एकड़ कर दिया जाये। अब विधि मंत्रालय इन सिफारिशों के आधार पर विधेयक का पुनः प्रारूपण कर रहा है, और फिर भी यह आरोप लगाया जाता है कि केन्द्रीय सरकार ने उक्त विधेयक को दबा लिया है।

जहां तक पारित हुए दोनों विधेयकों का सम्बन्ध है, वह भी नीति सम्बन्धी प्रश्न है। सदन को कदाचित् स्मरण होगा कि एक अधिनियम वरिष्ठ अधिकार अधिनियम है और पैप्सू सरकार ने क्षतिपूर्ति की एक दर निश्चित की थी। और वह दर थी एक पाई प्रति रुपया लगान। पैंतीस हज़ार एकड़ भूमि का मामला है, लगान थोड़ा है। इस दर पर यदि क्षतिपूर्ति का हिसाब फैलाया जाये तो वह चालीस रुपया बैठती है।

अब यह प्रश्न उठा कि उच्चतम न्यायालय में अथवा किसी अन्य न्यायालय में यह बात उठाई जा सकती है कि क्षतिपूर्ति भ्रमात्मक थी। अतः राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की फिर आवश्यकता पड़ी। पैंतीस हज़ार एकड़ ज़मीन की क्षतिपूर्ति की रक़म २१,००० रुपये निकली। यदि सदन की यह सम्मति हो कि कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जानी चाहिये तब तो दूसरी बात है परन्तु यदि क्षतिपूर्ति दी जाने को है तो वह ऐसी होनी चाहिये जो अदालत से भी रह सके।

काश्तकारों के सम्बन्ध में जो दूसरा विधेयक है उसके विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है। काश्तकारों को पूर्ण रूपेण भूमिधर बना दिया गया है। यह विधेयक भी अधिनियमित हो चुका है।

इस सदन में यह आरोप लगाया गया है कि केन्द्रीय सरकार या तो कुछ नहीं कर रही है अथवा कुप्रबन्ध कर रही है। बक़ाया लगान की वसूली के सम्बन्ध में भी कुछ सदस्यों ने शिकायतें की हैं। किन्हीं गांवों में वर्षों से लगान बक़ाया चला आ रहा है। सारे भारत भर में यह सिद्धान्त लागू है कि लगान खेतों की पैदावार पर सर्वप्रथम करारोप है। ज़मींदारों ने लगान वसूल तो कर लिया था पर सरकार को मालगुज़ारी नहीं दी थी। बक़ाया की रक़म ३१ लाख रुपये से भी अधिक थी। अतः परामर्शदाता का सर्वप्रथम कर्तव्य बक़ाया लगान वसूल करना था। साथ ही इस वर्ष का लगान भी वसूल करना था। किसी माननीय मित्र ने कहा था कि सरकार ने छै महीनों में ६१ लाख रुपया वसूल किया। इसमें ३१

[डा० काटजू]

लाख रुपया बक़ाया का था और ३० लाख रुपया चालू वर्ष का लगान था। यदि परामर्श-दाता ने इस बक़ाया को वसूल न किया होता तो वह अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता।

कुछ अफ़सरों की छटनी के सम्बन्ध में भी शिकायतें की गई हैं। यह तथ्य है कि बहुत से व्यक्तियों की छटनी की गई है।

डा० रामा राव : किसान लगान देने से पहले अपने अधिकारों का निपटारा चाहते हैं। राड़ेवाला सरकार ने क्षतिपूर्ति देकर यह बक़ाया माफ कर दी, क्या यह सरकार उसे वसूल कर रही है ?

डा० काटजू : सरदार राड़ेवाला से पूछिए।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यदि लगान दखीलकार काश्तकारों से लिया गया है, तो वह अवैध है।

डा० काटजू : अधिनियम पारित होने पर अदालतों तक जाया जा सकता है।

मुझे यही कहना था कि यह राशि वसूल करनी है और उन्हीं लोगों से वसूल की जा सकती है, जिनके पास पैसा है। पर यदि सदन में कोई इस बात के पक्ष में है, जमीन जोतने वाले न लगान दें और न राजस्व और ज़मीन को अपना समझें, तो मैं निरुत्तर हूं, मुझे कुछ नहीं कहना है।

मेरे माननीय मित्र ने एक बात छटनी के बारे में उठाई थी, पर जैसा मैंने आज सवेरे कहा था चूंकि सदन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठा, अतः स्थिति संतोषजनक है। मेरे मित्र ने कहा था कि उन्होंने आज के लिए एक प्रश्न रखा था जो पहुंचा नहीं। पर उसे सदन के कार्यक्रम में होना चाहिए। मैं उत्तर अभी दिये देता हूं। "प्रश्न के भाग (क) के सम्बन्ध में छटनी हुए अधिकांश व्यक्ति नियंत्रण हटा दिये जाने के कारण बन्द हो जाने वाले असैनिक रसद विभाग के हैं और कुल संख्या ७१६ है। छटनी के मुख्य कारण हैं : नियंत्रणों में ढील और फलस्वरूप असैनिक रसद विभाग का टूट जाना, विभिन्न विभागों में संवर्ग (केडर) संख्या का निश्चित कर दिया जाना और सेवाओं के एकीकरण को अन्तिम रूप दे देना, सचिवालय और प्रशासनीय विभागों का पुनर्गठन और जिलों, तहसीलों और उप-तहसीलों का सुधार। सरकार वैकल्पिक रोजगार देने का प्रयत्न कर रही है। पेप्सू में बेरोज़गारी की स्थिति प्रायः वैसी ही है, जैसी अन्य राज्यों में।" अतएव जैसा कि उत्तर में बताया गया है, सरकार छांटे गये उपयुक्त व्यक्तियों को शिक्षा, विकास तथा अन्य विभागों में, जिनका विस्तार होना है, उनको वैकल्पिक रोजगार देने का प्रयत्न कर रही है।

मैं और क्या कर सकता हूं ? दो ही विकल्प हैं। एक तर्कश्रृङ्खला यह है कि आप सार्वजनिक धन को बरबाद न करें और उसका अर्थ है छटनी। इसके विपरीत यदि सदन का मत है कि हम अतिरिक्त कर्मचारीवृन्द का बोझ सम्भाले रहें, तो मैं वैसा करने को तैयार हूं।

फिर अन्तिम प्रश्न अतिरिक्त जिलों का प्रश्न है। मेरे मित्र ने मेरे ही ऊपर यह दोष लगाया है कि मैंने गलत सूचना दी है। मैं सोच-विचार कर कहता हूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कोई भी गलती नहीं की है। यदि आप अन्य प्रांतों का उदाहरण लेकर चलें तो शायद समूचे पैप्सू में दो-तीन जिले ही रहेंगे मेरे बंगालवासी मित्र जानते हैं कि बंगाल के एक ज़िले का उदाहरणार्थ मिदनापुर का आकार कितना होता है, पर मुझे उस जिले का क्षेत्रफल और जनसंख्या ठीक-ठीक याद नहीं है। उत्तर प्रदेश को लें, वहां एक मध्यमान जिले की जनसंख्या १०-

१५ लाख तक होती है। कई जिलों में यह और भी अधिक है। एक जिले का क्षेत्रफल ३००० से ५००० या ७००० वर्गमील तक होता है। यहां पर एक जिला ५०० वर्गमील और डेढ़ लाख की जनसंख्या वाला है। दूसरा जिला ५०० वर्गमील और ढाई लाख की जनसंख्या वाला है। इस विषय पर पैप्सू सरकार गत पांच वर्ष से विचार कर रही है और १९५० में सरकारी गजट में एक संकल्प भी प्रकाशित हुआ था कि यह सुधार तत्काल अपेक्षित है। कुछ माननीय सदस्यों को शिकायत है कि मैंने इन जिलों को समाप्त करना शुरू कर दिया है और उनको पड़ौसी जिलों में—दो चार फिरका या तालुक इधर और दो चार उधर—जोड़ दिए हैं, क्योंकि मैंने सोचा कि जिला चाहे छोटा हो या बड़ा, जिले के प्रधान केन्द्र में कुछ न कुछ कर्मचारी तो होते ही हैं। अब यदि आप जिलों को बनाए रहें और एक उच्च वेतन प्राप्त अधिकारी को उनका प्रभारी बनाएं तो यह सार्वजनिक धन का अपव्यय है। अतः हमने यही किया कि सभी प्रशासनीय कार्यों के लिए जिला तो यथापूर्व बना रहेगा, पर उसका प्रभारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट—अपेक्षतया कनिष्ठ अधिकारी—या राज्य सेवा का एक ज्येष्ठ पदाधिकारी रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट रहेगा, परन्तु वह एकाधिक स्थान का—उदाहरणार्थ पटियाला और फतहगढ़ साहब दोनों का—होगा। वह समय-समय पर सामान्य प्रशासनीय कार्य के रूप में आता-जाता रहेगा। इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि क्या इस प्रबन्ध से इन जिलों के किसी निवासी को कुछ कष्ट पहुंचेगा ? क्या किसी व्यवहार अभियोग में उसी जिले में पूर्ववत् न्याय नहीं हो सकेगा ? क्या माल का कोई मामला दूसरे जिले में जाएगा ? सब कुछ उसी जिले में होगा। किसी को भी कोई परेशानी न होगी। फतहगढ़ साहब, बरनाला और कंदाघाट के किसी भी निवासी को अपने जिले के प्रधान केन्द्र से दूर न जाना पड़ेगा और भविष्य में भी उस की शिकायतें पूर्ववत् उसी जिले में सुनी जाती रहेंगी। यदि आप इस सरकार के प्रत्येक कार्य का ही विरोध नहीं करना चाहते हैं, तो आप और क्या चाहते हैं ? मुझे बधाई देने या मेरे कार्य को अच्छा बताने के स्थान पर माननीय सदस्य मुझे बुरा कह रहे हैं। किसी भी जिले के आर्थिक या सामाजिक जीवन में अन्तर डाले बिना ही मैंने बचत कर दिखाई है। मेरे विचार में यह बहुत अच्छा काम है। आप ज्यष्ठ पदाधिकारी चाहते हैं, ठीक है, परन्तु प्रत्येक तहसील या फिरके में तो उसे रखा नहीं जा सकता। वह केवल जिले के प्रधान केन्द्र में रहेगा। इलाहाबाद में एक ज़िले में नौ तहसीलें हैं। ज़िला बहुत बड़ा है। ज़िला मजिस्ट्रेट ज़िले के प्रधान केन्द्र में रहता है। वह तहसील में तभी जाता है, जब उसकी ज़रूरत होती है। उसी प्रकार यहां किया जा रहा है। एक अतिरिक्त पुलिस सुपरिनटेंडेंट और एक अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट वहां रखे जा रहे हैं। खजाना वहां है, जेल वहां है, स्वास्थ्य सुविधायें वहां हैं, सत्र न्यायाधीश वहां है; तो क्या माननीय मित्र यह चाहते हैं कि १२०० रुपए मासिक पाने वाला एक जिला मजिस्ट्रेट वहां रहे, जिसके लिए वहां काम नहीं है और वह वहां ५०० वर्ग मील और डेढ़ लाख जनसंख्या की देखभाल करे ? श्रीमान्, मुझे तो यही कहना है कि इस आलोचना में कोई सार नहीं है।

कुछ माननीय मित्रों ने प्रेस पर लगाए गए प्रतिबन्धों की चर्चा की। यदि शिकायत यह है कि प्रेस के सम्वाददाता सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों से विभिन्न विषयों की सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो उनका कहना ठीक है। मंत्रणादाता ने इस विषय में आदेश दिए हैं। प्रेस को जनसम्पर्क संचालक के पास से सूचना प्राप्त करनी चाहिये। वास्तव में कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं। पत्रकार तथा संसद्

[डा० काटजू]

सदस्य अबाध रूप से वहां जा सकते हैं तथा लोगों की शिकायतें सुन सकते हैं। प्रतिबन्ध की शिकायत उचित नहीं है। हरिजनों की तरफ बोलने वाले सदस्य की शिकायत ठीक है। उनके साथ समस्त भारत में न्यायोचित व्यवहार नहीं किया जाता। उन्हें शिक्षा तथा नौकरी अवश्य दी जानी चाहिए। परन्तु इसका पेप्सू से क्या सम्बन्ध है।

किसी ने कहा कि पेप्सू में कांग्रेस मिनिस्ट्री नहीं है इसलिए केन्द्रीय सरकार ने यह कार्यवाही की है। पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने पेप्सू को भाग ख राज्यों के अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे अधिक आर्थिक सहायता दी है। प्रतिवर्ष सवा करोड़ से डेढ़ करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। राष्ट्रपति के शासन के पूर्व हमने पेप्सू सरकार की काफी सहायता की है। जब वहां शासन नहीं चल सका तो हमें उसे सम्हालना पड़ा

चुनाव स्थगित करने का बिल्कुल ही विचार नहीं है। सम्भव है अगले ६ महीनों में फरवरी अथवा मार्च तक वहां अबाध रूप से चुनाव हो सकेंगे। राष्ट्रपति के शासन की अवधि बढ़ाने की प्रार्थना फिर नहीं की जाएगी। आप केवल चुनाव चाहते हैं। लोगों की झूठी शिकायतें (**अन्तर्बाधा**).....

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने शिकायतों का स्पष्टीकरण किया है। यह नहीं कि सदस्य ही झूठी शिकायतें उत्पन्न करते हैं। बाहरी दल भी कर सकते हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : बाहरी दलों के प्रतिनिधि यहां पर हैं। मंत्री जी ने सदस्यों की ओर इशारा भी किया है। "झूठी शिकायतों" का मतलब क्या है। सदस्यों द्वारा की गई शिकायतों के विपरीत ऐसे शब्द कहना उचित नहीं है।

डा० काटजू : वह मामूली शब्द है।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार यह कह सकती है कि सदस्यों को जो सूचना मिली है वह ठीक नहीं है। मंत्री जी के कथन को ठीक प्रकार नहीं समझा गया है।

डा० काटजू : हमसे बहुत सी कड़ी बातें प्रतिदिन कही जाती हैं। साम्यवादी दल के नेता जरा अपने भाषणों को ही देख लें। जब मैं जरा सी कड़ी बात कहता हूं तो पूछा जाता है कि मेरे वचन संसदोचित हैं अथवा नहीं।

सदन में सदन के समक्ष यह संकल्प रखता हूं और प्रार्थना करता हूं कि यह स्वीकार कर लिया जाए।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मंत्री जी का भाषण देने का अपना अलग ढंग अवश्य है परन्तु उन्हें अपने शब्द सावधानी से चुनने चाहियें क्योंकि वे बाहर ज्यों के त्यों प्रकाशित हो जाते हैं जिससे खराब परिणाम निकलता है।

उपाध्यक्ष महोदय : दोनों पक्ष के सदस्यों को सावधानी से अपने शब्द चुनना चाहिये।

डा० रामा राव : मंत्री जी ने कहा कि मुझे ठीक सूचना नहीं मिली है। उन्होंने केवल दो मामलों के बारे में उत्तर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को उत्तर देने का प्रश्न नहीं है। जितना मंत्री जी उत्तर दे सकते थे उतना उत्तर वे दे चुके हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं मंत्री जी के संकल्प का समर्थन करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : पेप्सू का शासन केन्द्र ने अपने हाथों में लिया है। इसके विषय में विधान बहुमत द्वारा पारित हो सकते हैं।

संकल्प पारित होने के बाद सदस्यों को ऐसा भास नहीं होने देना चाहिये कि वे सदन के विनिश्चय के विरुद्ध बात कर रहे हैं। मंत्री

जी का कहना है कि बाहरी लोग झूठी शिकायतें कर रहे हैं। सचमुच की शिकायतों को दूर किया जायगा। दोनों पक्षों के सदस्य सावधानी से भाषण दें।

मैं अब सदस्यों के संशोधन मतविभाजन के लिए प्रस्तुत करूंगा। घोषणा की जाने के पश्चात् वह सदन के समक्ष अनुमोदन के लिए आती है। सरकार को खुद संकल्प प्रस्तुत करना पड़ता है कि घोषणा का अनुमोदन किया जाए। यदि इसके स्थान पर अध्यादेश होता तो सदस्य स्वयं इसके विपरीत संकल्प प्रस्तुत कर सकते तथा विधेयक बनाया जाता।

मैं अब डा० रामा राव का संशोधन प्रस्तुत करूंगा।

संशोधन प्रस्तुत किया गया तथा वह अस्वीकृत हुआ।

इसके पश्चात् मूल संकल्प प्रस्तुत किया गया तथा वह स्वीकृत हुआ।

सदन का कार्यक्रम

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : इसके पश्चात् नारियल जटा उद्योग लिया जायगा।

श्री एच० एन० मुकर्जी : सरकार दो विधेयक प्रस्तुत करना चाहती है। एक तो नारियल जटा-वस्तु उद्योग विधेयक और दूसरा पुनर्वास वित्त प्रशासन विधेयक किन्तु जब तक अधिवेशन अधिक समय तक नहीं चलता तब तक इनका रखना व्यर्थ ही होगा। अभी तक तो हमें अन्य विधेयकों तथा अनुपूरक मांगों तथा राशियों के सम्बन्ध में ही सूचना प्राप्त हुई है।

सर्वप्रथम नारियल जटा-वस्तु उद्योग पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि उस पर खण्डवार विचार करने से बहुत समय लग जायगा।

पुनर्वास विधेयक के उद्देश्य भी बड़े व्यापक हैं अतः इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है।

जहां तक मैं समझता हूं कि ये दोनों ही विधेयक इतने आवश्यक नहीं हैं कि जिनके बिना कार्य न चल सकता हो। दूसरी बात यह है कि अधिकतर सदस्यों को इनके विषय में आवश्यक जानकारी भी नहीं है। और यदि इन पर पूर्ण रूपेण विचार किया जाता है तो उसके लिये १८ तारीख से और आगे तक अधिवेशन चलाना पड़ेगा।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि यह विधेयक ऐसा है जिस पर कुछ विचार हो चुका है। यह विधेयक के प्रारम्भ होने से ही कार्यसूची में था अतः इसका सर्वप्रथम स्थान होना चाहिये। यदि इसको हटा दिया जाता है तो यह दुःखपूर्ण स्थिति है। द्वितीय पक्ष के कुछ माननीय सदस्य भी इसके पक्ष में हैं। उद्योग को कुछ सहायता की आवश्यकता है तथा नारियल जटा मण्डल जो स्थापित किया जायगा, उद्योग को सहायता देगा। किन्तु यदि माननीय सदस्य इसका विरोध करते हैं तो मैं उन पर दबाव भी नहीं डालना चाहता हूं। (**अन्तर्बाधा**) मैं नहीं कह सकता कि इसके लिये इतनी अधिक तात्कालिक आवश्यकता है जिसके विषय में मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों से अधिक जानता हूं। किन्तु यदि माननीय सदस्यों की धारणा यह है कि यह विधेयक इसलिये पारित हो जाय कि जिससे नारियल जटा मण्डल की स्थापना हो सके तो मैं सदन की इच्छा पर ही कार्य करना चाहूंगा इस विधेयक के सम्बन्ध में विशेष जोर देना मैं इस कारण चाहता हूं कि यह लोकहित का प्रश्न है और इसीलिये मैं इसे पारित कराने के पक्ष में हूं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस विधेयक की अच्छाइयों को देखते हुये इसे यथा शीघ्र आगे बढ़ाना चाहिये । किन्तु व्यापार परामर्शदात्री समिति को इसकी सूचना मिलनी आवश्यक थी । इस प्रकार इस समिति की बैठक बुलाकर उसमें इस विषय पर कुछ परामर्श किया जा सकता था । केवल बहुमत होने के कारण इसको इतनी शीघ्र पारित कर दिया जाता है तो सरकार के लिये ऐसा करना उचित नहीं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हम लोग भी सदन के ही अंग हैं--इसका अर्थ यह नहीं कि केवल विरोधी दल ही सदन का अंग है ।

श्री टी० एन० सिंह (ज़िला बनारस पूर्व) : अब उन्हें इस विधेयक पर आपत्ति नहीं और इस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री पुन्नूस (आल्लप्पी) : मैंने माननीय मंत्री से कुछ समय के लिये कहा था किन्तु इतनी शीघ्रता से यह कार्य कैसे हो सकता है ? अनेक तो संशोधन माननीय मंत्री तथा उपमंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं । मैं इसके लिये अलग से समय चाहूंगा । मैं इस सुझाव का विरोध करता हूं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : मैं सुझाव रखती हूं, श्रीमान् कि पुनर्वास वित्त प्रशासन विधेयक को यों ही टाला नहीं जा सकता । उस मामले पर पूर्ण गम्भीरतापूर्वक विचार विमर्श करने की आवश्यकता है । दो या तीन घंटे के समय में कुछ नहीं हो सकता है ।

[अनेक सदस्यों न अपने-अप सुझाव रखे किन्तु कार्यवाही के विषय में कुछ भी निश्चय न हो सका ।]

इसके पश्चात् सदन की बैठक बृहस्पतिवार १७ सितम्बर, १९५३ के सवा आठ बज तक के लिये स्थगित हो गई ।

GIPD—HS—439 PSD—8 2.54—285